



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222239
CG-DL-E-05102020-222239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398]
No. 398]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-836).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 61 के उप-खंड (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) विनियम, 2007 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली), 2007 में:-

- (क) खंड (ग) के लिए विनियम 2 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम या अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या विनियमों, जैसा मामला हो, में क्रमशः उन्हें दिया गया अर्थ होगा।"

- (ख) खंड (1) के लिए विनियम 3 में, -

- (i) "अधिनियम के प्रावधान" शब्दों को "अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) तालिका में:

क. तालिका के कॉलम (2) के शीर्षक "अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यकलाप" को "अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यकलाप" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. क्र.सं. 10 के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"

क्र.सं.	अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत कार्यकलाप	शुल्क (रु.)
11.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 8 के तहत प्राधिकार की मांग करने या विनियम 12 के तहत प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क: (क) समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम के लिए; या (ख) समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम के लिए; या (ग) समाशोधन कॉर्पोरेशन के लिए	3,00,000

"

(ग) विनियमन 4 में,

(i) खंड (2) के बाद, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के तहत समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम करने, समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम करने तथा समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकार की तारीख से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित वार्षिक अन्य प्रभार भुगतान करेंगे:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 13 के तहत वार्षिक और अन्य प्रभार:	
	(क) समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ गैस विनियम के लिए; या (ख) समाशोधन कॉर्पोरेशन के बिना गैस विनियम के लिए; या (ग) समाशोधन कॉर्पोरेशन के लिए	संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान विनियम (करों को छोड़कर) में व्यापार मूल्य का 0.02% या रु. 20,00,000, जो भी अधिक हो संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान समाशोधन कॉर्पोरेशन (करों को छोड़कर) में समाशोधन मूल्य का 0.02% या रु. 20,00,000, जो भी अधिक हो

स्पष्टीकरण:

- विनियम में व्यापार मूल्य को लेन-देन (या तो क्रय या विक्रय) के केवल एक भाग पर विचार करके निकाला जाएगा, न कि क्रय या विक्रय लेन-देन के मूल्य का योग करके निकाला जाएगा।
- समाशोधन कॉर्पोरेशन के मामले में समाशोधन मूल्य समाशोधित राशि अर्थात् प्राप्त राशि या वितरित की गई राशि होगी, न कि प्राप्त राशि और वितरित की गई राशि का योग होगी।

(ii) उप-विनियम (7) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) उप-विनियम (2) और उप-विनियम 3-6 के अनुसार अन्य प्रभार या विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई ऐसा भुगतान करने के सात दिनों के भीतर, इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में प्रेषित राशि का विवरण प्रस्तुत करेगी। कोई जो उप-विनियम (2क) और उप-विनियम 3-6 के अनुसार अन्य प्रभार या विलंब भुगतान अधिभार करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा भुगतान करने के सात दिनों के भीतर इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-II में प्रेषित राशि का विवरण प्रस्तुत करेगी।"

(घ) प्रपत्र-I के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र-II को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"प्रपत्र-II

[देखें विनियम 4(7)]

वित्तीय वर्ष 20_ के लिए विनियम 4 के उप-विनियम 2क के तहत निर्दिष्ट तालिका के अनुसार देय और भुगतान किए गए अन्य वार्षिक शुल्कों का विवरण

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का नाम				
गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का पता				
प्राधिकार प्रदान करने का वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष	संगत वित्तीय वर्ष का व्यापार मूल्य या समाशोधन मूल्य	देय अन्य वार्षिक प्रभार	भुगतान किए गए अन्य वार्षिक प्रभार	भुगतान का तरीका
प्रेषित राशि का विवरण				
डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर सं. और तारीख या संदर्भ सं. और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की तारीख, बैंक और शाखा जिस पर देय है और राशि रुपये में।				

”.

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./259/2020-21]

फुट नोट : मूल विनियमों को जी.एस.आर. 732 (अ.), तारीख 26 नवंबर, 2007 द्वारा अधिसूचित किया गया था, और जी.एस.आर. 477(अ.) तारीख 7 जून, 2010, फा.सं. विधि/50/2013 तारीख 21 जून, 2013, फा.सं. पीएनजीआरबी/एफएंडसी/संशोधन पीएनजीआरबी विनियम तारीख 3 जनवरी, 2019 और फा.सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 तारीख 13 मई, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2020

PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely: —

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Second Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:—

- (a) in regulation 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:

“(c) All other words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or other regulations shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the other regulations, as the case may be.”;

- (b) in regulation 3, in sub-regulation (1), -

- (i) for the words “provisions of the Act”, the words “provisions of the Act or the regulations framed thereunder” shall be substituted;

- (ii) in the table, --

- (A) in Column (2), for the column heading “Activity under the provisions of the Act”, the column heading “Activity under the provisions of the Act or the regulations framed thereunder” shall be substituted;

- (B) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

S. No.	Activity under the provisions of the Act or the regulations framed thereunder	Fee (Rs.)
“11.	Application fee for seeking authorisation under regulation 8 or renewal of authorisation under regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020: (a) for a Gas Exchange with Clearing Corporation; or (b) for a Gas Exchange without Clearing Corporation; or (c) for a Clearing Corporation	3,00,000

- (c) in regulation 4, --

- (i) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(2A) The following annual other charges specified in the Table, shall be payable by a gas exchange with clearing corporation, a gas exchange without clearing corporation and a clearing corporation for every financial year with effect from the date of authorisation granted to it by the Board under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, namely:

TABLE

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Annual and other charges under regulation 13 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020:	
	a) for a Gas Exchange with Clearing Corporation; or b) for a Gas Exchange without clearing corporation; or	Rs. 20,00,000 or 0.02% of the trade value in the exchange (excluding taxes) during the relevant financial year, whichever is higher
	c) for a Clearing Corporation	Rs. 20,00,000 or 0.02% of the clearing value in the clearing corporation (excluding taxes) during the relevant financial year, whichever is higher
Explanation:		
- The trade value in the exchange shall be worked out by considering only one part of the transaction (either to buy or to sell) and not the sum of value of buy and sell transaction. - The clearing value in the case of clearing corporation shall be the amount cleared that is to say the amount received or the amount disbursed and not the sum of amount received and amount disbursed.		

(ii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(7) Any entity liable to pay Other Charges or late payment surcharge in accordance with sub-regulation (2) and sub-regulations (3) to (6), shall submit details of remittance in Form-I attached to these regulations, within seven days of making such payment and any entity liable to pay Other Charges or late payment in accordance with sub-regulation 2A and sub-regulations (3) to (6), shall submit details of remittance in Form-II attached to these regulations, within seven days of making such payment.”;

(d) after Form - I, the following Form - II shall be inserted, namely:

“Form – II

[See regulation 4(7)]

Details of annual other charges payable and paid as per Table specified in sub-regulation (2A) of regulation 4 for the financial year 20__

Name of Gas Exchange or Clearing Corporation				
Address of the Gas Exchange or Clearing Corporation				
Financial year of grant of authorization or Financial Year	Trade Value or Clearing value of the relevant Financial year	Annual Other Charges payable	Annual Other Charges paid	Mode of payment
Details of remittance: Demand Draft or pay order No. and date or Ref No. and date of Electronic payment, Bank and branch at which payable and Amount in Rs.				

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./259/2020-21]

Foot Note : The Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 732 (E), dated 26th November, 2007 and amended *vide* G.S.R. 477(E), dated 7th June, 2010, F. No. Legal/50/2013 dated

21st June, 2013, F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations, dated 3rd January, 2019 and F. No. PNGRB/Fin./8-OC (1)/2018 dated 13th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

फा.सं. पीएनजीआरबी/कॉम/3-पीपीपीएल टैरिफ(1)/2012 Vol-IV (पी-1018) – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण :-

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
2. ये दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे।

2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 4 में दसवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते संक्रमणकालीन 30.09.2020 तक की विस्तारित संक्रमण अवधि भी पूर्ण होने के पश्चात 30.9.2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए।”;

(ख) विनियम 5 में नौवें परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते इस विनियम के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए भी रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचारकर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन बेंचमार्क पर निर्णय ले सकता है।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./259/2020-21]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012, दिनांक 13.12.2012, फा. सं. पीएनजी आरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16.12.2014, फा. सं. एल/विविध/IV/1/2007, दिनांक 01.01.2015, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2016, दिनांक 19.12.2016, फा. सं. पीएन जीआरबी/एम(सी)/62/2017, दिनांक 19.12.2017, फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018, दिनांक 18.12.2018, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2019, दिनांक 18.04.2019, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 19.02.2020, फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 27.03.2020 और फा.सं.पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2020, दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 2020

F. No. PNGRB/COM/3-PPPL Tariff (1)/2012 Vol-IV (P-1018).—In exercise of the powers

conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, namely : -

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on 1st October, 2020.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, -

(a) in regulation 4, after the tenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the transitional period may on the completion of the extended transition period till 30.09.2020, be further extended up to, and inclusive of, 30.09.2021”;

(b) in regulation 5, after the ninth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the determination of the petroleum and petroleum products pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Fourth Amendment Regulations, 2020 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision.”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty.259/2020-21]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R 987(E), dated 20.12.2010 and subsequently amended *vide* F.No. PNGRB/M(C)/62/2012, dated 13.12.2012, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16.12.2014, F.No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015, F.No. PNGRB/M(C)/62/2016, dated 19.12.2016, F. No. PNGRB/M(C)/62/2017, dated 19.12.2017, F.No. PNGRB/M(C)/62/2018, dated 18.12.2018, F.No. PNGRB/M(C)/62/2019, dated 18.04.2019, F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 19.02.2020, F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 27.03.2020 and F.No. PNGRB/M(C)/62/2020, dated 30.06.2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/35-गैसवि./(2)/2020 (पी-1687).—धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के अनुसार और धारा 11 के खंड (क) और (ज) के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 के 19) की धारा 61 के खंड (जेडए) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (जेडए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन की स्थापना और संचालन को विनियमित करने और इससे संबंधित मामलों या इससे प्रासंगिक निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (i) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) है;
- (ii) "एक्सेस कोड" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य वाहक या संविदा वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एक्सेस कोड) विनियम, 2008;
- (iii) "संबद्ध" का अर्थ संबद्ध व्यक्ति के संबंध में संस्था या कंपनी के संबंध में किसी संबद्ध व्यक्ति से है: -
 - (क) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से कंपनी या संबद्ध व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के प्रबंधन या नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है; या
 - (ख) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी या संबद्ध व्यक्ति, जैसा मामला हो, मतदान अधिकार के छब्बीस (26) प्रतिशत से कम के शेयर न रखता हो; या
 - (ग) जो कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी बोर्ड के आधे से अधिक सदस्यों, या एक या एक से अधिक कार्यकारी निदेशक या कंपनी के बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या संबंधित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को नियुक्त करता है; या
 - (घ) जो कंपनी या संबद्ध व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, की गारंटी दे जो कुल ऋण के 10% से कम न हो;
- (iv) "स्वचालित ऑडिट ट्रेल" का अर्थ बाद की किसी तारीख और समय पर संदर्भ के लिए गैस विनियम की इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली में लेनदेन (सृजन, संशोधन या विलोपन) के स्वचालित सृजन और समय का क्रमवार रिकॉर्ड रखने से है;
- (v) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबद्ध" में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होगा:-
 - (क) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं द्वारा, या अन्य व्यक्तियों के संयोजन में, पहले व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है; या
 - (ख) जो पहले व्यक्ति के कुल मतदान अधिकार का कम से कम बीस प्रतिशत नियंत्रण रखता है; या
 - (ग) जो किसी धारिता कंपनी या पहले व्यक्ति की एक सहायक कंपनी है; या
 - (घ) जो पहले व्यक्ति का रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित) है; या
 - (ङ.) जो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसमें पहला व्यक्ति भी उसका एक सदस्य है; या
 - (च) ऐसे अन्य मामले जहां बोर्ड का विचार है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों और कारकों के आधार पर एक संबद्ध माना जाएगा जिसमें नियंत्रण, स्वतंत्रता, हितों का टकराव शामिल है;
- (vi) "आधार न्यूनतम पूंजी" का अर्थ होगा सदस्यता के एवज में गैस विनियम के सभी सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली जोखिम मुक्त जमा पूंजी;
- (vii) "बोली" का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जिसके द्वारा गैस विनियम का कोई बाजार भागीदार किसी अनुबंध के संबंध में मूल्य और मात्रा जमा करता है, जिसके लिए वह लेनदेन करना चाहता है;
- (viii) "बोर्ड" का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड;

- (ix) "उप-नियम" का अर्थ है गैस विनिमय द्वारा प्रबंधन और व्यापार करने के लिए गैस विनिमय द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रावधान, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं;
- (x) "क्षमता ट्रैच" या "सीटी" का अर्थ एक्सेस कोड में परिभाषित अनुसार होगा;
- (xi) "कार्टेलाइजेशन" का अर्थ है बाजार भागीदारों द्वारा एक कार्य जो अपने में सीमा या नियंत्रण या भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, बिक्री या मूल्य या व्यापार या लेनदेन या गैस में लेन-देन करने का प्रयास करता है;
- (xii) "समाशोधन" का अर्थ है गैस विनिमय में लेनदेन के पूरा होने के परिणामस्वरूप विनिमय के सदस्यों के दायित्वों के निर्धारण की प्रक्रिया;
- (xiii) "समाशोधन कॉर्पोरेशन" का अर्थ बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई कंपनी है जो प्राकृतिक गैस विनिमय में ट्रेडों के समाशोधन और निपटान कार्यकलाप करने के लिए स्थापित है और इसमें समाशोधन हाउस शामिल है;
- (xiv) "समाशोधन सदस्य" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनिमय के समाशोधन हाउस में अधिकार प्राप्त कर रहा हो, जो प्राकृतिक गैस में लेनदेन का अनुमोदन और निपटान कर सकता है;
- (xv) "ग्राहक" का अर्थ एक ऐसी कंपनी है, जिसने गैस विनिमय के सदस्य या ऐसे समाशोधन कॉर्पोरेशन के सदस्य के साथ कोई समझौता किया है और ऐसे सदस्य के माध्यम से/ या समाशोधन कर रहा है;
- (xvi) "कंपनी बोर्ड" का अर्थ है किसी गैस विनिमय का निदेशक मंडल;
- (xvii) "कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (20) में परिभाषित कंपनी होगी;
- (xviii) "अनुबंधित गैस मात्रा" का अर्थ है संबंधित खरीदार और विक्रेता के लिए संविदा के तहत गैस विनिमय द्वारा समाशोधित प्रत्येक गैस दिवस (एमएमबीटीयू, जीसीवी आधार में) की मात्रा;
- (xix) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है, जो उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक का समझौते या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके से प्राप्त होता है:
बशर्ते कि किसी कंपनी के निदेशक या अधिकारी द्वारा केवल ऐसा पद धारण करने मात्र से कंपनी पर नियंत्रण होना नहीं माना जाएगा,;
- (xx) "संविदा" का अर्थ किसी भी संविदा से होगा, जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है, जिसे गैस विनिमय में लेनदेन के लिए किया जाता है;
- (xxi) "आगामी दिवस संविदा" का अर्थ है ऐसी संविदाएं, जहाँ लेन-देन दिन (टी) में होता है और गैस की डिलीवरी अगले दिन (टी+1) पर होती है और जो राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रबंधन सेवाओं द्वारा निर्धारित होती हैं;
- (xxii) "प्रवेश बिंदु" का अर्थ उस बिंदु से है जिस पर गैस को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में डाला जाता है;
- (xxiii) "निकास बिंदु" का अर्थ उस बिंदु से है जहाँ से गैस को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से निकाला जाता है;
- (xxiv) "गैस एग्रीगेटर" का अर्थ एक व्यक्ति है जो विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं या खरीदारों से गैस की खरीद या बिक्री के लिए आदेश एकत्र करता है और गैस विनिमय के माध्यम से ट्रेड करता है;
- (xxv) "गैस विनिमय" का अर्थ है कि बाज़ार या (गैस बाज़ार) के अनुसार इन नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई विनिमय, जहाँ क्रेता और विक्रेता, (जिसमें एग्रीगेटर शामिल हो लेकिन जो इन तक ही

सीमित नहीं हैं, नगर गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडी) कंपनियां, उपभोक्ता, व्यापार लाइसेंसधारी) सदस्यों या ग्राहकों के रूप में संविदाओं पर लेनदेन करते हैं और जहां गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन ऐसे अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष है;

- (xxvi) "गैस हब" का अर्थ है कि बोर्ड द्वारा निर्धारित संविदाओं के अनुसार गैस के वितरण के लिए स्थान;
- (xxvii) "गैस परिवहन समझौता" (या जीटीए) का अर्थ एक्सेस कोड में परिभाषित अनुसार होगा;
- (xxviii) "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित अनुसार स्वतंत्र निदेशक होगा;
- (xxix) "अंतरंग" का अर्थ है वह व्यक्ति, -
 - (क) जो संबंधित घटना से पहले छह महीने के दौरान गैस विनिमय से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने अधिकारियों के साथ बार-बार संवाद के कारण या किसी भी संविदात्मक, न्यासी या रोजगार संबंध या गैस विनिमय के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने के नाते या गैस विनिमय, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, के साथ पेशेवर या व्यावसायिक संबंध सहित किसी भी स्थिति को धारण करके ऐसे व्यक्ति को गैस विनिमय के लेनदेन के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य के प्रति संवेदनशील जानकारी देता है; या
 - (ख) जो गैस विनिमय पर लेनदेन के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखता है या जिसकी उस तक पहुंच है; या
 - (ग) जिसने देश में ऐसे समय में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत आपराधिक गतिविधि द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली है;
- (xxx) किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा "अंतरंग व्यापार", -
 - (क) किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच होना, प्रदान करना या अनुमति देना, अन्य अंदरूनी सूत्रों सहित किसी भी व्यक्ति को, जहां इस तरह का संवाद वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए है; या
 - (ख) गैस विनिमय पर किसी भी संविदा का अधिग्रहण या निपटान करने के लिए, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करना, जिससे वह जानकारी संबंधित हो;
- (xxxi) "आंतरिक-दिवस संविदा" का अर्थ है वह संविदा, जहां लेनदेन दिवस (टी) या (टी-1) पर होता है और गैस की डिलीवरी दिवस (टी) पर होती है;
- (xxxii) "मुख्य प्रबंधन कार्मिक" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित अनुसार होगा;
- (xxxiii) "बाज़ार या गैस बाज़ार" का अर्थ एक ऐसा मंच या प्लेटफार्म है जहाँ क्रेता और विक्रेता, गैस विनिमय के माध्यम से गैस खरीदते या बेचते हैं;
- (xxxiv) "बाज़ार नियम" का अर्थ है गैस विनिमय द्वारा बनाए गए प्रावधान और गैस विनिमय में परिवहन प्रचालनों के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित;
- (xxxv) "गैस विनिमय का सदस्य" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों और लागू संबंधित गैस विनिमय के उप-नियमों और नियमों के अनुसार गैस विनिमय द्वारा प्रवेश दिया गया है;
- (xxxvi) "मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स" या "एमएमबीटीयू" का अर्थ है एक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स और यह आईएसओ 6976 में परिभाषित अनुसार सकल कैलोरी मान के आधार पर प्राकृतिक गैस की ऊर्जा सामग्री की यूनिट होगी।

- (xxxvii) "राष्ट्रीय गैस ग्रिड प्रबंधन सेवाएं" या "एनजीजीएमएस" का अर्थ एक्सेस कोड में परिभाषित अनुसार होगा;
- (xxxviii) "प्राकृतिक गैस" का अर्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड (जेडए) में दिए गए अनुसार तथा "गैस" में संदर्भित अनुसार होगा;
- (xxxix) "निवल मूल्य" का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल मूल्य तथा लाभ में से सृजित सभी रिजर्व, प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा घाटे के कुल मूल्य में कटौती करने के बाद लाभ एवं हानि खाते के बकाया ऋण, आस्थगित व्यय, विविध व्यय जो बट्टे खाते में न डाला गया हो तथा लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार लाभ एवं हानि खाते का बकाया ऋण, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित रिजर्व शामिल नहीं हैं, मूल्यहास को पुनः दर्ज करना तथा ऋण और अग्रिमों के कुल मूल्य से कम सहयोगियों या जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से गणना की जाए;
- (xl) "नेटिंग" का अर्थ है गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, द्वारा गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रत्येक सदस्य द्वारा परस्पर बाध्यताओं या दावों के निपटान या समायोजन से उत्पन्न निवल भुगतान का निर्धारण;
- (xli) "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में परिभाषित अनुसार इसे दिया गया अर्थ होगा;
- (xlii) "खुली स्थिति" का अर्थ है कि जब कोई लेन-देन किया गया हो तो खरीद या बिक्री की स्थिति, लेकिन वितरण या वित्तीय निपटान पूरा नहीं हुआ है और जहां एक संबंधित व्यक्ति कीमत या क्रेडिट या परिचालन जोखिम के संपर्क में रह सकता है;
- (xliii) "संचालन जोखिम" का अर्थ है कि तकनीकी कारणों से प्रणाली, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी त्रुटि, खराबी या गैस की गैर-अनुसूची के कारण संविदा में होने वाला कोई भी जोखिम;
- (xliv) "पाइपलाइन क्षमता संविदा" का अर्थ है गैस विनिमय या अन्यथा पर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षमता के द्वितीयक व्यापार के लिए कोई संविदा;
- (xlv) "मालिकाना सदस्य" का अर्थ है कोई सदस्य जो अपने स्वयं के खाते या अपने संबद्ध या सहयोगियों के आधार पर लेन-देन कर सकता है या अनुमोदन कर सकता है, लेकिन किसी और के खाते से नहीं;
- (xlvi) "सुरक्षित तरल निवेश" का अर्थ है नकदी परिसंपत्तियों में निवेश जिसमें हाथ में नकदी, नकद समकक्ष (जो अल्पावधि है, अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तित हो जाता है और जो मूल्य में परिवर्तनों के एक घातक जोखिम के अधीन होते हैं) और अनुसूचित बैंकों के साथ मांग और सावधि जमा;
- (xlvii) "निपटान गारंटी निधि" "एसजीएफ" का अर्थ है कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा रखे गए फंड का उपयोग गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के डिफॉल्ट उपाय तंत्र में निर्दिष्ट किए गए किसी भी सदस्य के डिफॉल्ट के निपटान के लिए किया जाना चाहिए और इसमें समय-समय पर गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित किसी भी स्रोत से निधि शामिल हो सकती है;
- (xlviii) "निपटान" का अर्थ है किसी विनिमय में लेनदेन के समाप्त होने के परिणामस्वरूप सदस्यों के दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया;
- (xlix) "आगामी अवधि संविदा" का अर्थ है ऐसी संविदा, जहाँ गैस की भौतिक डिलीवरी एक दिवस (टी+2) से अधिक की तारीख पर होती है, लेन-देन की तारीख (टी) के बाद होती है और डिलीवरी की निर्धारित अवधि होती है;
- (l) "व्यापार सदस्य" का अर्थ है किसी भी गैस विनिमय में ट्रेडिंग अधिकार रखने वाला व्यक्ति;

- (ii) "व्यापार और समाशोधन सदस्य" का अर्थ है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन में व्यापार और समाशोधन अधिकार दोनों रखता है;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, लेकिन जिन्हें अधिनियम में या उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

अध्याय II

बाजार अवसंरचना

3. इन विनियमों का कार्यक्षेत्र :

- (1) ये नियम निम्नलिखित प्रकार की संविदाओं पर लागू होंगे, अर्थात्:-
- (क) गैस विनियम पर लेनदेन की गई प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस ("एलएनजी") के लिए डिलीवरी आधारित संविदा, उदाहरण के लिए,
 - (क) आगामी दिवस संविदाएं;
 - (ख) आंतरिक-दिवस संविदाएं; तथा
 - (ग) आगामी अवधि की संविदाएं;
 - (ख) पाइपलाइन क्षमता संविदाएं, और
 - (ग) प्राकृतिक गैस या एलएनजी के व्यापार के लिए कोई संविदा, जिसमें अन्य स्थापित बाजारों में मूल्य संबंध या भारत में या अन्यथा सूचित सूचकांक शामिल है।
- (2) बोर्ड किसी अन्य विनियम के साथ गैस विनियम के बाजार युग्मन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है, जहां किसी वस्तु, जो प्राकृतिक गैस को एक प्रमुख इनपुट के रूप में उपयोग करके उत्पादित की जाती है, का व्यापार किया जाता है, ताकि इस तरह की वस्तु के निर्माता के जोखिम को कम किया जा सके।
- (3) इस तरह की अधिकारिता जैसा अपेक्षित हो, बोर्ड इन वस्तुओं और सेवाओं, और इस प्रकार की संविदाएं जैसी कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई हैं, के संबंध में व्युत्पन्न, आगामी और भावी संविदाओं के लिए संशोधनों या बिना संशोधनों के साथ इन विनियमों की प्रयोज्यता को लागू कर सकता है।
- (4) लागू विधियों के अनुपालन के अधीन, बोर्ड रुपये में निपटान के अधीन, विदेशी मुद्रा में निगमित गैस एक्सचेंज में अनुबंधों की अनुमति दे सकता है।

4. प्रयोज्यता:

- (1) ये विनियम सभी बाजार भागीदारों पर लागू होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -
- (i) गैस विनियम;
 - (ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कंपनी;
 - (iii) गैस उत्पादक;
 - (iv) गैस एग्रीगेटर;
 - (v) गैस शिपर;
 - (vi) व्यापार लाइसेंसधारी;
 - (vii) एलएनजी टर्मिनल या प्राकृतिक गैस आयातक;
 - (viii) एनजीजीएमएस;

- (ix) समाशोधन कॉर्पोरेशन;
- (x) गैस विनियम का सदस्य;
- (xi) समाशोधन कॉर्पोरेशन का सदस्य; और
- (xii) गैस विनियम में लेन-देन करने वाली कोई अन्य पार्टी।

5. बोर्ड द्वारा संविदाओं का अनुमोदन या निलंबन।

- (1) बोर्ड अपनी ओर से या इस संबंध में किए गए आवेदन पर, गैस विनियम पर लेनदेन के लिए किसी भी गैस विनियम को विनियम 3 में निर्दिष्ट संविदाओं को लागू करने की अनुमति दे सकता है।
- (2) गैस विनियम बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद विनियम 3 में निर्दिष्ट किसी भी नई संविदाओं को लागू कर सकता है और ऐसा अनुमोदन अनुचित रूप से रोक कर नहीं रखा जाना चाहिए।
- (3) नई संविदाओं के अनुमोदन के लिए, बोर्ड ऐसी नई संविदाओं के निम्नलिखित और ऐसे अन्य मापदंडों की जांच कर सकता है, जैसा वह उपयुक्त मानता है, अर्थात् :-
 - (i) संविदा का प्रकार (आंतरिक-दिवस, आगामी-दिवस, आगाम-अवधि संविदा और अन्य संविदाओं की तरह);
 - (ii) मूल्य खोज पद्धति और प्रस्तावित समकक्ष नियम;
 - (iii) लेनदेन की अवधि (जब लेनदेन शुरू होगा और वितरण शुरू होने से पहले किस अवधि का लेनदेन सत्र जारी रहेगा);
 - (iv) जोखिम प्रबंधन तंत्र;
 - (v) मार्जिन तंत्र;
 - (vi) अंतिम मूल्य निपटान तंत्र;
 - (vii) गैस वितरण तंत्र;
 - (viii) वितरण अवधि; तथा
 - (ix) संविदा विचलन के लिए दंड।
- (4) यदि बोर्ड की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह गैस विनियम को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात, आदेश द्वारा, गैस विनियम द्वारा की गई किसी भी संविदा पर किए गए लेन देनों को निलंबित करने या गैस विनियम से किसी भी संविदा को वापस लेने का निर्देश दे सकता है और बोर्ड द्वारा जैसा उपयुक्त समझा जाए, कोई भी परिणामी निर्देश बना सकता है।

6. बाजार और बाजार डिजाइन के सिद्धांत

- (1) गैस विनियम निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बाजार डिजाइन को अपनाएगा और संविदा विनिर्देश का प्रस्ताव करेगा, अर्थात् :-
 - (i) मूल्य खोज प्रणाली उचित, तटस्थ, प्रतिस्पर्धी और कुशल मूल्य सुनिश्चित करेगी;
 - (ii) बोली प्रणाली नीलामी या सतत रूप में हो सकती है;
 - (iii) संविदा डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे नकदी बढ़े; तथा
 - (iv) भौतिक बाजार डिजाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की सुरक्षा और अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगा। भौतिक बाजार डिजाइन और पाइपलाइन संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2009 का अनुपालन करेगा।

- (2) गैस विनिमय का सदस्य या ट्रेडर लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि या तो खरीदार या गैस विनिमय के पास संबंधित ट्रांसपोर्टर(रों) के साथ वैध गैस परिवहन समझौता (जीटीए) है, लेकिन, बोली लगाने के समय, खरीदार के पास सीटी समझौता हो सकता है या नहीं भी हो सकता।

यदि खरीदार के पास सीटी समझौता नहीं है, तो सदस्य या ट्रेडिंग लाइसेंसधारक गैस एक्सेस बुलेटिन बोर्ड (जीएबीबी) पर क्षमता की उपलब्धता की जांच करेगा और क्षमता की उपलब्धता के अधीन, सदस्य या ट्रेडिंग लाइसेंसधारक गैस विनिमय पर अपेक्षित संविदाओं के लिए बोली लगा सकता है। ऐसे खरीदारों के लिए इस तरह के लेनदेन के संबंध में पाइपलाइन की क्षमता स्वचालित रूप से बुक की जाएगी। यदि ऐसे सभी खरीदारों की संचयी क्षमता आवश्यकता उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो क्षमता का आवंटन विनिमय द्वारा अपने एल्गोरिथ्म के अनुसार किया जाएगा और तदनुसार लेनदेन को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही, ऐसे लेनदेन का विवरण गैस विनिमय द्वारा एनजीजीएमएस को सूचित किया जाएगा और जीएबीबी पर पाइपलाइनों में उपलब्ध क्षमता तदनुसार अद्यतन की जाएगी।

(3) गैस विनिमय में सदस्यों की श्रेणी:

(i) गैस विनिमय में सदस्य निम्न श्रेणी के होंगे:-

- (क) ट्रेडिंग सदस्य;
- (ख) समाशोधन सदस्य;
- (ग) ट्रेडिंग और समाशोधन सदस्य; तथा
- (घ) मालिक सदस्य,

वशर्ते कि बोर्ड ऐसे कार्यों को करने के लिए ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों को अधिकृत करने हेतु अलग-अलग नियमों को अधिसूचित कर सकता है जैसा कि ऐसे नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो।

(ii) गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन को सदस्यता प्रदान करने के योग्यता मानदंड, जिसमें बिना किसी सीमा के, संगठन संरचना का रूप, पेशेवर कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यता और अनुभव, प्रमुख वित्तीय अनुपात के अनुसार न्यूनतम निवल मूल्य और वित्तीय क्षमता, अयोग्यता, सदस्यों की श्रेणियां और ट्रेडों की मात्रा या समाशोधन या निपटान के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताएं और सीमा, यदि कोई हो, जो ऐसे सदस्य गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन में प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरीके से गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा सदस्यता के लिए आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, विवाद से बचने के प्रावधान, व्यवसाय में आवेदकों और सदस्यों का नैतिक व्यवहार और आचरण शामिल है, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियमों में विस्तार से दिए जाएंगे।

अध्याय III

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्राधिकार

7. प्राधिकार मांगने का दायित्व:

कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राधिकरण प्राप्त होने जाने तक किसी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की स्थापना या संचालन, उसका आयोजन या उसमें सहायता नहीं करेगा।

8. प्राधिकार के लिए आवेदन:

- (1) इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के रूप में प्राधिकार के लिए आवेदन, उसमें निर्दिष्ट अनुसार दस्तावेजों सहित अनुसूची 1 में तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य शुल्क की वसूली) विनियम, 2007 में निर्दिष्ट अनुसार आवेदन शुल्क सहित बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) ऐसे आवेदक आवेदन-पत्र दाखिल करने के सात दिन के अंदर आवेदन का मुख्य विवरण, प्रस्तावित लेनदेन प्लेटफार्म और वेबसाइट का पता कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों, जिसमें एक

इकोनोमिक दैनिक समाचार-पत्र भी शामिल है, में प्रकाशित करेगा, जहां से संलग्न दस्तावेजों सहित पूरा आवेदन प्राप्त किया जा सकता है, तथा समाचार-पत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर सार्वजनिक टिप्पणियां, सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगा। टिप्पणी, सुझाव और आपत्तियाँ सीधे बोर्ड को एक पत्र के माध्यम से या ईमेल द्वारा निम्नलिखित पते पर आवेदक को प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएंगी, नामतः -

सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,

प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

बाबर रोड,

नई दिल्ली- 110001

ई-मेल - secretary@pngrb.gov.in

- (3) दायर किया गया आवेदन और बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी बोर्ड द्वारा आवेदन के अंतिम निपटान से एक महीने की समाप्ति तक आवेदक की वेबसाइट पर पोस्ट करके रखी जाएगी।
- (4) आवेदक सार्वजनिक टिप्पणियों, सुझावों और आपत्तियों की प्राप्ति के अंतिम दिन से पंद्रह दिनों के भीतर पब्लिक नोटिस के उत्तर में प्राप्त टिप्पणियों, सुझावों और आपत्तियों पर बोर्ड के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा।

9. प्राधिकार प्रदान करने की शर्तें:

- (1) विनियमन 8 के तहत आवेदन इन विनियमों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।
- (2) उप-विनियम (1) में संदर्भित यदि कोई आवेदक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के रूप में प्राधिकार की मांग करता है, तो वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा:-
 - (i) आवेदक शेयरों द्वारा संचालित कंपनी है;
 - (ii) आवेदक डीमूटीलाइज्ड है;
 - (iii) आवेदक और उसके निदेशक विनियम 20 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अनुसार योग्य और उचित व्यक्ति हैं;
 - (iv) आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट स्वामित्व और अभिशासन संरचना से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है;
 - (v) आवेदक इन नियमों में निर्दिष्ट निवल मूल्य आवश्यकताओं को पूरा करता है; तथा
 - (vi) आवेदक अपनी वित्तीय क्षमता, कार्यात्मक विशेषज्ञता और ऐसी अन्य क्षमताओं, अवसंरचना आदि सहित अपेक्षित क्षमता को पूरा करता है।

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, शब्द "डीमूटीलाइज्ड" का अर्थ है आवेदक के स्वामित्व की पृथक्ता, आवेदक का प्रबंधन और व्यापारिक अधिकार या इन विनियमों के संदर्भ में आवेदक का समाशोधन अधिकार।

- (3) उप-विनियमों (1) और (2) में निर्दिष्ट क्रमशः निबंधन एवं शर्तों के अलावा, गैस विनियम के रूप में प्राधिकार मांगने वाला आवेदक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:-
 - (i) आवेदक के पास ट्रेडों के क्रमबद्ध निष्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है;
 - (ii) आवेदक के पास एक ऑनलाइन स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग प्रणाली है;

- (iii) आवेदक के पास ऑनलाइन निगरानी क्षमता है जो बाजार की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में स्थिति, कीमतों और मात्रा की निगरानी करता है;
 - (iv) आवेदक ने अपने व्यापारिक सदस्यों और समाशोधन कॉर्पोरेशन के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है;
 - (v) आवेदक के पास पर्याप्त निपटान गारंटी निधि है;
 - (vi) आवेदक के पास सदस्यों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों और उनके ग्राहकों की शिकायत के निपटान के लिए पर्याप्त निवारण तंत्र है तथा ट्रेडों और उनके निपटान से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता तंत्र है;
 - (vii) आवेदक को प्रतिदिन अपनी वेबसाइट पर प्रतिदिन ट्रेडों, मात्राओं और उद्धरणों के बारे में ऐसी सूचना प्रसारित करने की सुविधा है, जब बोर्ड द्वारा ऐसी कोई सूचना मांगी जाए, तो वह उसे बोर्ड को प्रदान करेगा;
 - (viii) गैस बाजार में विशेषज्ञता रखने वाली किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा आवेदक की व्यावसायिक व्यवहार्यता योजना का मूल्यांकन किया गया है;
 - (ix) आवेदक के पास व्यवसाय को बनाए रखने की योजना द्वारा समर्थित पर्याप्त सिस्टम क्षमता है, जिसमें आपदा रिकवरी साइट भी शामिल है;
 - (x) आवेदक को अपने रोजगार में, पर्याप्त संख्या में पेशेवर और बोर्ड की संतुष्टि के लिए अन्य प्रासंगिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या है;
 - (xi) गैस विनियम कम से कम दो पूर्णकालिक कुशल पेशेवरों को नियुक्त करेगा, जो तेल या गैस के क्षेत्र में प्रासंगिक योग्यता और अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रूप में व्यापार या वस्तुओं का व्यापार करते हैं; तथा
 - (xii) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली अन्य शर्तें।
- (4) उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा, समाशोधन कॉर्पोरेशन के रूप में प्राधिकार की मांग करने वाला आवेदक, निम्न शर्तों का पालन करेगा:
- (i) आवेदक के पास समय पर समाशोधन और ट्रेडों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा है;
 - (ii) आवेदक के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन तंत्र है;
 - (iii) आवेदक के पास बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके के अनुसार, मौजूदा ट्रेडों के निपटान के लिए नेटिंग, नोवेशन और गारंटी सहित निपटान प्रक्रिया स्थापित करने की क्षमता है;
 - (iv) आवेदक के पास ट्रेडों के निपटान की गारंटी के लिए लागू निपटान गारंटी निधि स्थापित करने की क्षमता है;
 - (v) आवेदक के पास समाशोधन सदस्यों का एक विस्तृत नेटवर्क रखने की आवश्यक क्षमता है और इसके सदस्यों को स्वीकार करने और विनियमित करने के लिए पर्याप्त सुविधा है;
 - (vi) आवेदक के पास ट्रेडों, मात्राओं और वास्तविक समय उद्धरण के बारे में सूचना प्रसारित करने की सुविधा है;
 - (vii) आवेदक ने समाशोधन बैंकों, गैस विनियम और समाशोधन सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया है;
 - (viii) आवेदक के पास मंजूर किए गए और निपटाए गए ऑन-लाइन या वास्तविक समय जोखिम प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रणालियों की क्षमता है, और यह आपदा रिकवरी साइट सहित किसी उपयुक्त व्यापार निरंतरता योजना द्वारा समर्थित है;
 - (ix) आवेदक के पास अपने रोजगार में, पर्याप्त संख्या में पेशेवर और बोर्ड की संतुष्टि के लिए अन्य प्रासंगिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या है;

- (x) समाशोधन कॉर्पोरेशन प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रूप में समाशोधन या लेनदेन के निपटान के लिए योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम दो पूर्णकालिक कुशल पेशेवरों को नियोजित करेगा;
- (xi) आवेदक के पास विवादों का समाधान करने तथा समाशोधन और ट्रेडों के निपटान से उत्पन्न शिकायतों का समाधान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था है;
- (xii) आवेदक ने ट्रेडों के समाशोधन और निपटान के संबंध में गैस विनियम के साथ कोई समझौता किया है; तथा
- (xiii) अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

10. पूछताछ करने और सूचना मांगने का अधिकार:

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, को प्राधिकार देने से पहले बोर्ड पूछताछ कर सकता है और आवेदक को ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जैसा वह आवश्यक समझता है।

11. प्राधिकार प्रदान करना:

- (1) बोर्ड गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार के लिए विनियम 8 के अंतर्गत किए गए आवेदन तथा विनियमन 8 के उप-विनियम (4) के तहत समाचार-पत्रों में प्रकाशित नोटिस के उत्तर में प्राप्त आपत्तियां और सुझाव और उस पर आवेदक के उत्तर पर ऐसी पूछताछ करेगा, जैसी अपेक्षित होगी। आगे ऐसी और सूचना प्राप्त करने के बाद, जैसी आवश्यकता होगी तथा संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने विनियम 9 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है और वह ऐसा कार्य करने के लिए पात्र है, गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा मामला हो, को स्थापित और संचालित करने के लिए ऐसी शर्तों, जैसा वह उचित समझे, के अधीन प्राधिकार प्रदान कर सकता है, और बोर्ड, प्राधिकार प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, और ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।
- (2) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, को दिया गया प्राधिकार अनुसूची 2 के अनुसार होगा।
- (3) गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन समय-समय पर बोर्ड द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।
- (4) गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, का प्राधिकार, उसके दिए जाने की तारीख से पच्चीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्राधिकार का नवीनीकरण, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता है।

12. प्राधिकार का नवीकरण:

- (1) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, जो अपने प्राधिकार का नवीनीकरण करना चाहता है, बोर्ड को ऐसे प्राधिकार के लिए अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अनुसार ऐसे दस्तावेजों सहित फार्म में आवेदन कर सकता है जो ऐसे प्राधिकार के समाप्त होने के पांच वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए।
- (2) नवीकरण के ऐसे आवेदन के साथ आवेदन शुल्क पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार की वसूली), विनियम 2007 में निर्दिष्ट अनुसार संलग्न होगा।
- (3) बोर्ड, आवेदन पर विचार करने के बाद और विनियमन 11 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अनुसार विधिवत विचार करने के बाद ऐसी शर्तों, जैसा वह उचित समझे, के अधीन प्राधिकार का नवीकरण प्रदान कर सकता है।
- (4) प्राधिकार का नवीनीकरण, विनियम 11 के उप-विनियम (4) में उल्लिखित अवधि के लिए होगा।

13. वार्षिक प्राधिकार प्रभार और अन्य प्रभार:

गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) विनियम, 2007 में निर्दिष्ट वार्षिक प्राधिकार प्रभार और अन्य प्रभार का भुगतान करेगा।

14. प्राधिकार वापस लेना:

- (1) यदि बोर्ड की राय है कि इन विनियमों के प्रावधानों के तहत गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को दिया गया प्राधिकार व्यापार के हित में या सार्वजनिक हित में वापस ले लिया जाए, तो बोर्ड ऐसे गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को लिखित में कारण बताओ नोटिस देगा कि बोर्ड नोटिस में दिए गए कारणों से दिए गए प्राधिकार को क्यों न वापस ले ले और उसे मामले में सुनवाई का अवसर देने के बाद बोर्ड, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, को दिया गया प्राधिकार वापस ले सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस विशेष रूप से और निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना जारी किया जा सकता है:-
 - (क) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का कामकाज बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इन विनियमों या किसी अन्य विनियम की निबंधन एवं शर्तों या प्राधिकार की शर्तों का उल्लंघन करता है;
 - (ख) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन किसी भी कदाचार में संलिप्त है;
 - (ग) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का निवल मूल्य किसी निर्दिष्ट राशि से कम है और तीन महीने के भीतर इसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती है; तथा
 - (घ) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड के किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है।
- (3) प्राधिकार को वापस लेने की तिथि से पहले की गई किसी भी संविदा की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, से परामर्श के बाद बोर्ड नोटिस को वापस लेने में ऐसा प्रावधान, जैसा वह उचित समझे, कर सकता है या उस तारीख को बकाया किसी भी संविदा के उचित निष्पादन या निपटान के लिए बाद में किसी पत्र द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकता है।
- (4) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार को वापस लेने या रद्द करने के परिणामस्वरूप, ऐसे गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सदस्य गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (5) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन किसी भी दावे के निपटान के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेगा, जो गैस विनिमय में लंबित मध्यस्थता के मामलों, मध्यस्थता प्रदान करने, देनदारियों या आकस्मिक प्रकृति के दावों, यदि कोई हो, और अनसुलझी शिकायतों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारी और उनके ग्राहक से संबंधित है।

15. निकास योजना:

गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के पास प्राधिकार प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित निकास योजना होगी, जिसमें गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को चालू संविदाओं को बंद करना होगा या बंद होने की स्थिति में गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की सभी लेनदेन संविदाओं के लिए उत्तराधिकार योजना और इन विनियमों के तहत प्राधिकार को रद्द करने या वापस लेने की योजना बनाई जाएगी। ऐसी अनुमोदित निकास योजना गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियमों में प्रदान की जाएगी।

अध्याय IV**गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन का निवल मूल्य****16. निवल मूल्य आवश्यकताएँ:**

- (1) प्रत्येक गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के पास न्यूनतम पच्चीस करोड़ रुपए का न्यूनतम निवल मूल्य होगा और उसे बनाए रखना होगा, लेकिन यदि, समाशोधन कॉर्पोरेशन गैस विनिमय का एक अभिन्न अंग है, तो न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता गैस विनिमय के अनुसार लागू होगी।

- (2) बोर्ड किसी भी समय, जोखिम प्रोफाइल और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता की जैसा वह आवश्यक समझे, समय-समय पर समीक्षा कर सकता है।
- (3) एक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन अपने शेयरधारकों को किसी भी माध्यम से मुनाफा वितरित नहीं करेगा यदि उसका निवल मूल्य इस विनियम के तहत न्यूनतम निर्दिष्ट धनराशि से कम है।
- (4) प्रत्येक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन;
 - (क) निरंतर आधार पर संचालन शुरू करने पर, पूंजी को बनाए रखेगा जिसमें प्रतिपक्ष ऋण जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, कानूनी और परिचालन जोखिम को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए प्रतिधारित आय और रिजर्व शामिल होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है; तथा
 - (ख) प्रचालनों को धीमा करने या रिकवरी के लिए आवश्यक लागत को कवर करने के लिए अतिरिक्त पूंजी रखेगा।
- (5) प्रत्येक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून तक इस विनियम के संदर्भ में अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों से पर्याप्त निवल मूल्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

अध्याय V

गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन का स्वामित्व

17. सामान्य शर्तें:

- (1) इन विनियमों में दिए गए अनुसार, गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के शेयरधारिता या मतदान के अधिकार किसी भी समय इस अध्याय में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।
- (2) इन विनियमों में निर्दिष्ट शेयरधारिता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित कोई भी उपाय शामिल होगा, जो किसी भी भावी तारीख में इक्विटी या इक्विटी पर अधिकार के लिए अधिकार प्रदान करता है।
- (3) यदि समाशोधन कॉर्पोरेशन, गैस विनियम का एक अभिन्न अंग है, तो गैस विनियम के लिए शेयरधारिता पैटर्न लागू होगा।

18. गैस विनियम का शेयरधारिता पैटर्न:

- (1) गैस विनियम में इक्विटी शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार होगा, अर्थात् :-
 - (i) गैस विनियम का कोई सदस्य, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो व्यक्तिगत या एसोसिएट, संबद्ध रूप में सहयोगियों या समूह में काम करने वाले व्यक्तियों से गैस विनियम में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेगा; और
 - (ii) किसी भी समय गैस विनियम के सभी सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसोसिएट, संबद्ध रूप में सहयोगियों या समूह में काम करने वाले व्यक्तियों से गैस विनियम में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनचास प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेंगे।
- (2) गैस विनियम के सदस्य के अलावा कोई भी व्यक्ति, गैस विनियम के प्राधिकार के पांच साल बाद, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो अलग-अलग या एसोसिएट, संबद्ध रूप में सहयोगियों या समूह में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ, गैस विनियम में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को गैस विनियम के प्राधिकार के पाँच वर्षों के भीतर पच्चीस प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी का विनिवेश करने की आवश्यकता होगी।

- (3) कोई भी समाशोधन कॉर्पोरेशन किसी भी गैस विनियम में किसी भी अधिकार, हिस्सेदारी या हित, जिस भी प्रकार का हो, नहीं रखेगा।
- (4) प्रत्येक गैस विनियम अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों या प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से शेयरधारिता पैटर्न को प्रमाणित करने और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर वर्ष जून की तेरह तारीख तक इन नियमों के अनुपालन के लिए एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

19. समाशोधन कॉर्पोरेशन के शेयरधारिता पैटर्न:

- (1) किसी समाशोधन कॉर्पोरेशन में पूंजी संरचना ऐसी होगी कि उसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हमेशा एक या अधिक गैस विनियमों द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अनुसार गैस विनियम को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार के पाँच वर्षों के बाद, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो व्यक्तिगत रूप से या संबद्ध रूप में सहयोगियों या समूह में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ गैस विनियम में समाशोधन कॉर्पोरेशन में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेगा। इस प्राधिकार की तारीख से गैस विनियम के लिए ऐसा अपवाद शुरू होने की तारीख से केवल पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है।
- (3) प्रत्येक अधिकृत समाशोधन कॉर्पोरेशन अपने वैधानिक लेखा-परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा या कंपनी सचिव को शेयरधारिता पैटर्न को प्रमाणित करने और हर वर्ष जून की तीस तारीख तक पूर्व वित्त वर्ष के दौरान इन नियमों के अनुपालन का प्रमाण-पत्र देगा।

20. योग्य और उचित व्यक्ति की आवश्यकता और मानदंड:

- (1) गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी हर समय योग्य और उचित व्यक्ति हों।
- (2) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति को योग्य और उचित व्यक्ति माना जाएगा, यदि –
 - (i) ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा और निष्पक्षता और अखंडता का रिकॉर्ड है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा, लेकिन जो इस तक ही सीमित नहीं हैं:-
 - (क) वित्तीय अखंडता;
 - (ख) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; तथा
 - (ग) ईमानदारी;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता न रही हो, अर्थात्:-
 - (क) व्यक्ति या उसके किसी भी निदेशक को अदालत ने नैतिक अपराध या किसी भी आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया है;
 - (ख) किसी व्यक्ति के खिलाफ हवा देने का आदेश पारित किया गया है;
 - (ग) व्यक्ति, या उसके किसी भी निदेशक को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया है;
 - (घ) अधिनियमों, तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों या किसी अन्य विनियामक प्राधिकार द्वारा पारित अन्य कोई अधिनियम या विनियम के तहत बोर्ड द्वारा किसी भी संस्था या उसके किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित करने, उस पर प्रतिबंध लगाने या उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पारित आदेश तथा आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो;

- (ङ) व्यक्ति को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा विकृत मन का पाया गया है और वह निष्कर्ष लागू हो;
- (च) व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है; तथा
- (छ) अन्य कोई अयोग्यता मानदंड जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
- (3) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निर्णय पर कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति योग्य और उचित व्यक्ति है, तो ऐसे प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय VI

गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की शासी संरचना

21. सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 में निगमित शासन मानदंड आवश्यक परिवर्तनों सहित गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन पर लागू होंगे, सिवाय उनके जिन्हें इन विनियमों में विशेष रूप से निपटाया जाएगा।
22. निदेशक मंडल की संरचना
- (1) प्रत्येक गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) स्वतंत्र निदेशक; तथा
 - (ii) पूर्णकालिक निदेशक(कों), यदि कोई हों, सहित अन्य निदेशक और प्रबंध निदेशक।
 - (2) निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष का चुनाव उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार स्वतंत्र निदेशकों में से किया जाएगा।
 - (3) स्वतंत्र निदेशकों की संख्या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में अन्य निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी।
 - (4) किसी भी गैस विनिमय और/ या समाशोधन कॉर्पोरेशन या उनके सहयोगियों या एजेंटों का कोई भी सदस्य, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन जिसका वह सदस्य है, की परवाह किए बिना किसी भी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में शामिल नहीं होगा। गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन, सतत आधार पर इस उप-विनियम की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके संबंधित निदेशक मंडल में नियुक्त किए गए निदेशक संबंधित बोर्ड में उनकी नियुक्ति के अनुमोदन के बाद किसी भी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के किसी भी सदस्य के साथ संबद्ध न हों।
 - (5) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के अध्यक्षों को निदेशक मंडल की बैठकों में वोट डालने का अधिकार होगा।
23. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें
- (1) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
 - (2) ऐसे स्वतंत्र निदेशकों को तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे अगले तीन वर्षों के एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकेगा, जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट अनुसार निष्पादन समीक्षा के अधीन होगा:

बशर्ते कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, में अवधि की समाप्ति के बाद, किसी स्वतंत्र निदेशक को किसी अन्य गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन में एक वर्ष के विराम काल के बाद तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है:

बशर्ते आगे यह कि किसी व्यक्ति को गैस विनिमयों और समाशोधन कॉर्पोरेशनों में अधिकतम तीन (3) कार्यकाल के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो पचहत्तर वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन है।

- (3) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक किसी भी संबद्ध कंपनी, या किसी अन्य गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन या उनकी किसी सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में एक साथ कार्य नहीं करेगा।
- (4) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक अपने निदेशक मंडल को किसी मतभेद के बारे में अवगत कराएगा, जो गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन या उनकी संबद्ध कंपनियों के किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वतंत्र सेवाएं प्रदान करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है।
- (5) कोई भी स्वतंत्र निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशक अर्थात् "अन्य निदेशक" नहीं बनेगा जब तक कि स्वतंत्र निदेशक बनने के बाद एक (1) वर्ष का विराम काल समाप्त न हो जाए।
- (6) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक, उस गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी या संबद्ध कंपनी, जैसा भी मामला हो, के बोर्ड में निदेशक नहीं बनेगा, जब तक कि स्वतंत्र निदेशक बनने के बाद एक वर्ष का विराम काल समाप्त न हो जाए।
- (7) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक उस गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की पाँच से अधिक समितियों में सदस्य के रूप में एक साथ कार्य नहीं करेगा।
- (8) स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को देय केवल बैठक शुल्क के माध्यम से पारिश्रमिक दिया जाएगा।
- (9) यदि कोई मुद्दा उठता है कि क्या किसी स्वतंत्र निदेशक का कार्य या पद उसकी भूमिका के प्रतिकूल है, तो उस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (10) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन अनुसूची 3 में निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

24. प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

- (1) किसी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण और समाप्ति, ऐसे बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर उनके संबंधित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्रबंध निदेशक –
 - (i) शेयरधारक या किसी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के शेयरधारक का एसोसिएट या सहयोगी या किसी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सहयोगी, जैसा भी मामला हो, के रूप में शेयरधारक नहीं होगा;
 - (ii) कोई सदस्य या उसके एसोसिएट या सहयोगी या एजेंट या शेयरधारक नहीं होगा; या
 - (iii) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की सहायक या संबद्ध कंपनी या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन से जुड़ी किसी अन्य कंपनी में एक साथ कोई भी पद धारित नहीं करेगा,

बशर्ते कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, के प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यह गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की सहायक या संबद्ध कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नहीं होगा।

- (3) बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति या सेवाओं को प्रबंध निदेशक और गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को सुनवाई का अवसर देने के बाद हटा सकता है या समाप्त कर सकता है, यदि ऐसा करना गैस बाजार के हित में उपयुक्त माना जाता है।
- (4) निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुसूची 3 के तहत निर्दिष्ट शर्तें गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू होंगी।
- (5) प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी या दैनिक संचालन का प्रभारी निदेशक या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन या उसकी धारित कंपनी या सहायक कंपनी के किसी भी सदस्य और उसके ग्राहकों से संबद्ध नहीं होगा।
- (6) प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि गैस विनिमय के सदस्यों की व्यक्तिगत बोलियाँ किसी निदेशक या गैस विनिमय के निदेशक मंडल के साथ साझा न की जाएं।

25. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

- (1) गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रत्येक निदेशक अनुसूची 4 में निर्दिष्ट अनुसार आचार संहिता का पालन करेंगे।
- (2) गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अनुसूची 5 के तहत निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।
- (3) निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इन विनियमों या आचार संहिता या आचार नीति या किसी भी हितों के टकराव के मामले में, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के संदर्भ में किसी भी विफलता के लिए बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है, जिसमें उन्हें और गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उनकी नियुक्ति को हटाना या समाप्त करना शामिल है।

26. मुआवजा और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का कार्यकाल

- (1) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" नामक एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कई स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।
- (2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित नामांकन और पारिश्रमिक समिति अपनी क्षतिपूर्ति नीति के संबंध में प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मुआवजे का निर्धारण करेगी।
- (3) ऐसे निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा और कार्यकाल गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार होगा।
- (4) उप-विनियम (1) में उल्लिखित नामांकन और पारिश्रमिक समिति विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पैनल की सिफारिश करेगी जिसे बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा और समिति निदेशक मंडल को निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश भी करेगी।

27. विनियामक विभागों का विभाजन

गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन इन विनियमों की अनुसूची 6 में निर्दिष्ट अनुसार अन्य विभागों से अपने विनियामक विभागों को पृथक करेगा।

28. वैधानिक समितियाँ

- (1) प्रत्येक गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अलावा, नीचे दिए गए उप-नियम (2) और (3) के अनुसार इसके निदेशक मंडल की समितियों का गठन करेगा।

- (2) कार्यात्मक समितियाँ में निम्नलिखित शामिल हैं अर्थात्:-
- चयन समिति; तथा
 - नामांकन और पारिश्रमिक समिति।
- (3) निगरानी समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-
- विनियामक निगरानी, बाजार निगरानी, प्रौद्योगिकी और एसजीएफ प्रबंधन समिति; तथा
 - जोखिम प्रबंधन समिति।
- (4) बोर्ड, इन विनियमों के प्रावधानों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन समय-समय पर उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के तहत निर्दिष्ट अनुसार समितियों के कार्यों की रूपरेखा, कोरम और विस्तृत दायरे को निर्दिष्ट कर सकता है।

29. समितियों का गठन

- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करेगा, जो सभी संभावित जोखिमों की निगरानी करेगा, जोखिम रोकथाम उपायों को निर्धारित करेगा और उसके अनुपालन की निगरानी करेगा।
- विनियामक निरीक्षण, बाजार निगरानी, प्रौद्योगिकी और एसजीएफ प्रबंधन समिति एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में होगी और इसमें गैस विनियम के कार्यकारी दल के सदस्य शामिल होंगे और इस समिति में गैस विनियम का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा।

30. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

- प्रत्येक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उप-धारा (1) के पैरा (ग) में परिभाषित अनुसार कंपनी सचिव होगा तथा अधिनियम, विनियमों, गैस विनियम के लागू उप-नियमों और नियमों और/ या समाशोधन कॉर्पोरेशन और इसके तहत जारी निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए तथा सदस्यों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों और उनके संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।
- अनुपालन अधिकारी उसके द्वारा देखे जाने वाले उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी प्रावधान का अनुपालन न किए जाने की रिपोर्ट तुरंत और स्वतंत्र रूप से बोर्ड को करेगा।

31. प्रकटीकरण और कॉर्पोरेट शासन के नियम

- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं और कॉर्पोरेट शासन मानदंड, आवश्यक परिवर्तनों सहित गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन पर लागू होंगे, सिवाय उनके जिनका विशेष रूप से इन नियमों में निपटान किया जाना है।
- गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति से दो महीनों के भीतर बोर्ड को तिमाही आधार पर लिखित रूप में उप-विनियम (1) के अनुपालन की पुष्टि करेगा।
- गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 134 के अनुसार, जैसा मामला हो, विनियामक कार्यों को सुदृढ़ करने और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन पर लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध संसाधनों का खुलासा करेगा।
- गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए गए शुल्क और प्रभार ऐसे गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन की निगरानी समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

32. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा जोखिम प्रबंधन।

- (1) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन बाजार के बदलते जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विवेकपूर्ण और गतिशील जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया तैयार करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा।
- (2) सदस्यों के जोखिम की निरंतर निगरानी की जाएगी और जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता के लिए उचित समय पर पर्याप्त मार्जिन एकत्र किया जाएगा।
- (3) सदस्य गैस विनिमय द्वारा ग्राहकों के बीच निवल या सकल आधार पर मार्जिन के अधीन होंगे। एक ही बाजार में एक सदस्य के विभिन्न ग्राहकों की देयता स्थिति को सीमित नहीं किया जाएगा।
- (4) सदस्य विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन नीति का पालन करेंगे और अपने ग्राहकों से समय पर मार्जिन लेने के लिए एक प्रणाली बनाएंगे। सदस्यों द्वारा ग्राहक से एकत्र किए गए मार्जिन की मात्रा सदस्यों के विवेक पर होगी, लेकिन ऐसा करते समय गैस विनिमय के उप-नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
- (5) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तिमाही प्रबंधन के आधार पर जोखिमों - मौजूदा और संभावित के प्रबंधन की रूपरेखा और गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की प्रक्रियाएं, विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन के संदर्भ की समीक्षा करेगी और उसे कम करने के उपायों की सिफारिश करेगी। आरएमसी निदेशक मंडल को अपनी प्रत्येक समीक्षा की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस विषय पर आरएमसी रिपोर्ट सहित निदेशक मंडल का निर्णय, प्रत्येक कैलेंडर की समाप्ति से दो महीने के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) गैस विनिमय या गैस परिशोधन, जैसा भी मामला हो, किसी भी दावे के निपटान के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करेगा, जो लंबित मध्यस्थता के मामलों, मध्यस्थता प्रदान करने, आकस्मिक प्रकृति की देनदारियों और दावों, यदि कोई हों, और सदस्यों की समाधान न की गई शिकायतों, गैस विनिमय से संबद्ध ट्रेडिंग लाइसेंसधारी या उनके ग्राहकों से संबंधित हैं।
- (7) बोर्ड गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन को एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करने के लिए निर्देश दे सकता है, जिसमें प्रतिभागियों की विश्वसनीयता की जाँच करने के लिए मानदंड, संबंधित अनुबंधों के लिए मार्जिन आवश्यकता, निपटान गारंटी निधि की पर्याप्तता और किसी भी अन्य परिचालन पहलुओं के साथ निपटान अवधि से संबंधित जोखिमों को कवर करना शामिल है।

33. गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन में चूक सुधार प्रणाली

- (1) किसी सदस्य को गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निर्देश या परिपत्र द्वारा दोषी घोषित किया जा सकता है यदि वह:-
 - (i) अपने समाशोधन या निपटान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है; या
 - (ii) अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने या निर्वहन करने में अपनी अक्षमता को स्वीकार या प्रकट करता है; या
 - (iii) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-कानूनों के तहत उस पर समाप्ति के कारण लगाए गए हर्जाने का निर्धारित समय में भुगतान करने में असफल रहता है या असमर्थ है; या
 - (iv) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के कारण किसी राशि जिसे इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, का भुगतान करने में विफल रहता है; या
 - (v) (ड) किसी सदस्य, जिसे ऐसे सदस्य की चूक की घोषणा के समय दोषी घोषित किया गया हो, को इस तरह से और ऐसे व्यक्ति को जैसा कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन निर्देशित करे, को देय गैस या अन्य संबंधित संपत्तियों का भुगतान या वितरण करने में विफल रहता है; या
 - (vi) अन्य किसी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा दोषी घोषित किया गया है; या
 - (vii) ऐसे सदस्य जिसके खिलाफ कोई दिवालिया या समाप्ति आदेश पारित किया गया है, तो ऐसे सदस्य को इस कारण से दोषी घोषित किया जाएगा, हालांकि वह उस समय विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन में अन्यथा दोषी नहीं हो सकता है; या

- (viii) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियमों और नियमों के तहत निर्धारित अनुसार मध्यस्थ निर्णय, जिस पर अंतिम निर्णय हो चुका है, का पालन करने में विफल रहता है; या
- (ix) किसी भी अन्य परिस्थिति में जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा बोर्ड की मंजूरी के साथ तय किया जा सकता है।
- (2) यदि सदस्य को दोषी घोषित किया जाता है और सदस्य गैस विनिमय के उप-कानूनों के अनुसार दावों के क्रिस्टलीकरण पर, अपने समाशोधन और निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो दोषी सदस्यों आदि की जमा राशि में से दावे की राशि को अलग रखा जाएगा। वसूल की गई राशि को सदस्य या ग्राहक, जैसा मामला हो, की जमा राशि में से एक ही समय में और समान रूप से ट्रांसपोर्टर, विक्रेता, खरीदार, एनजीजीएमएस और गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन सहित प्रभावित पक्षों, जैसा मामला हो, के बीच वितरित किया जाएगा। इसके बाद गैस विनिमय निम्नलिखित आदेश में चूक करने वाले सदस्य के दायित्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक सीमा तक निपटान गारंटी निधि और अन्य धन का उपयोग कर सकता है अर्थात्:-
- (i) जमानत का परिसमापन: किसी चूककर्ता सदस्य या ग्राहक द्वारा किसी भी रूप में मार्जिन सहित योगदान या जमा राशि।
 - (ii) सुरक्षा जमा का परिसमापन: चूककर्ता सदस्य द्वारा गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को दी गई सदस्यता जमा राशि।
 - (iii) परिसंपत्तियों का परिसमापन: ऐसे चूककर्ता सदस्य की संपत्ति गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के पास निहित होगी।
 - (iv) बीमा राशि: गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा चूक के खिलाफ सुरक्षा के लिए लिया गया बीमा, जैसा उनके द्वारा उपयुक्त समझा गया हो।
 - (v) निपटान गारंटी निधि की ओर गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्रारंभिक योगदान।
 - (vi) सभी सदस्यों या ग्राहकों द्वारा निपटान गारंटी निधि के लिए योगदान: निपटान गारंटी निधि के लिए जमा के अनुपात में सभी गैर-चूककर्ता सदस्यों या ग्राहकों का योगदान।
 - (vii) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का चालू वर्ष का लाभ, जिसमें जुर्माना, सदस्यों से लिया गया जुर्माना शामिल है।
 - (viii) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का रिजर्व।
 - (ix) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की इक्विटी पूंजी।
 - (x) ऊपर उल्लिखित निधियों के बाद बकाया शेष राशि को एसजीएफ में उनके योगदान के अनुपात में सदस्यों या ग्राहकों के योगदान से पूरी किया जाएगा।

बशर्ते कि समाशोधन कॉर्पोरेशन को हटाए जाने पर, चूक सुधार प्रणाली को समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा संभाला जाएगा, तथापि, गैस विनिमय व्यापार की गारंटी से उत्पन्न चूक का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो विक्रेता द्वारा चूक के मामले में वस्तु की आपूर्ति और/ या खरीदार द्वारा वस्तु की डिलीवरी लेने में विफलता के कारण होगा।

34. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और व्यापार प्रणाली

(1) गैस विनिमय निम्नलिखित का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

- (क) गैस विनिमय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली और दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करेगा, अर्थात्;
- (ख) गैस विनिमय के सदस्य द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को गैस विनिमय की ऑर्डर पुस्तिका में स्वीकृत करने से पहले निधियों की उपलब्धता या जोखिम प्रबंधन प्रणाली में जमा सुरक्षा राशि की दृष्टि से जांच की

जाएगी। समाशोधन कॉर्पोरेशन से समाशोधन कार्य को अलग करने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रखी जाएगी;

- (ग) बोलियों, प्रस्तावों, और आदेशों के मिलान या सुविधा पर लेनदेन के निष्पादन के स्वचालित लेखा-परीक्षा ट्रेल को कम से कम सात वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा;
- (घ) मूल्य का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का एल्गोरिथ्म बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार उप-नियमों और गैस विनियम के नियमों में उल्लिखित पद्धति के अनुपालन में होगा। गैस विनियम द्वारा प्राधिकार शुरू करने के तीन माह के अंदर और उसके बाद, बोर्ड द्वारा लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों को प्रस्तुत करने से पहले एक सक्षम एजेंसी द्वारा लेखा-परीक्षित किया जाएगा। लेखा-परीक्षा के लिए नियोजित संसाधनों में एल्गोरिथ्म और संबंधित उद्योग प्रमाणपत्र जैसे कि आईएसएसी से सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक) की योग्यता होगी या भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय के साथ पैनलबद्धता होगी;
- (ङ) यादृच्छिक आधार पर मूल्य का पता लगाने के लिए गैस विनियमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की लेखा-परीक्षा करने के लिए बोर्ड लेखा-परीक्षा कर सकता है या किसी एजेंसी को नियुक्ति कर सकता है। गैस विनियम बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए परीक्षण मामलों और परिदृश्यों के परीक्षण परिणामों को प्रस्तुत करेगा;
- (च) गैस विनियम अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से साइबर हमलों और खतरों से सिस्टम, नेटवर्क और साइबर को होने वाले जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक साइबर सुरक्षा और साइबर निपटान फ्रेमवर्क तैयार करेगा और उसे लागू करेगा तथा उसे सूचना के लिए उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;
- (छ) गैस विनियम प्रत्येक वर्ष सीईआरटी-इन (इंडियन कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल) के साथ पैनलबद्ध संगठन से डेटा सुरक्षा, डेटा अखंडता और परिचालन दक्षता के लिए समय-समय पर आईटी प्रणाली की लेखा-परीक्षा करेगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 31 मई तक प्रस्तुत करेगा।
- (ज) गैस विनियम विनियम में लेनदेन किए गए सभी अनुबंधों के संबंध में (ख) से (ङ.) तक उल्लिखित गतिविधियों की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा; तथा
- (झ) गैस विनियम एक आपदा रिकवरी स्थल का निर्माण करेगा और प्राधिकार की तारीख से तीन महीनों के भीतर आपात स्थिति में वैकल्पिक व्यापार सुविधा का निर्माण करेगा।

35. सुपुर्दगी प्रक्रिया

- (1) गैस विनियम में अनुबंधों का निर्धारण और वितरण एक्सेस कोड के अनुसार होगा। इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, गैस विनियम के माध्यम से लेन-देन के समय-निर्धारण का परिचालन बोर्ड द्वारा ऐसे एक्सेस कोड के तहत जारी विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार होगा। विस्तृत प्रक्रिया में निम्नलिखित पहलू शामिल किए जा सकते हैं जो केवल इन तक ही सीमित नहीं होंगे अर्थात्:-

- (i) विभिन्न अनुबंधों के लिए लेनदेन के समय-निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना और उन पर कार्रवाई करना;
- (ii) आंतरिक-दिवस, आगामी-दिवस और आगामी-अवधि लेनदेन का समय-निर्धारण;
- (iii) वास्तविक समय में कटौती के लिए प्रक्रिया;
- (iv) पाइपलाइन की क्षमता की उपलब्धता और व्यापार अनुबंधों के लिए प्रवाह का आकलन करने के लिए एनजीजीएमएस के साथ समन्वय;
- (v) (ङ.) परिवहन शुल्क, विभिन्न अन्य शुल्क, फीस और अन्य वाणिज्यिक शर्तें;

(vi) भुगतान और भुगतान में चूक; और

(vii) गैस विनिमय के माध्यम से अनेक लेनदेनों के समय-निर्धारण के संचालन से संबंधित अन्य कोई मुद्दा।

- (2) चूक अर्थात् असंतुलन, अतिदेय आदि और ऐसी अन्य चूक के लिए शुल्क या दंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवा) विनियम, 2016 के अनुसार होगा।
- (3) एनजीजीएमएस और गैस विनिमय के बीच सभी डेटा अंतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सुरक्षित संचार चैनल के माध्यम से किया जाएगा।
- (4) गैस विनिमय, शिपर, एनजीजीएमएस, ट्रांसपोर्टर, विक्रेता, खरीदार आदि और ऐसे अन्य ट्रांसपोर्टरों के पास वर्तमान में लागू गैस विनिमय के एक्सेस कोड और उप-नियमों में परिभाषित अधिकार और दायित्व होंगे।

36. सदस्यों और ग्राहकों की शिकायत का निवारण

- (1) गैस विनिमय एक शिकायत निवारण समिति या फोरम का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।
- (2) गैस विनिमय अपनी वेबसाइट पर सदस्यों, ट्रेडिंग लाइसेंसधारियों या उनके सदस्यों द्वारा गैस विनिमय के खिलाफ और उसके सदस्यों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों का विवरण और ऐसी शिकायतों के समाधान की स्थिति को दर्शाएगा।
- (3) गैस विनिमय भी अपनी वेबसाइट पर उसके द्वारा विवाद समाधान तंत्र का खुलासा करेगा।
- (4) बोर्ड गैस विनिमय द्वारा किसी भी विशिष्ट शिकायत के समाधान संबंधी सूचना मांग सकता है।

अध्याय VII

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन के सामान्य दायित्व

37. व्यापारों का समाशोधन और निपटान

- (1) गैस विनिमय गैस विनिमय के भाग के रूप में एक समाशोधन हाउस की स्थापना करके अपने व्यापारों का समाशोधन और निपटान कार्य कर सकता है जब तक कि बोर्ड अपने व्यापारों के समाशोधन और निपटान के लिए कोई पृथक समाशोधन कॉर्पोरेशन की सेवाओं का उपयोग करने के लिए किसी विनिमय केंद्र को अधिसूचित नहीं करता है।
- (2) प्रत्येक गैस विनिमय, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तारीख से अपने व्यापारों के समाशोधन और निपटान के लिए एक अलग समाशोधन कॉर्पोरेशन की सेवाओं का उपयोग करेगा।

38. गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के बीच समझौता

गैस विनिमय अपने अधिकारों और दायित्वों, समाशोधन और निपटान के लिए गैस मात्रा को स्वीकार करने की शर्तें, जोखिम प्रबंधन उपाय, समाशोधन और निपटान तथा अन्य आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए प्रभारों को निर्धारित करते हुए लिखित समझौते के अनुसार समाशोधन कॉर्पोरेशन की सेवाओं का लाभ उठाएगा।

39. निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ)

- (1) प्रत्येक समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनिमय, जैसी भी स्थिति हो, गैस विनिमय पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान की गारंटी के लिए एक निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) की स्थापना और रखरखाव करेगा:
बशर्ते कि यदि कोई गैस विनिमय एक से अधिक समाशोधन कॉर्पोरेशनों के साथ किया जाता है, तो वह समाशोधन कॉर्पोरेशनों के बीच परस्पर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समाशोधन कॉर्पोरेशनों के साथ लिखित में एक बहु-पक्षीय समझौता करेंगे।

- (2) गैस विनियम और/ या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा मामला हो, के सदस्य की स्थिति में अपने निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल होने पर, एसजीएफ का उपयोग निपटान को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

40. निपटान गारंटी निधि में योगदान

- (1) इस विनियम में निर्दिष्ट निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) में योगदान, गैस विनियम, समाशोधन कॉर्पोरेशन और गैस विनियम और/ या समूह के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिस तरह से गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - (2) एसजीएफ में कमी के मामले में, समाशोधन कॉर्पोरेशन और गैस विनियम एसजीएफ को उसके प्रारंभिक स्तर की राशि की फिर से पूर्ति करेगा, जैसा कि इन विनियमों में या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - (3) नीचे निर्दिष्ट अनुसार एसजीएफ के घटक, अर्थात्:
 - (i) कोई भी गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, विनियम की शुरुआत में एसजीएफ में न्यूनतम बीस (20) करोड़ रुपए का शेष रखेगा। इसमें सभी सदस्यों की आधार न्यूनतम पूंजी शामिल होगी और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा शेष राशि, यदि कोई हो, का योगदान किया जाएगा।
 - (ii) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, द्वारा एसजीएफ में एक-चौथाई योगदान दिया जाएगा, जो गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, के सकल राजस्व के कुल योग के पांच (5) प्रतिशत के बराबर होगा;
 - (iii) एसजीएफ के सभी निवेशों (आधार न्यूनतम पूंजी सहित) पर मिलने वाला प्रतिलाभ या कोई अन्य आय; तथा
 - (iv) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा लगाए गए सभी दंड।
 - (4) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा लागू हो, एसजीएफ की आय को सुरक्षित तरल निवेश में या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक वर्ष से कम की परिपक्वता के साथ जारी किए गए मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश करेगा।
 - (5) एसजीएफ निधियों को गैस विनियम द्वारा बनाए रखा जाएगा जब तक कि गैस विनियम द्वारा एसजीएफ को बनाए नहीं रखा जाता है। समाशोधन कार्यों को हटाकर अलग समाशोधन कॉर्पोरेशन बनाने के मामले में, एसजीएफ निधियों को समाशोधन कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित किया जाएगा।
 - (6) गैस विनियम द्वारा एसजीएफ के लिए निधियों के योगदान को एसजीएफ के न्यूनतम संतुलन को बनाए रखने के लिए समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (7) गैस विनियम एसजीएफ से संबंधित प्रावधानों को गैस विनियम के उप-नियमों में विस्तार से शामिल करेगा।
 - (8) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, बोर्ड को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ एसजीएफ के निवेश का विवरण प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा।
 - (9) बोर्ड विनियम 3 के उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसा प्राधिकार प्राप्त करने के बाद व्युत्पन्न, आगामी और भावी अनुबंधों को पेश करने पर एसजीएफ के अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंडों और वृद्धिशील आवश्यकता को निर्देशित कर सकता है और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- #### 41. समान, निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच
- (1) समाशोधन कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत ढाँचा निर्धारित करेगा कि गैस विनियम में निष्पादित ट्रेडों के निपटान में समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करते समय गैस विनियम के शेयरधारक और गैर-शेयरधारक के बीच कोई भेदभाव न हो।

- (2) समाशोधन कॉर्पोरेशन उप-विनियम (1) का अनुपालन सुनिश्चित करने वाला एक ढांचा बनाएगा और इसे अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा, जिसके आधार पर शेयरधारकों को इसकी समाशोधन और निपटान सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई है।
- (3) समाशोधन कॉर्पोरेशन और गैस विनियम अपने एसोसिएट या सहयोगियों के प्रति बिना किसी पक्षपात के सभी व्यक्तियों के लिए समान, अप्रतिबंधित, पारदर्शी और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- (4) यदि किसी समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनियम की सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करने का कोई मुद्दा उत्पन्न होता है, तो उस संबंध में उस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

42. बही-खातों और अभिलेखों का रखरखाव

- (1) वर्तमान में प्रचलित किसी भी अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन सात वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए निम्नलिखित बही खातों और दस्तावेजों को बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा, अर्थात्:-
 - (i) कंपनी बोर्ड और उसकी सभी समितियों की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका;
 - (ii) निपटान उद्देश्यों के लिए बैंक खातों के पूरे नाम, पते और विवरण दर्शाने वाले सदस्यों का रिकॉर्ड;
 - (iii) लेनदेन रिकॉर्ड;
 - (iv) सुरक्षा जमा का रिकॉर्ड;
 - (v) मार्जिन जमा पुस्तक;
 - (vi) ग्राहक मार्जिन संग्रह विवरण;
 - (vii) बही-खाता;
 - (viii) पत्रिकाएं;
 - (ix) रोकड़ बही;
 - (x) बैंक खाता विवरण; तथा
 - (xi) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बही खातों और दस्तावेजों की ऐसी अन्य पुस्तकें।

43. वार्षिक वित्तीय विवरण और विवरणी प्रस्तुत करना।

गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 30 जून तक तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष (जिसमें आय विवरण, तुलन-पत्रक, नकद प्रवाह और वित्तीय विवरण शामिल होंगे जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे) के अपने लेखा-परीक्षित विवरणों सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

44. गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियम और नियम

- (1) गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन, बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से अनुबंधों के विनियम और समाशोधन और निपटान के लिए उप-नियम और बाजार नियम बनाएगा जो इन विनियमों के प्रतिकूल नहीं होंगे।
- (2) संस्था के बहिर्नियम, संस्था के अंतर्नियम या अन्य कोई संविधान दस्तावेज़, जहाँ तक वे इन विनियमों, उप-विनियमों और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के नियमों में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित हैं, में संशोधन बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
- (3) गैस विनियम अपने उप-नियमों और बाजार नियमों के अनुसार कार्य करेगा जो गैस विनियम द्वारा बनाए गए हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं, और
 - (i) अन्य आवश्यकताओं सहित ऐसे बाजार नियमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) सदस्यता और ग्राहक पंजीकरण प्रक्रिया (केवाईसी सहित), सदस्यता के प्रकार, सदस्यता शुल्क, आवेदन प्रक्रिया;
- (ख) मूल्य का पता लगाना और मिलान प्रणाली;
- (ग) सदस्यता के लिए योग्यता बहिष्करण, निलंबन और निष्कासन
- (घ) प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों के लिए अधिकार और दायित्व;
- (ङ) लेनदेन के घंटों की शुरुआत और बंद करना, व्यापारिक दिन, लेनदेन का मिलान, बोली प्रक्रिया, लेनदेन और निपटान कैलेंडर;
- (च) वितरण, वितरण दायित्वों, शेड्यूलिंग, असंतुलन प्रबंधन, मात्रा, गुणवत्ता, माप, गैस विनिर्देश, कर आदि;
- (छ) ट्रेडों का समाशोधन और निपटान कैलेंडर
- (ज) संविदा के प्रकार;
- (झ) सेवा की शर्तें, तकनीकी सुविधाएं, विनिमय की देयता, गोपनीयता आदि;
- (ञ) मार्जिन आवश्यकताएं;
- (ट) निम्नलिखित से संबंधित चूक से निपटने की प्रक्रिया:-
 - (i) क्रेता चूक उपाय प्रणाली;
 - (ii) विक्रेता चूक उपाय प्रणाली; तथा
 - (iii) क्रेता या विक्रेता चूक के कारण प्रणाली असंतुलन के लिए ट्रांसपोर्टर को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रणाली;
- (ठ) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने वाले अन्य प्रावधान।
- (ii) अन्य आवश्यकताओं संबंधी उप-नियमों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-
 - (क) बाजार निगरानी और जांच प्रक्रिया;
 - (ख) समाशोधन और निपटान प्रक्रिया;
 - (ग) जोखिम प्रबंधन ढांचा;
 - (घ) विनिमय लेनदेन प्रभार की वसूली;
 - (ङ) सदस्य सेवा प्रभार;
 - (च) अभिलेखों और खातों का रखरखाव;
 - (छ) वार्षिक खातों की तैयारी और उसकी लेखा-परीक्षा;
 - (ज) मध्यस्थता, विवाद समाधान और सुलह;
 - (झ) गैस केंद्रों की पहचान और परिभाषित करने की प्रक्रिया;
 - (ञ) विनिमय, जोखिम प्रबंधन पर लेनदेन;
 - (ट) एसजीएफ – इसका योगदान, उपयोग, भुगतान;
 - (ठ) आचार संहिता;
 - (ड) शिकायतों के निवारण की प्रणाली;
 - (ढ) अधिकार और दायित्व;

- (ण) विनियम, विनियम समिति और उसके कामकाज का प्रबंधन;
 - (त) गोपनीयता;
 - (थ) विकास योजना; और
 - (द) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने वाले अन्य प्रावधान।
- (4) उप-विनियम (3) में उल्लिखित अनुसार बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के अधीन उप-नियमों और बाजार नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
- (5) विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकार प्रदान करने के आवेदन के समय, आवेदक इस नियम के अनुसार उप-नियमों और बाजार नियमों का मसौदा प्रस्तुत करेगा।

45. निपटान और नेटिंग

- (1) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन में पक्षकारों के बीच लेन-देन के संबंध में भुगतान और निपटान ऐसे गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-कानूनों में निर्दिष्ट नेटिंग या सकल प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (2) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियमों के तहत बनाए गए उप-नियम (1) में उल्लिखित पार्टियों के बीच लेनदेन के संबंध में भुगतान और निपटान, ऐसे पक्षकारों पर अंतिम, अपरिवर्तनीय और बाध्यकारी होगा।
- (3) जब कोई समझौता अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन, जैसा भी मामला हो, का अधिकार गैस विनियम और/ या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सभी सदस्यों और उनके ग्राहकों द्वारा योगदान की गई किसी भी सुरक्षा राशि या जमा राशि या मार्जिन का उचित इस्तेमाल गैस निपटान या समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-कानूनों के अनुसार इसके निपटान या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा जिसमें उक्त सदस्य के खिलाफ किसी अन्य देयता या दावे को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण - संदेह को दूर करने के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस विनियम में संदर्भित निपटान, चाहे सकल हो या निवल, धनराशि, या ऐसे लेनदेन के परिणामस्वरूप देय अन्य लेनदेन निर्धारित होते ही अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है, भले ही ऐसी धनराशि या अन्य लेनदेन का वास्तव में भुगतान नहीं किया गया हो।

46. समाशोधन कॉर्पोरेशन के अधिकार

समाशोधन कॉर्पोरेशन को गैस विनियम और/ या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सभी सदस्यों से उनके समाशोधन और निपटान कार्य करने से उत्पन्न बकाया को सुरक्षा राशि, जमा राशि और सदस्यों की परिसंपत्तियों से वसूलने का अधिकार होगा, जिसमें इन नियमों के अंतर्गत उक्त सदस्य के खिलाफ किसी अन्य देयता या दावे को प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय VIII

निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन

47. बाजार निगरानी

इस अध्याय VIII में उल्लिखित जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बोर्ड ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह बाजार की निगरानी करने और पर्यवेक्षण बनाए रखने और निम्नलिखित परिस्थितियों में बाजार की अखंडता की जांच करने के लिए उपयुक्त समझता हो, अर्थात्:-

- (i) जोड़-तोड़ या छेड़छाड़ करने का प्रयास;
- (ii) ऐसे लेनदेन जो भ्रामक या कपटपूर्ण हैं, या जिनसे गुमराह होने या धोखा खाने की संभावना हो;
- (iii) मूल्य में अस्थिरता के लिए अनुचित सट्टेबाजी;

- (iv) परिसंघ बनाने का कोई भी रूप;
- (v) बाजार के दुरुपयोग का अन्य कोई रूप; और
- (vi) किसी भी बाजार प्रतिभागी द्वारा प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग।

48. हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियाँ

- (1) बोर्ड इस बात पर संतुष्ट होने पर कि नीचे उल्लिखित परिस्थितियों में से कोई भी मौजूद है या जिसके बाजार में घटित होने की संभावना है, एक आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो आवश्यक हैं, अर्थात् : -
 - (i) प्राकृतिक गैस की कीमतों में असामान्य वृद्धि या कमी;
 - (ii) प्राकृतिक गैस और उच्च अस्थिरता के मूल्यों में अचानक या अनुचित उतार-चढ़ाव या अनुचित परिवर्तन; तथा
 - (iii) गैस विनिमय पर अचानक उच्च लेन-देन की मात्रा।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के बिना, बोर्ड लिखित रूप में आदेश दे सकता है:
 - (i) विराम काल (बढ़ी हुई अस्थिरता के मामले में) के लिए लेनदेन गतिविधियों को बंद करना;
 - (ii) गैस विनिमय पर किसी भी विशिष्ट अनुबंध के लेनदेन को बंद करना;
 - (iii) गैस विनिमय पर किए गए लेनदेन (कीमतों की अत्यधिक अस्थिरता या उच्च सट्टेबाजी के मामले में) अनुबंधों के लिए मार्जिन बढ़ाना;
 - (iv) केवल व्यापार निपटान के लिए व्यापार की अनुमति देना;
 - (v) (ड.) गैस विनिमय पर एक प्रतिभागी या प्रतिभागियों के समूह की खुली स्थिति को सीमित करना;
 - (vi) गैस विनिमय पर बाजार-व्यापी स्थिति को सीमित करना; तथा
 - (vii) गैस विनिमय से समाशोधन कॉर्पोरेशन को समाशोधन और निपटान कार्य को बंद करने की आवश्यकता होती है।

49. सूचना मंगाने का अधिकार

बोर्ड गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन से किसी भी सूचना, दस्तावेज या रिकॉर्ड के लिए समय-समय पर मांग कर सकता है।

50. निरीक्षण का अधिकार

- (1) बोर्ड किसी भी समय, किसी भी गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का निरीक्षण कर सकता है, किसी भी सहयोगी या ऐसे विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सहयोगी से पूछताछ और ऑडिट कर सकता है।
- (2) जहां बोर्ड द्वारा उप-नियम (1) के तहत कोई निरीक्षण किया जाता है, वहां ऐसे गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन या इसके सहयोगी और प्रत्येक प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, चेयरपर्सन या अधिकारी और ऐसे गैस विनिमय के अन्य कर्मचारी, समाशोधन कॉर्पोरेशन, या सहयोगी या एसोसिएट बोर्ड के साथ सहयोग करेंगे।

51. बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश

अधिनियम और नियमों या विनियमों के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के पक्षपात के बिना, बोर्ड स्वतः या किसी भी सूचना की प्राप्ति पर या किसी निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के लंबित होने के दौरान या उसके पूरा होने पर,

प्रतिस्पर्धी प्राकृतिक गैस बाजारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्देश, जैसा वह उचित समझता है, जारी कर सकता है।

52. कुछ मामलों की जांच

(1) बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि विनियम 47 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में से कोई भी मौजूद है, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा, किसी भी गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन या ट्रेडिंग लाइसेंसधारी (इसके बाद "जांच किए जा रहे व्यक्ति" के रूप में संदर्भित) के सदस्य को किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण को लिखित में प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है, जिसमें उनके लेनदेन, गतिविधि, व्यवसाय प्रथा, व्यवसाय व्यवहार से संबंधित कोई सीमा शामिल नहीं है।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के बावजूद, बोर्ड का कोई अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति (इसके बाद "जांच प्राधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट) को किसी भी व्यक्ति के मामलों की जांच करने के लिए निर्दिष्ट करने का आदेश दे सकता है, जिसमें उसके बही खातों की जांच करना शामिल है, और वह ऐसी जांच पर बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि जांच प्राधिकारी, जहां-कहीं भी आवश्यक हो, इस विनियम के तहत किसी भी जांच में सहायता प्रदान करने के लिए किसी भी लेखा-परीक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं।

इसके अलावा, बोर्ड ऐसे गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन या ट्रेडिंग लाइसेंसिंग के सदस्य के अनुरोध पर, जैसा भी मामला हो, उसे जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान कर सकता है।

(3) यह प्रत्येक प्रबंधक, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, निदेशक, प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह जांच प्राधिकारी को उप-विनियम (2) के तहत जांच करने के लिए निर्देशित किए जाने से पहले उसके कब्जे या अधिकार में ऐसे सभी बही खातों, प्राधिकार और अन्य दस्तावेजों की जांच करे और उसे जांच किए जाने वाले व्यक्ति के मामलों से संबंधित

किसी विवरण और सूचना के साथ प्रस्तुत करें क्योंकि उक्त जांच प्राधिकारी को उनकी ऐसी समयावधि के भीतर आवश्यकता हो सकती है जैसा कि जांच प्राधिकारी निर्देश दे सकता है।

(4) उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के तहत किसी भी सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, बोर्ड रिपोर्ट के संबंध में अभ्यावेदन करने के लिए जांच किए जा रहे व्यक्ति को ऐसा अवसर देने के बाद, जो बोर्ड की राय में उचित प्रतीत होती हो, और अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद लिखित रूप में आदेश दे सकता है-

(i) जांच किए जा रहे व्यक्ति से यह अपेक्षा हो कि रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है, जैसा बोर्ड उचित समझे; या

(ii) इन विनियमों के तहत गैस विनियम, समाशोधन कॉर्पोरेशन और ट्रेडिंग लाइसेंसधारी के प्राधिकार को रद्द करना;

(iii) किसी सदस्य की सदस्यता रद्द करने के लिए प्रत्यक्ष गैस विनियम करना; या

(iv) गैस विनियम करने के लिए गैस विनियम को निर्देशित करना; या

(v) समाशोधन और निपटान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समाशोधन कॉर्पोरेशन को निर्देशित करना,

बशर्ते कि इस उप-विनियम में ऊपर विनिर्दिष्ट कोई कार्रवाई तब तक न की जाए जब तक कि उस व्यक्ति, जिसकी जांच की जा रही है, को सुनवाई का मौका नहीं दे दिया जाता है।

(5) बोर्ड प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर कि कोई व्यक्ति इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है, किसी भी समय, लिखित रूप में, किसी भी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के मामलों की जांच

करने और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। विनियम 53 के प्रावधान इस उप-विनियम में निर्दिष्ट जांच के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

53. अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार

जहां किसी जांच या हस्तक्षेप के दौरान, बोर्ड इस बात से संतुष्ट होता है कि इन विनियमों के उल्लंघन में एक अधिनियम प्रतिबद्ध और/ या जारी किया गया है या ऐसा कोई कार्य किया जाने वाला है, बोर्ड आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए तब तक अस्थायी रूप से रोक सकता है जब तक ऐसे व्यक्ति को नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसी जाँच या हस्तक्षेप पूरा न हो जाए या अगला आदेश जारी न कर दिया जाए।

अध्याय IX

विविध

54. सूचना प्रसार

- (1) गैस विनियम अपनी वेबसाइट पर सभी प्रासंगिक मूल्य संवेदनशील सूचना के लिंक का संकलन प्रदर्शित करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा जो इन तक ही सीमित नहीं हैं:-
 - (i) गैस के मूल्य की सूचना;
 - (ii) एनजीजीएमएस द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए कोई भी तत्काल बाजार सूचना;
 - (iii) लागू एक्सेस कोड के प्रावधानों के अनुसार नियोजित रखरखाव अनुसूची; तथा
 - (iv) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल, घरेलू गैस फील्ड और अन्य सुविधाओं से संबंधित कोई भी घटना जिसके परिणामस्वरूप गैस की आपूर्ति में कमी या रुकावट आ सकती है।
- (2) ऐतिहासिक और वर्तमान कीमतें (खुली, बंद, अधिकतम, न्यूनतम, भारित औसत, स्पष्ट), मात्रा, बोलियाँ और प्रस्ताव, विनियम की वेबसाइट पर बाजार क्षेत्र-वार उपलब्ध कराए जाएंगे और इन्हें विभिन्न प्रारूपों में डाउनलोड किया जा सकेगा।
- (3) गैस विनियम नियमित आधार पर सदस्यों और ग्राहकों के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

55. बाजार निगरानी

- (1) गैस विनियम एक निगरानी विभाग स्थापित करेगा जो लेनदेन और निगरानी की दिन-प्रतिदिन निगरानी करेगा। यह उप-विनियम (4) में उल्लिखित अन्य विश्लेषण भी करेगा।
- (2) गैस विनियम का निगरानी विभाग अपनी विश्लेषण रिपोर्ट बाजार निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा और बाजार निगरानी समिति गैस विनियम के निदेशक मंडल के माध्यम से प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत से दो (2) महीने के भीतर बोर्ड को एक त्रैमासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (3) बाजार निगरानी केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा भौतिक रूप से सुरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र से निष्पादित की जाएगी और ऐसे कर्मचारी हर समय और विशेष रूप से नीलामी विंडों के खुली होने पर सूचना और डेटा सुरक्षा बनाए रखेंगे। ऐसे कर्मियों की सभी बातचीत को दर्ज किया जाएगा और इसे उन्हें अवगत कराया जाएगा तथा ऐसी बातचीत के ऑडियो टेप को मांग पर बोर्ड को उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (4) निगरानी विभाग प्रतिभागियों के बोली-प्रक्रिया पैटर्न और लेनदेन का विश्लेषण करेगा। निगरानी विभाग की एक विश्लेषण रिपोर्ट प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति से दो (2) महीनों के भीतर तिमाही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी, जो निम्नलिखित विशेष क्षेत्रों में होगी, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है:
 - (i) ग्राहकों द्वारा खुली स्थिति, अनुबंधों द्वारा;

- (ii) समयावधि में प्रतिभागियों के लेनदेन का पैटर्न;
 - (iii) मूल्यों का दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अस्थिरता विश्लेषण (आंतरिक-दिवस, आगामी-दिवस और आगामी-अवधि संविदा मूल्य);
 - (iv) क्रेता और विक्रेता का मूल्य निर्धारण विश्लेषण;
 - (v) परिपत्र ट्रेडिंग निगरानी अर्थात्, किसी अनुबंध की समान या समान कीमत पर और अल्पावधि के भीतर, स्वामित्व के वास्तविक परिवर्तन के बिना, समान या समान मूल्य पर क्रय और विक्रय के लिए धोखाधड़ी वाला लेनदेन;
 - (vi) प्रमुख प्रतिभागी और बाजार संकेंद्रण;
 - (vii) लेनदेन की मात्रा में अचानक वृद्धि या किसी प्रतिभागी की खुली स्थिति का विश्लेषण; तथा
 - (viii) विश्लेषण और किसी भी प्रतिभागी द्वारा लगातार चूक के कारण।
- (5) गैस विनिमय सदस्यों और उनके ग्राहकों को अपना ग्राहक जाने (केवाईसी) की जाँच करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेगा।

56. गैस विनिमय, व्यापार लाइसेंसधारी, शिपर्स, ट्रांसपोर्टर और किसी भी अन्य बाजार भागीदारों द्वारा लेन-देन की रिपोर्टिंग।

- (1) सभी रिपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होगी।
- (2) ट्रेडिंग लाइसेंसधारक जोखिम की निगरानी के उद्देश्य के लिए तिमाही आधार पर सभी ट्रेडों और जोखिम सारांश रिपोर्ट की खुली स्थिति रिपोर्ट और कार्यकाल प्रदान करेंगे।
- (3) गैस विनिमय प्रतिदिन अपनी वेबसाइट पर दैनिक लेनदेन की कीमत और मात्रा की सूचना देगा और तत्काल पूर्ववर्ती महीने के लेन-देन के संबंध में प्रत्येक माह के पहले दिन 0900 बजे मासिक आधार पर इन मापदंडों पर एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (4) गैस विनिमय बोर्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर सभी लेनदेन का मासिक विवरण प्रस्तुत करेगा और ऐसे विवरण को गैस विनिमय द्वारा अपनी वेब-साइट पर भी डाला जाएगा।
- (5) गैस विनिमय बोर्ड द्वारा निर्देशित और उसके अनुसार अपेक्षित विश्लेषण के साथ सभी प्रतिभागियों की बोर्ड बोलियों को प्रस्तुत करेगा।
- (6) बोर्ड किसी भी समय गैस विनिमय या किसी भी प्रतिभागी को किसी भी मापदंड पर किसी भी समय या एक-बारगी रिपोर्ट, जैसा ऐसे प्रारूप में आवश्यक हो, प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है।
- (7) बोर्ड किसी भी समय और समय-समय पर उन प्रारूपों को निर्धारित करने और उनकी समीक्षा करने का आदेश दे सकता है जिनमें से कोई भी सूचना गैस विनिमय या किसी प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

57. व्हिसल ब्लोअर नीति

- (1) कोई भी बाजार प्रतिभागी बोर्ड को या तो पत्र या ईमेल द्वारा, किसी भी अनैतिक गतिविधि, गलत कार्य या कानून के उल्लंघन, जो उनके संज्ञान में आती है, की रिपोर्ट कर सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित उपर्युक्त सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति को बोर्ड से अनुरोध करने का यह अधिकार होगा कि उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए और उसका खुलासा न किया जाए। बोर्ड ऐसी सूचना के प्रदाता के अनुरोध करने पर उसकी पहचान को गोपनीय रखेगा और उसका खुलासा नहीं करेगा।
- (3) किसी भी प्रभावित पक्षकार द्वारा ऐसे मुखबिर के साथ किसी भी तरह के प्रतिशोध के मामले में बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगा।

(4) बोर्ड छद्म नाम या अनाम पत्राचार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

58. अंतरंग व्यापार नीति

गैर-सार्वजनिक मूल्य संवेदनशील सूचना रखने वाला व्यक्ति, जिसमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल या गैस उत्पादक क्षेत्र (किसी भी प्रकृति की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सहित) या प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों सहित कहीं भी कंप्रेसर के आउटलेट या किसी बड़े ग्राहक का कोई संयंत्र शामिल है, गैस विनियम का लेनदेन नहीं करेगा जब तक एनजीजीएमएस या गैस विनियम को ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती।

59. विवाद समाधान के लिए आंतरिक नियमावली:

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन में गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के वाणिज्यिक और विनियामक कार्यों के बीच विवादों के प्रबंधन को शामिल करने वाली एक आंतरिक नियमावली होगी। गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को व्यापक विनियामक विभागों के कामकाज से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विवादों पर अपने कर्मचारियों के व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए एक नीति बनाएगा। इसके अलावा, पूरे विवाद प्रबंधन ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और ऐसी समीक्षा की टिप्पणियों के आधार पर इसे सुदृढ़ किया जाएगा।

60. मानदंड और प्रक्रिया, आदि:

इन विनियमों और इससे संबद्ध आकस्मिक चिकित्सा के मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के परिपत्रों के माध्यम से नियमों और पद्धतियों, प्रक्रियाओं, शिष्टाचार या दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट कर सकता है, जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

61. विविध

यदि कोई प्रश्न इन विनियमों की व्याख्या के रूप में उठता है, तो उस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

अनुसूची 1

[विनियम 8 और 12 देखें]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 8 या विनियम 12 के तहत गैस विनियम/ समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार या नवीकरण प्राधिकार के लिए आवेदन

सेवा में

सचिव,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 के विनियम 8 और विनियम 12 के तहत गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार या नवीकरण प्राधिकार के लिए आवेदन

महोदय/ महोदया,

- हम/ मैं की ओर से (आवेदक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का नाम और पता) आवेदक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन होने के कारण एतद्वारा गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्राधिकार/ नवीनीकरण प्राधिकार के लिए आवेदन करते हैं।
- गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के संविधान और प्रबंधन के लिए सामान्य रूप से संबंधित उप-कानून, संस्था के बहिर्नियम और संस्था के अंतर्नियम की दो प्रतियां और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन और निपटान के लिए प्रत्येक उप-नियम और नियमों की दो प्रतियां संलग्न हैं।

3. इस अनुसूची में आवश्यक सभी आवश्यक सूचना संलग्न है। बोर्ड द्वारा बुलाए जाने पर कोई भी अतिरिक्त सूचना दी जाएगी।
4. हम/ मैं, एतद्वारा उक्त गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन की ओर से, अधिनियम, नियमों और बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियमों और ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों, जैसी कि प्राधिकार पत्र में निहित हों या उपलब्ध कराई जाए या बाद में दी जाए, का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

एनईएफटी/ आरटीजीएस/ आईएमपीएस के माध्यम से बैंक खाते में प्रत्यक्ष क्रेडिट के माध्यम से भुगतान का सबूत या आरबीआई द्वारा अनुमेय कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या डिमांड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक....., जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) विनियम, 2007 के साथ पठित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनियम) विनियम, 2020 में अपेक्षित अनुसार शुल्क के भुगतान के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के पक्ष में देय हो।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची का अनुलग्नक 1

भाग I – सामान्य

1. गैस विनियम/ समाशोधन कॉर्पोरेशन के लिए प्राधिकार की मांग करने वाली आवेदक कंपनी का नाम और संविधि जिसमें आवेदक पंजीकृत है।
संस्था के अंतर्नियम और कंपनी के अंतर्नियम, निगमन प्रमाण-पत्र, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, और अन्य कोई दस्तावेज जिसमें आवेदक कंपनी का गठन हुआ हो, संलग्न करें।
2. पंजीकृत कार्यालय का पता और आवेदक के अन्य कार्यालय।
3. निगमन की तिथि।
4. आवेदक के प्रवर्तकों का विवरण।
5. आवेदक और उसके प्रवर्तकों के मौजूदा व्यवसाय का विवरण।
6. आवेदक की पूंजी संरचना का विवरण।
पिछले तीन वर्षों के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें; लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाता निदेशकों की रिपोर्ट सहित। यदि आवेदक एक नई कंपनी है, तो आवेदक की लागू वार्षिक रिपोर्ट और प्रवर्तकों की तीन वर्षों की ऐसी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
7. आवेदक के मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न का विवरण दें और शीर्ष 20 शेयरधारकों की सूची संलग्न करें।
8. आपके निदेशक मंडल की वर्तमान संख्या क्या है? अपने मौजूदा बोर्ड के सदस्यों का विवरण, जैसे कि, उनके नाम, आवासीय और व्यावसायिक पते, संपर्क विवरण, व्यवसाय, डीआईएन, पैन और आधार संख्या विवरणों की प्रतियां संक्षिप्त विवरण सहित दें।
9. क्या आपकी व्यावसायिक व्यवहार्यता योजना का किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा गैस बाजारों में विशेषज्ञता के साथ मूल्यांकन किया गया है?

निम्नलिखित विवरण वाली परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें, अर्थात्:

- (क) विवरण के साथ प्रस्तावित गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता।
- (ख) प्रस्तावित गैस विनियम के प्रमुख स्रोत;
- (ग) प्रस्तावित गैस विनियम और जनशक्ति की आवश्यकता का प्रबंधन और प्रशासनिक संरचना; और

(घ) गैस विनियम द्वारा उपलब्ध/ प्रस्तावित ढांचागत सुविधाएं;

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (गैस विनियम) विनियम, 2020 और विशेष रूप से निम्नलिखित में निर्दिष्ट पहलुओं को कवर करने वाले प्रस्तावित गैस विनियम के मसौदा नियमों को संलग्न करें, नामतः -
 - (i) गैस विनियम का निदेशक मंडल, इसका संविधान और शक्तियां; और
 - (ii) गैस विनियम का प्रबंधन और पद्धति जिसके अनुसार इसके व्यवसाय को लेन-देन करना है;
11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (गैस विनियम) विनियम, 2020 में निर्दिष्ट पहलुओं को कवर करने वाले प्रस्तावित गैस विनियम के उप-नियमों और नियमों का मसौदा संलग्न करें।
12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (गैस विनियम) विनियम, 2020 के प्रत्येक विनियम को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न करें और प्रस्तावित गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन विनियम की आवश्यकता को कैसे पूरा करता है; और जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत विवरण दें।
13. क्या आपने अपने ट्रेडों का समाशोधन करने और उसका निपटान करने के लिए किसी समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनियम(यों) के साथ समझौता किया है? ऐसे समाशोधन कॉर्पोरेशन या गैस विनियम का नाम और उसके संगठन और प्रबंधन का विवरण दें।
उपर्युक्त समझौतों, यदि कोई हों, की एक प्रति संलग्न करें।

भाग II - समाशोधन कॉर्पोरेशन की समाशोधन सदस्यता

11. आवेदन के समय समाशोधन सदस्यों की संख्या बताएं। यह भी निर्दिष्ट करें कि कितने सदस्य निष्क्रिय हैं।
12. क्या आप नए समाशोधन सदस्यों के नामांकन से पहले किसी न्यूनतम योग्यता और अनुभव पर जोर देते हैं? यदि हां, तो विवरण दें।
13. क्या आप अपने समाशोधन सदस्यों से कोई सुरक्षा राशि जमा लेते हैं? यदि हां, तो विवरण दें और यह भी बताएं कि ऐसी जमा राशि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है और ब्याज, यदि कोई हो, की दर बताएं।
14. क्या आप अपने समाशोधन सदस्यों से कोई प्रवेश या प्रवेश शुल्क लेते हैं? यदि हां, तो कितना?
15. अपने समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट, सदस्य सेवा प्रभार और अन्य प्रभार, यदि कोई हों, की मात्रा का विवरण दें।
16. क्या आप अपने समाशोधन सदस्य की सेवाएं लेने के लिए ट्रेडिंग सदस्य के साथ करार करने के लिए मानक प्रपत्र निर्धारित करते हैं? ऐसे समझौते की दो प्रतियां संलग्न करें।
17. क्या आप अपने समाशोधन सदस्यों का आवधिक निरीक्षण करते हैं? निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध वार्षिक निरीक्षण और जनशक्ति की संख्या सहित विवरण दें।

भाग III - गैस विनियम के निदेशक मंडल

18. आपके निदेशक मंडल की वर्तमान संख्या क्या है? आपके निदेशक मंडल के संविधान, प्रबंधन की शक्तियां, चुनाव और सदस्यों के कार्यकाल, और जिस तरह से इसके व्यवसाय का लेन-देन होता है, का विवरण दें।
19. क्या आपके निदेशक मंडल में किसी भी व्यापार या वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? यदि हां, तो प्रतिनिधित्व किए गए हितों का विवरण दें।
20. क्या आप अपने विनियम के प्रबंधन के साथ निवेशक संघों के शेयरधारकों को जोड़ते हैं? यदि हां, तो जिस तरीके से किया गया है, उसे बताएं।
21. क्या आपके निदेशक मंडल में कोई सरकारी प्रतिनिधि हैं? यदि हां, तो उनके नाम प्रदान करें।
22. क्या आपके यहां अपने निदेशक मंडल की स्थायी या तदर्थ उप-समितियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की विधि, कार्यकाल, शक्तियों और कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें।

23. अपने विनिमय के प्रमुख पदाधिकारियों के पदनाम, शक्तियां और कर्तव्य बताएं।
24. शुल्क, जुर्माना और जुर्माना वसूलने के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं?

भाग IV - समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल

25. आपके निदेशक मंडल की वर्तमान संख्या क्या है? निदेशक मंडल के सदस्यों के संविधान, प्रबंधन की शक्तियां, चुनाव और कार्यकाल, और जिस तरह से इसके व्यवसाय का लेन-देन होता है, का विवरण दें।
26. क्या आपके कंपनी बोर्ड में किसी भी व्यापार या वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है? यदि हां, तो प्रतिनिधित्व किए गए हितों का विवरण दें।
27. क्या आप अपने समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के साथ निवेशक संघों के संबद्ध सदस्यों को जोड़ते हैं? यदि हां, तो जिस तरीके से यह किया गया है, उसे बताएं।
28. क्या आपकी कंपनी के बोर्ड में कोई सरकारी या बोर्ड के प्रतिनिधि हैं? यदि हां, तो उनके नाम बताएं।
29. कंपनी बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशक हैं? उनके नाम, योग्यता और अनुभव बताएं।
30. क्या आपके यहां कंपनी बोर्ड के स्थायी या तदर्थ उपसमिति की नियुक्ति का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो उनकी संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियों और कार्यों का विवरण प्रस्तुत करें।
31. अपने समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पदनाम, शक्तियां और कर्तव्य, यदि कोई हों, प्रदान करें।
32. समाशोधन कॉर्पोरेशन के उप-नियमों के समाशोधन सदस्यों द्वारा उचित अनुपालन लागू करने और आमतौर पर व्यावसायिक आचरण के उचित मानक सुनिश्चित के लिए कंपनी बोर्ड के पास क्या अनुशासनात्मक शक्तियां हैं।
33. शुल्क, जुर्माना और दंड वसूलने के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं?

भाग V - समाशोधन और निपटान

34. समाशोधन कॉर्पोरेशन या समाशोधन हाउस, जैसा भी मामला हो, की समाशोधन और निपटान प्रणाली का ब्यौरा दें।
35. अपने समाशोधन कॉर्पोरेशन या समाशोधन हाउस जैसे, आगामी-दिवस, आगामी-कार्यकाल आदि और ऐसा अन्य समय प्रबंधन में समाशोधित किए जा रहे और समाशोधित किए गए या प्रस्तावित अलग-अलग प्रकार के अनुबंधों के बारे में बताएं। प्रत्येक मामले में वितरण, भुगतान और निपटान तंत्र की अवधि बताएं।
36. क्या आपको समाशोधन और निपटान के लिए प्रस्तुत किसी अनुबंध को निषेध करने, हटाने या निलंबित करने का अधिकार है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?
37. आपके समाशोधन कॉर्पोरेशन या समाशोधन हाउस द्वारा लगाए गए समाशोधन और निपटान प्रभार और अन्य प्रभार, यदि कोई हों, का विवरण दें।
38. अनुबंधों और मतभेदों के आवधिक निपटान और प्राकृतिक गैस के वितरण, भुगतान और वितरण आदेशों को पारित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
39. क्या आपके पास कोई उप-कानून है, जिसका उल्लंघन करने से अनुबंध अमान्य हो जाता है?
40. क्या आपके पास बाजार की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, मार्जिन तंत्र और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन तंत्र है? विस्तार पूर्वक बताएं।
41. क्या आप निपटान गारंटी निधि को बनाए रखते हैं? निपटान गारंटी निधि के कार्पस, उसके योगदान, उपयोग के लिए परिस्थितियाँ, उपयोग की प्राथमिकता आदि और ऐसी अन्य सूचना का विवरण दें।
42. आप निपटान गारंटी निधि की पर्याप्तता कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्या आप समय-समय पर तनाव परीक्षण करते हैं। नवीनतम तनाव परीक्षण का विवरण और परिणाम दें?

43. समाशोधन सदस्य के दायित्वों का निर्धारण करने के लिए समाशोधन कॉर्पोरेशन या समाशोधन हाउस द्वारा अपनाई गई नेटिंग प्रक्रिया क्या है?
44. आपने अनुबंध में (क) अनुबंध करने, उनके निष्पादन और बचाव, (ख) गैस विनिमय के सभी सदस्यों, चाहे क्रेता हों या विक्रेता के रूप में कार्यरत, की ओर से उल्लंघन करने, चूक करने या दिवालिया होने के परिणाम से निपटने के लिए क्या प्रावधान किए हैं?

भाग VI – अवसंरचना

45. क्या आपने डिपॉजिटरी, समाशोधन बैंक, गैस विनिमय और समाशोधन सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया है? विस्तार से बताएं।
46. आपकी व्यवसाय निरंतरता योजना क्या है? ब्यौरा दें, जिसमें आपदा वसूली स्थल का विवरण भी शामिल हो।

भाग VII – सदस्यता

47. परिचालन शुरू होने के एक वर्ष के भीतर आपके व्यवसाय की योजना के अनुसार आपके पास होने वाली सदस्यों की संख्या बताएं।
48. क्या आप नए सदस्यों के नामांकन से पहले किसी न्यूनतम योग्यता और अनुभव पर जोर देते हैं? यदि हां, तो विवरण दें।
49. सदस्यों के विभिन्न प्रकारों, यदि कोई हो, की संख्या और प्रत्येक सदस्य को प्राप्त विशेषाधिकार बताएं। विभिन्न प्रकार के नए सदस्यों के प्रवेश के लिए आपके विनिमय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/ योजना क्या है?
50. विभिन्न प्रकार के सदस्यों के संबंध में आपकी वार्षिक सदस्यता की दरें क्या हैं?
51. क्या आप अपने सदस्यों से कोई सुरक्षा जमा राशि एकत्र करते हैं, या एकत्र करने की योजना बनाते हैं? यदि हां, तो विवरण दें और यह भी बताएं कि ऐसी जमा राशि का उपयोग किस तरह किया जाता है/ उपयोग किए जाने की योजना है और ब्याज की दर, यदि कोई हो, बताएं।
52. क्या आप अपने सदस्यों से या फर्मों के भागीदारों से कोई दाखिला या प्रवेश शुल्क लेते हैं या लेने की योजना बनाते हैं? यदि हां, तो कितना?

भाग VIII – व्यापार

53. अपने विनिमय में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुबंधों, उदाहरण के लिए आंतरिक-दिवस, आगामी-दिवस, आगामी-कार्यकाल पाक्षिक, मासिक का विवरण दें। प्रत्येक मामले में वितरण और भुगतान की अवधि बताएं।
54. प्रत्येक प्रकार के अनुबंध के लिए व्यावसायिक घंटों का विवरण दें।
55. सदस्य सेवा प्रभार का पैमाना, यदि कोई हो, का विवरण दें, जिसे आपके विनिमय द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।
56. क्या आप अपने सदस्यों के उपयोग के लिए संविदा के मानक रूपों को निर्दिष्ट करते हैं? ऐसे प्रत्येक अनुबंध फॉर्म की प्रतियां संलग्न करें।
57. क्या आपके पास मार्जिन की प्रणाली के अलावा किसी भी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा किए गए व्यवसाय की मात्रा को विनियमित करने के लिए कोई प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण दें।
58. अनुबंधों का समय-समय पर निपटान करने और उसमें निहित मतभेद, प्राकृतिक गैस के वितरण और भुगतान के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं?
59. क्या आपके पास अनुबंधों के निपटान के लिए कोई समाशोधन हाउस है? यदि हां, तो इसके संगठन और प्रबंधन का विवरण दें।

60. यदि आपके पास समाशोधन हाउस है, तो आपके विनिमय के सदस्य ऐसे समाशोधन हाउस के माध्यम से किए गए लेनदेन के बारे में कोई रिटर्न जमा करते हैं?
61. क्या आपके पास बाजार मूल्य को रिकॉर्ड करने और प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था है, जिसमें उद्घाटन, समापन, उच्चतम और निम्नतम मूल्य शामिल हैं?
62. विनियमन के लिए आपने क्या प्रावधान किए हैं-
- (क) अनुबंध करना, अनुबंधों सहित उनका निष्पादन और बचाव:
- (i) सदस्यों के बीच, और
- (ii) एक सदस्य और उसके ग्राहक के बीच।
- (ख) सदस्यों चाहे क्रेता या विक्रेता के रूप में कार्य कर रहे हों, की ओर से कोई उल्लंघन, चूक या दिवालिया होने के परिणाम;
63. सदस्यों द्वारा विनिमय के नियमों और उप-नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और आमतौर पर व्यावसायिक आचरण के उचित मानक सुनिश्चित करने के लिए गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की अनुशासनात्मक शक्तियां क्या हैं?
64. क्या आपको सदस्यों द्वारा ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने और उनके व्यवसाय से संबंधित बही खातों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की आवश्यकता हो सकती है?
65. क्या आप समाशोधन हाउस के माध्यम से किए गए लेन-देन सहित विनिमय पर किए गए व्यापार के संबंध में कोई आंकड़े प्रकाशित करते हैं, उन्हें बनाए रखते हैं? विशेष रूप से, क्या आपने अपने विनिमय पर अनुमत विभिन्न प्रकार के अनुबंधों में लेनदेन की मात्रा की गणना के लिए कोई प्रणाली विकसित की है? विस्तार पूर्वक बताएं।
66. क्या आपके उप-नियम में उल्लंघन को कोई प्रावधान है जो किसी अनुबंध को अमान्य बनाता है?

भाग IX – विविध

67. क्या आपके पास सदस्यों और/ या सदस्यों के बीच, उनके ग्राहकों, समाशोधन कॉर्पोरेशन, समाशोधन सदस्यों के बीच विवादों की मध्यस्थता करने के लिए कोई प्रणाली है? ब्यौरा दें।
68. कोई अन्य सूचना, जो आवेदक कंपनी बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहेगी।

अनुसूची 2

[विनियम 11 और 12 देखें]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

सं.....

दिनांक:.....

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 के विनियम 11 या विनियम 12 के तहत (नाम और पता) द्वारा गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के रूप में प्राधिकार प्रदान करने/ प्राधिकार का नवीकरण प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के बाद और संतुष्ट होने पर कि ऐसा प्राधिकार/ नवीकरण प्रदान करना गैस बाजार के विकास के हित में होगा, एतद्वारा ऊपर नामित कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 के विनियम 11 या विनियम 12 के संदर्भ में गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के रूप में..... वर्षों के लिए ऊपर उल्लिखित तारीख से प्राधिकार/ नवीकरण प्रदान करती है, जो नीचे दी गई शर्तों के अनुसार या उसके बाद निर्दिष्ट या लागू किए जाने के अधीन होगा, अर्थात् :

1. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन पीएनजीआरबी अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों तथा समय-समय पर बोर्ड द्वारा लगाई गई या अपेक्षित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
2. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन निवल मूल्य, एसजीएफ, शेयरहोल्डिंग पैटर्न और शासी अवसंरचना आदि और ऐसे अन्य मामलों से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करेगा।
3. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन सूचना के प्रसार से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन करेगा।
4. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन को नए अनुबंधों, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
5. गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन ऐसी शर्तों और निर्देशों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची 3

निदेशकों की नियुक्ति

[देखें विनियम 23 और 24]

1. नियुक्ति की प्रक्रिया:

- (क) अनुमोदन प्राप्त करते समय या अन्यथा सभी स्वतंत्र निदेशक गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित विवरणों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्:-
- (i) नाम
 - (ii) पता
 - (iii) शैक्षिक योग्यता
 - (iv) रोजगार/ व्यवसाय का विवरण – पिछला और वर्तमान।
 - (v) अन्य निदेशकों का विवरण।
 - (vi) डीआईएन नं.
 - (vii) विनियम 23 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में घोषणा।
 - (viii) व्यापारिक सदस्यों या समाशोधन सदस्य के साथ गैर-संघ के संबंध में, इन विनियमों के विनियम 23 के अनुपालन की घोषणा।
 - (ix) किसी वैधानिक प्राधिकार द्वारा की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण।
 - (x) निदेशक की राय में गतिविधियों का विवरण, जो उनकी अयोग्यता का कारण बने।
 - (xi) गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सदस्यों के साथ संबद्धता।
 - (xii) एक वचनपत्र कि वह अनुसूची 4 और अनुसूची 5 में निर्दिष्ट आचार संहिता और आचार नियमावली का पालन करेगा।
 - (xiii) स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति-पत्र।
 - (xiv) आपराधिक मामले, यदि कोई हो - भारत या विदेश में किसी भी प्राधिकार के समक्ष पूर्ण या लंबित।

- (ख) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त के साथ उनके नामों की सिफारिश करते हुए बोर्ड को उपर्युक्त विवरण अग्रेषित करेगा, जिसमें उनके नाम को मंजूरी दी गई थी, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा एक पुष्टि ली जाएगी वे योग्य और उचित मानदंडों के संदर्भ में योग्य और उचित व्यक्ति हैं और विनियम 23 के संदर्भ में किसी भी व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य के साथ संबद्ध नहीं हैं।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक:

- (क) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की नामांकन और पारिश्रमिक समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/ प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक, जैसा भी मामला हो, के चयन के लिए जिम्मेदार होगी जिसमें विनियम 24 में विनिर्दिष्ट अनुसार उपयुक्त स्पष्ट योग्यता होगी। पुनः नियुक्ति, या नियुक्ति के विस्तार के मामले में, गैस विनिमय/ समाशोधन कॉर्पोरेशन ऐसे प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य दिवस से कम से कम दो महीने पहले बोर्ड को आवेदन करेगा।
- (ख) यदि त्याग-पत्र या अप्रत्याशित कारणों से सीईओ/ प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक का पद रिक्त हो जाता है, तो गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की नामांकन और पारिश्रमिक समिति त्याग-पत्र देने की तारीख से या अप्रत्याशित कारणों से कार्यालय के ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए 60 दिनों के भीतर पदधारी के नए नाम का चयन करेगी। अंतरिम व्यवस्था के रूप में, किसी भी निदेशक को गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सीईओ/ प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

3. स्वतंत्र निदेशक:

- (क) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद स्वतंत्र निदेशकों के नाम बोर्ड को उसकी मंजूरी के लिए भेज दिए जाएंगे।
- (ख) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र निदेशकों का चयन कार्यक्षेत्रों के विविध क्षेत्रों से किया जाए। किसी विशेष व्यक्ति को स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रस्तावित करने का निर्णय लेते समय, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखेगा, अर्थात्:-
- (i) गैस बाजारों के लिए कानून, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन या किसी अन्य संगत क्षेत्र में योग्यता;
 - (ii) कम से कम एक व्यक्ति को वित्त/ बही खातों में अनुभव और पृष्ठभूमि को शामिल किया जाएगा, जिन्हें लेखा-परीक्षा समिति में मुख्यतः शामिल किया जा सकता है;
 - (iii) किसी प्रतिष्ठित संगठन विश्वास और जिम्मेदारी के पद धारण करने वाले वर्तमान व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में ऐसे पद से सेवानिवृत्त हो चुका है; तथा
 - (iv) जिन व्यक्तियों की वाणिज्यिक संविदा के पदों और वस्तु विनिमय के वित्तीय मामलों में रुचि की संभावना है, को विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो बाजार में नियमित व्यापारी/ सट्टेबाज हैं या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन की प्रमोटर कंपनी के बोर्ड में निदेशक हैं, को शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ग) स्वतंत्र निदेशक प्रासंगिक कानूनों, आचार संहिता, आचार नियमावली और आचरण के अन्य व्यवस्थित रूपों की तरह गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को यह बताएंगे कि वे अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और दायित्वों से अवगत हैं। गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को प्रत्येक वर्ष कम से कम सात दिन का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- (घ) स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल के विस्तार या नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मामले में, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड को उनकी अवधि समाप्त होने से दो महीने पहले आवेदन करेगा। इसमें निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं के अलावा, स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के आवेदन के साथ, विभिन्न अनिवार्य

समितियों और गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण तथा समीक्षा और अवधि का विस्तार संलग्न होना चाहिए।

(ड.) मौजूदा स्वतंत्र निदेशक तब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनके स्थान पर किसी नए स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती।

4. निदेशकों की नियुक्ति पर सामान्य शर्तें:

- (क) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन बोर्ड द्वारा निदेशकों के लिए नामांकन/ अनुमोदन से तीस दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेगा और नियुक्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (ख) यदि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन का कोई अन्य अधिकारी प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशक मंडल में नियुक्त किया जाता है, तो वह उसी क्रम में शेरधारकों और बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होगा।

अनुसूची 4

गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निदेशकों

के लिए आचार संहिता

[देखें विनियम 25]

1. बैठक और कार्यवृत्त:

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रत्येक निदेशक -

- (क) किसी भी विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेगा जिसमें किसी भी हितों का टकराव मौजूद हो या उत्पन्न होता है, चाहे वह वित्त संबंधी हो या अन्यथा, और ऐसे मामलों में इसका खुलासा किया जाएगा और इसे बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाएगा;
- (ख) बैठक के दौरान कार्यवृत्त के कागजातों का परिचालन करने को प्रोत्साहित नहीं करेगा, जब तक कि परिस्थितियों में ऐसा करना अपेक्षित न हो;
- (ग) मसौदे के प्रारूप पर अपनी टिप्पणी समय पर प्रदान करेगा;
- (घ) बोर्ड के अन्य सदस्यों के परामर्श से प्रत्येक बोर्ड बैठक में अगली बैठक की तारीख तय करने का प्रयास करेगा; तथा
- (ड.) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि यदि किसी बैठक की कार्यसूची की सभी मदों को समय के कारण कवर नहीं किया गया था, तो शेष मदों पर विचार करने के लिए अगली बैठक पंद्रह दिनों के भीतर आयोजित की जाए।

2. स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता:

- (क) उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित शर्तों के अलावा, गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के स्वतंत्र निदेशक, बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे और वे लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है या एक कैलेंडर वर्ष में निदेशक मंडल की कुल बैठकों में पचहत्तर प्रतिशत भाग नहीं लेता है तो वह कार्यालय रिक्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ख) स्वतंत्र निदेशक अलग-अलग बैठक करेंगे, कम से कम छह महीने में एक बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
- (ग) स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करेंगे जिनमें गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के हितों का टकराव शामिल हो सकता है, या गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, या इसके क्रमबद्ध कार्य के हित में नहीं हो सकता है। इन मुद्दों को निदेशक मंडल को सूचित किया जाएगा।

3. कार्यनीतिक योजना:

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्रत्येक निदेशक -

- (क) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सर्वोत्तम हित में कार्यनीतियों के निर्माण और निष्पादन में भाग लेगा और निदेशक मंडल के स्तर पर सक्रिय निर्णय लेने की दिशा में योगदान देगा; तथा
- (ख) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन को उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ देगा और कार्यनीतिक योजना और निर्णयों के निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा।

4. विनियामक अनुपालन:

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्रत्येक निदेशक -

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा बोर्ड के आदेशों और निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन करे;
- (ख) सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा ताकि विनियामक प्रणाली को कोई भी नुकसान न हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने के लिए कदम उठाए; तथा
- (घ) कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में ऐसे किसी भी निर्णय का समर्थन नहीं करेगा जो गैस विनिमय में भाग लेने वाले क्रेता और विक्रेताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और बोर्ड को ऐसे किसी भी निर्णय की सूचना देगा।

5. सामान्य जिम्मेदारी:

गैस विनिमय और समाशोधन कॉर्पोरेशन का प्रत्येक निदेशक -

- (क) सदस्यों और उनके ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्राथमिकता और निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा ताकि गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन गैस विनिमय में किए गए लेनदेन के विकास का एक प्रेरक बन जाए;
- (ख) पेशेवर दक्षता, न्यायसंगतता, निष्पक्षता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन मुद्दों का विश्लेषण और प्रबंधन करने का प्रयास करेगा;
- (ग) जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो, गोपनीयता बनाए रखेगा और अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्राप्त किसी भी जानकारी को नहीं बताएगा या प्रकट नहीं करेगा और ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाएगा;
- (घ) सार्वजनिक विश्वास को प्रेरित करने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत अखंडता, सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति असम्मानजनक कृत्यों में संलिप्त नहीं होगा;
- (ङ.) स्वतंत्र और वस्तुपरक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी गतिविधियां करने से बचेगा जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, या उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता या आधिकारिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं;
- (च) सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और रचनात्मक रूप से स्वतंत्र विचार, रचनात्मकता, समर्पण और सहानुभूति का समर्थन करेगा; तथा
- (छ) नैतिक मर्यादा, बेईमानी से जुड़े किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा, धोखाधड़ी, छल, या गलत बयानी या किसी अन्य अधिनियम के तहत गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के प्रतिकूल न हो।

अनुसूची 5**गैस विनियमों या समाशोधन कॉर्पोरेशनों के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों****के लिए आचार संहिता**

[देखें विनियम 25]

सामान्य:

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशनों के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता का उद्देश्य गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशनों के कामकाज में पेशेवर और नैतिक मानकों को बेहतर बनाना है, ताकि गैस बाजार की अखंडता में बाजार सहभागियों में बेहतर विश्वास पैदा हो सके।

1. उद्देश्य और अंतर्निहित सिद्धांत:

गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता का उद्देश्य एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार स्थापित करने के लिए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसाय/व्यावसायिक नैतिकता का एक न्यूनतम स्तर स्थापित करना है।

आचार संहिता निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात्:-

- (क) गैस विनियम या समाशोधन और गैस विनियम पर क्रेताओं और विक्रेताओं से संबंधित मामलों से निपटने में निष्पक्षता और पारदर्शिता;
- (ख) विनियामक एजेंसियों, गैस विनियम, समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों का अनुपालन;
- (ग) कर्तव्यों के निष्पादन में सोच-समझकर कार्य करना; तथा
- (घ) निदेशकों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के स्वार्थ और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के हितों के बीच टकराव से बचना।

2. विनियामक निगरानी समिति:

इस संहिता के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए, संबंधित निदेशक मंडल के तहत प्रत्येक गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन द्वारा एक विनियामक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

3. सामान्य मानक:

निदेशक और मुख्य प्रबंधन कर्मी निम्नलिखित तरीकों से अधिक से अधिक जागरूकता लाने और नैतिक जिम्मेदारियों की समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जैसे:-

- (क) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी उनके व्यवसाय के संचालन में व्यापार के उच्च मानदंडों और न्यायसंगत सिद्धांतों का पालन करेंगे;
- (ख) व्यावसायिक जीवन में निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए जो अन्य कर्मचारियों और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए एक मानक स्थापित करेगा;
- (ग) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी अपने पद का उपयोग कार्यकारी या प्रशासनिक कर्मचारियों, प्रौद्योगिकी या सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं या सदस्यों और उनके ग्राहकों या गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन से निपटने वाले किसी अन्य व्यक्ति से या उसके पक्ष में देने के लिए नहीं करेंगे;
- (घ) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन की साख को खतरे में डाल दे; तथा

(ड.) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिसूचित अधिनियम और सभी लागू नियमों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

4. हितों के टकराव से बचना:

गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के बोर्ड में कोई निदेशक या समिति का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति या मामले के संबंध में किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय में भाग नहीं लेगा, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित या इच्छुक हो। किसी भी मामले में हितों का टकराव है या नहीं, इस पर कोई संदेह होने की स्थिति में निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

5. लाभकारी हित का खुलासा:

सभी निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी पद ग्रहण करने और कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होने पर निदेशक मंडल को खुलासा करेंगे अर्थात्:-

(क) स्वयं या परिवार के सदस्यों या किसी भी व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य के स्वयं या परिवार के सदस्यों की निदेशकता या साझेदारी के साथ कोई भी प्रत्ययी संबंध; तथा

(ख) कोई अन्य व्यावसायिक हित।

6. गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के दैनिक कामकाज में अध्यक्ष और निदेशकों की भूमिका:

(क) अध्यक्ष और निदेशक गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनकी भूमिका नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने और ऐसे मुद्दों जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया जाए, तक सीमित होगी।

(ख) अध्यक्ष और निदेशक गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को उनकी दैनिक गतिविधियों को संचालित और प्रभावित करने से बचेंगे।

(ग) अध्यक्ष और निदेशक सीधे तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के कार्य में शामिल नहीं होंगे, जब तक कि निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से निर्णय नहीं लिया जाता।

7. सूचना तक पहुंच:

(क) निदेशक केवल विशिष्ट समितियों के भाग के रूप में या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत सूचना की ही मांग कर सकते हैं।

(ख) इसके लिए निर्दिष्ट चैनल होंगे जिनके माध्यम से सूचना ली जाएगी और इसके अलावा इसका ऑडिट ट्रेल किया जाएगा। गोपनीय दस्तावेजों और सूचनाओं को फिर से प्राप्त करने को उचित रूप से दर्ज किया जाएगा और इसे न्यूनतम सात वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(ग) ऐसी सभी सूचना, विशेष रूप से जो गैर-सार्वजनिक और मूल्य संवेदनशील है, को गोपनीय रखा जाएगा और किसी भी व्यक्तिगत विचार या लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन के व्यवसाय या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी, जो उनके कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान निदेशकों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के ज्ञान में आ सकती है, को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें उनके द्वारा किसी को तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा और इसका उपयोग सिवाय कर्तव्यों के निष्पादन को छोड़कर अन्य किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा।

8. पद का दुरुपयोग:

निदेशक और समिति के सदस्य अपने या उनके परिवार के सदस्यों के लिए संगठन में व्यापार या किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करेंगे।

9. प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए विनियामक निगरानी समिति:

- (क) विनियामक निरीक्षण समिति इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी और इन विनियमों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप निर्दिष्ट करेगी।
- (ख) अनुपालन अधिकारी विनियामक निगरानी समिति द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को निष्पादित करेगा।
- (ग) जबकि इन विनियमों का उद्देश्य बाजार की अखंडता के स्तर और बाजार सहभागियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि नैतिकता का लिखित कोड उच्च नैतिक मानकों के पालन की पूर्ण गारंटी नहीं दे सकता और यह केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब निदेशक और गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के प्रमुख प्रबंधन कर्मी खुद को प्रणाली की निष्पक्षता और अखंडता को बढ़ाने के लिए निष्ठा से प्रतिबद्ध हैं।

अनुसूची 6**विनियामक विभागों की पृथकता सुनिश्चित करने के उपाय**

[विनियम 27 देखें]

1. विनियामक विभागों का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक गैस विनियम और समाशोधन कॉर्पोरेशन एक "नैतिक जांच प्रणाली" नीति अपनाएगा, जो गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन के विनियामक विभागों को अपने अन्य विभागों से अलग करती है। विनियामक विभागों के कर्मचारी अन्य विभागों में किसी को विनियामक गतिविधि के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं देंगे। विनियामक क्षेत्रों के कर्मचारियों को अन्य विभागों में कर्मचारियों से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, जिसमें नियंत्रण तक पहुंच भी शामिल हैं। असाधारण परिस्थितियों में, अन्य विभागों के कर्मचारियों को अनुपालन अधिकारी को सूचना के तहत "जानने की आवश्यकता" के आधार पर गोपनीय जानकारी दी जा सकती है।
2. विनियमन 27 अन्य विभागों से विनियामक विभागों को पृथक करने का अधिदेश देता है। इस प्रयोजन के लिए, विनियामक विभागों की एक सांकेतिक सूची क्रमशः उप-पैरा (i) और उप-पैरा (ii) पैरा 2 में प्रदान की गई है। गैस विनियम या समाशोधन कॉर्पोरेशन का कंपनी बोर्ड विनियामक विभाग के रूप में ऐसी सूची के अलावा विनियामक कार्य वाले किसी भी अन्य विभाग को निर्दिष्ट कर सकता है।
- 3.(i) निम्नलिखित कार्यों को संभालने वाले विभागों को गैस विनियम में विनियामक विभाग माना जाएगा अर्थात् :-
 - (क) निगरानी;
 - (ख) सदस्य पंजीकरण;
 - (ग) अनुपालन;
 - (घ) निरीक्षण;
 - (ङ.) प्रवर्तन;
 - (च) मध्यस्थता; तथा
 - (छ) डिफॉल्ट
- ii. निम्नलिखित कार्यों को संभालने वाले विभागों को किसी समाशोधन कॉर्पोरेशन में विनियामक विभाग माना जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) जोखिम प्रबंधन;
 - (ख) सदस्य पंजीकरण;
 - (ग) अनुपालन;
 - (घ) निरीक्षण;
 - (ङ.) प्रवर्तन; तथा
 - (च) डिफॉल्ट।

4. गैस विनिमय या समाशोधन कॉर्पोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे विनियामक विभाग जैसे निगरानी, निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन, डिफॉल्ट विभाग, और ऐसे अन्य विभागों में कम से कम दो कर्मियों को पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जाएगा जिसमें से कम से कम एक के पास वित्त, लेखा या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्रों में मास्टर डिग्री हो तथा उसे बैंकों या अन्य संबंधित वित्तीय संस्थानों, विनिमय प्रचालनों या अन्य संबंधित क्षेत्रों के अनुपालन विभागों में काम करने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./259/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

F. No. PNGRB/Tech/35-GasEx/(2)/2020 (P-1687).—In furtherance of the policy directives issued by the Central Government under sub-section (2) of section 42 and in the performance of the functions entrusted under clauses (a) and (j) of section 11 and in exercise of the powers conferred by clause (za) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to regulate the establishment and operation of the Gas Exchange and Clearing Corporations and matters connected therewith or incidental thereto, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement:

- (1) These Regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

- (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires, —
- (i) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006);
 - (ii) “Access Code” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for Common Carrier or Contract Carrier Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008;
 - (iii) “affiliate” means an associated person in relation to the entity or the entity in relation to an associated person; —
 - (a) who participates directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the entity or an associated person, as the case may be; or
 - (b) who holds, directly or indirectly, shares carrying not less than twenty-six percent of the voting power in the entity or associated person, as the case may be; or
 - (c) who appoints more than half of the board of directors or members of the company board, or one or more executive directors or executive members of the company board of the entity or the associated person, as the case may be; or
 - (d) who guarantees not less than 10% of the total borrowings of the entity or the associated person, as the case may be;
 - (iv) “automated audit trail” means automated creation and maintenance of time-sequenced record of transactions (creation, modification or deletion) in the electronic trading system of Gas Exchange for reference at later date and time;

- (v) "associate" in relation to a person shall include another person: —
- (a) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the first person; or
 - (b) who holds control of at least twenty percent of the total voting power of the first person; or
 - (c) who is a holding company or a subsidiary company of the first person; or
 - (d) who is a relative (as defined in the Companies Act, 2013) of the first person; or
 - (e) who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first person is also a member thereof; or
 - (f) such other cases where the Board is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence, conflict of interest;
- (vi) "base minimum capital" means exposure free deposits to be deposited by all members of the Gas Exchange in lieu of the membership;
- (vii) "bid" means the electronic document by which a market participant of a Gas Exchange submits price and quantity in relation to a contract, for which it seeks to make a transaction;
- (viii) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
- (ix) "bye-laws" means the provisions relating to the basic framework formulated by the Gas Exchange for the purposes of the management and trading at the Gas Exchange, which are duly approved by the Board;
- (x) "capacity tranche or "CT"" to have the meaning as defined in the Access Code.
- (xi) "cartelisation" means an act by market participants who amongst themselves limit or control or attempt to limit or control storage, transportation, distribution, marketing, sale or price or trade or transaction in gas;
- (xii) "clearing" means the process of determination of obligations of members of exchange resulting from conclusion of a transaction at the Gas Exchange;
- (xiii) "Clearing Corporation" means an entity authorised by the Board that is established to undertake the activity of clearing and settlement of trades in natural Gas Exchange and includes a clearing house;
- (xiv) "clearing member" means a person having clearing rights in any Clearing Corporation or clearing house of the Gas Exchange, who may clear and settle transactions in natural gas;
- (xv) "client" means an entity that has executed an agreement with a member of a Gas Exchange or a member of a Clearing Corporation for dealing or clearing through such member;
- (xvi) "company board" means board of directors of a Gas Exchange;
- (xvii) "company" shall mean a company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (xviii) "contracted gas volume" means the volume for each gas day (in MMBTU, GCV basis) cleared by the Gas Exchange under a contract for respective buyer and seller;
- (xix) "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholder's agreements or voting agreements or in any other manner;

Provided that a director or officer of a company shall not be considered to be in control over the company, merely by virtue of holding such position;

- (xx) “contract” shall mean any contract, as specified in Regulations, which is transacted at the Gas Exchange;
- (xxi) “day-ahead contract” means contracts where transaction occurs on day (T) and delivery of gas is on the next day (T+1) and which are scheduled by National Gas Grid Management Services;
- (xxii) “entry point” means the point at which the gas is injected into a natural gas pipeline;
- (xxiii) “exit point” means the point at which the gas is withdrawn from the natural gas pipeline;
- (xxiv) “gas aggregator” means a person who aggregates orders for purchase or sale of gas from various suppliers or buyers and trades through Gas Exchange;
- (xxv) “Gas Exchange” means an exchange authorised by the Board as per these Regulations as a market (or gas market) where buyers and, sellers (including but not limited to aggregators, City Gas Distribution Network (CGD) companies, consumers, trading licensees) as members or clients transact on contracts and where the Gas Exchange or Clearing Corporation is counterparty to such contracts;
- (xxvi) “gas hub” means the location for delivery of gas against the traded contracts as may be decided by the Board;
- (xxvii) “Gas Transportation Agreement or GTA” shall have the meaning as defined in the Access Code;
- (xxviii) “independent director” shall have meaning as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (xxix) “insider” means a person, -
 - (a) who is or has been, during the six months prior to the concerned event, associated with the Gas Exchange, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the Gas Exchange or by holding any position including a professional or business relationship with the Gas Exchange whether temporary or permanent, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price sensitive information about transactions on a Gas Exchange; or
 - (b) who is in possession of or has access to unpublished price sensitive information about transactions on a Gas Exchange; or
 - (c) who has acquired unpublished price sensitive information by way of commission of an offence under any of the laws prevalent at such time in the country.;
- (xxx) “insider trading” by an insider means, -
 - (a) communicating, providing, or allowing access to any unpublished price sensitive information, to any person including other insiders, except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations; or
 - (b) recommending any person, on the basis of unpublished price sensitive information, to acquire or dispose of any contract on the Gas Exchange, to which that information relates;
- (xxxi) “intra-day contract” means contracts where transaction occurs on day (T) or (T-1) and the delivery of gas is on the day (T);
- (xxxii) “key management personnel” shall have the meaning as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (xxxiii) “market or gas market” means a forum or platform where buyers and sellers, through the Gas Exchange buy or sell gas;
- (xxxiv) “market rules” means the provisions formulated by the Gas Exchange and duly approved by the Board for transparent operations at the Gas Exchange;
- (xxxv) “member of Gas Exchange” means a person who has been admitted as such by a Gas Exchange in accordance with these Regulations and in accordance with bye-laws and rules of the concerned Gas Exchange as applicable;
- (xxxvi) “Million British Thermal Units” or “MMBTU” means one Million British Thermal Units and shall be the unit for energy content of natural gas based on gross calorific value as defined in ISO 6976.
- (xxxvii) “National Gas Grid Management Services” or “NGGMS” shall have the meaning as defined in the Access Code;
- (xxxviii) “natural gas” shall have the meaning as defined in clause (za) of section 2 of the Act, also referred to as “Gas”;
- (xxxix) “net worth” means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure, miscellaneous expenditure not written off and debit balance of profit and loss account, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and reduced by the aggregate value of loans and advances to the associates or as may be calculated in the manner specified by the Board from time to time;
- (xl) “netting” means the determination of net payment by Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, of each member of Gas Exchange or Clearing Corporation by setting off or adjustment of the inter-se obligations or claims arising out of buying and selling of natural gas;
- (xli) “nomination and remuneration committee” shall have the meaning as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (xlii) “open position” means a buy or sell position, when a transaction has been executed but the delivery or financial settlement has not been completed and where a concerned person may remain exposed to price or credit or operational risk;
- (xliii) “operational risk” means any risk emanating in a contract due to systems, processes, technology error, breakdown, or non-scheduling of gas due to technical reasons;
- (xliv) “pipeline capacity contract” means a contract for secondary trade of natural gas pipeline capacity on Gas Exchange or otherwise;
- (xlv) “proprietary member” means a member who can transact or clear on its own account or on account of its affiliates or associates, but not on account of anyone else;
- (xlvi) “safe liquid investment” means investments in liquid assets comprising of cash in hand, cash equivalents (that is short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value) and demand and term deposits with scheduled banks;
- (xlvii) “settlement guarantee fund” or “SGF” means a fund maintained by the Gas Exchange or Clearing Corporation to be used for settlement of defaults of its members as specified in the default remedy mechanism of Gas Exchange or Clearing Corporation and may comprise of any sources of funds as may be determined by the Gas Exchange or Clearing Corporation from time to time;
- (xlviii) “settlement” means the process of discharging the obligations of members resulting from conclusion of a transaction at an exchange;

- (xlix) term-ahead contract” means contracts where physical delivery of gas occurs on a date more than one day (T+2) ahead from the date of transaction (T) and have a defined delivery period;
- (l) “trading member” means a person having trading rights in any Gas Exchange;
- (li) “trading and clearing member” means a person having both trading and clearing rights in any Gas Exchange or Clearing Corporation;
- (2) Words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Act or in the other Regulations made thereunder, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or Regulations made thereunder.

CHAPTER II

MARKET STRUCTURE

3. Scope of these Regulations:

- (1) These Regulations shall apply to the following type of contracts, namely: –
 - (i) Delivery based contracts for natural gas or liquefied natural gas (“LNG”) transacted on the Gas Exchange-
 - (a) Day-ahead contracts;
 - (b) Intra-day contracts; and
 - (c) Term-ahead contracts;
 - (ii) Pipeline capacity contracts, and
 - (iii) Any contract for trading of natural gas or LNG, including those with price linkage to other established markets or reported indices either in India or otherwise.
- (2) The Board may initiate action for market coupling of a Gas Exchange with another exchange, where a commodity, which is produced by utilising natural gas as a major input, is traded, so as to minimise the risk of a producer of such commodity.
- (3) Pursuant to such empowerment as may be required, the Board may extend applicability of these Regulations, with or without modifications, for derivative, forward and future contracts in respect of such commodities and services, and such type of contracts as specified under sub-regulation (1).
- (4) Subject to compliance of applicable laws, the Board may allow contracts at the Gas Exchange denominated in foreign currency, subject to settlement in Rupees.

4. Applicability:

- (1) These Regulations shall apply to all market participants, including -
 - (i) Gas Exchange;
 - (ii) natural gas pipeline entity;
 - (iii) gas producer;
 - (iv) gas aggregator;
 - (v) gas shipper;
 - (vi) trading licensee;
 - (vii) LNG terminal or natural gas importer;
 - (viii) NGGMS;
 - (ix) Clearing Corporation;
 - (x) member of Gas Exchange;
 - (xi) member of Clearing Corporation; and

(xii) any other party transacting at the Gas Exchange.

5. Approval or Suspension of the Contracts by the Board:

- (1) The Board may, on its own or on an application made in this behalf, permit any Gas Exchange to introduce such contracts as specified in regulation 3, for transacting on the Gas Exchange.
- (2) The Gas Exchange may introduce any new contracts specified under regulations 3 after prior approval of the Board, and such approval shall not be unreasonably withheld by the Board.
- (3) For approval of new contracts, the Board may examine the following and such other parameters of such new contracts as may be considered appropriate, namely: -
 - (i) type of contract (intra-day, day-ahead, term-ahead contract and like other contracts);
 - (ii) price discovery methodology and matching rules proposed;
 - (iii) transaction period (when transaction shall commence and for what tenure transaction session shall continue before commencement of delivery);
 - (iv) risk management mechanism;
 - (v) margin mechanism;
 - (vi) final price settlement mechanism;
 - (vii) gas delivery mechanism;
 - (viii) delivery duration; and
 - (ix) penalty for contractual deviation.
- (4) If the Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may after granting the Gas Exchange an opportunity of being heard, by order, suspend transactions on any contract or withdraw any contract from the Gas Exchange and pass any consequential directions as may be deemed necessary by the Board.

6. Principles of Market and Market Design:

- (1) A Gas Exchange shall adopt the following market design and propose contract specifications, keeping in view the following principles, namely: -
 - (i) Price discovery mechanism shall ensure fair, neutral, competitive and efficient prices;
 - (ii) The bidding mechanism may be auction or as continuous;
 - (iii) Contract design shall be such so as to increase liquidity; and
 - (iv) The physical market design shall not compromise with safety and integrity of natural gas pipelines. The physical market design and pipeline operations shall comply with Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009.
- (2) A member of the Gas Exchange or the trader licensee shall ensure that either the buyer or the Gas Exchange has valid gas transportation agreement (GTA) with the relevant transporter(s), but, at the time of bidding, the buyer may or may not have a CT agreement. In case, the buyer does not have CT agreement, member or trading licensee shall check the availability of capacity on the Gas Access Bulletin Board (GABB) and subject to availability of capacity, the member or trading licensee may bid for the requisite contracts at Gas Exchange. The pipeline capacity in respect of such transaction shall be automatically booked for such buyer. In case, the cumulative capacity requirement of all such buyers is more than the available capacity, then, the capacity allocation shall be carried out by the exchange as per its algorithm and transactions shall be cleared accordingly. Simultaneously, details of such transactions shall be informed by the Gas Exchange to the NGGMS and the available capacity in the pipelines on the GABB shall be updated accordingly.

(3) Category of Members at Gas Exchange:

(i) Members in Gas Exchange shall be of the following categories, namely: -

- (a) Trading Members;
- (b) Clearing Members;
- (c) Trading and Clearing Members; and
- (d) Proprietary Members,

Provided that the Board may notify separate Regulations to authorise Trading Licensees to perform such functions as it may specify in such Regulations.

(ii) The qualification criteria for grant of membership to the Gas Exchange and the Clearing Corporation, including without limitation, form of the organisation structure, minimum qualifications and experience of the professional employees, the minimum net worth and financial strength in terms of threshold of key financial ratios, disqualifications, categories of the members and the minimum net worth requirements and the limit, if any, of the volume of trades or clearing or settlement which such member can perform in the Gas Exchange or Clearing Corporation, the manner in which the applications for the membership shall be processed by the Gas Exchange or Clearing Corporation, the provisions on avoidance of conflicts, ethical behaviour and conduct of the applicants and the members in the business, shall be detailed in the bye-laws of the Gas Exchange or Clearing Corporation.

CHAPTER III**AUTHORISATION OF GAS EXCHANGE AND CLEARING CORPORATION****7. Obligation to Seek Authorisation:**

No person shall conduct, organise or assist in setting up or operating any Gas Exchange or Clearing Corporation unless he has obtained authorisation from the Board in accordance with these Regulations.

8. Application for Authorisation:

- (1) Subject to compliance with the provisions of these Regulations, an application for authorisation as a Gas Exchange or Clearing Corporation shall be submitted to the Board in Schedule 1 along with such documents as specified therein and application fee as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.
- (2) Such applicant shall publish, salient details of the application, proposed transaction platform and website address where the full application along with the attached documents is accessible in all editions of at least two national daily newspapers, including one economic daily newspaper within seven days of filing of the application, inviting public comments, suggestions and objections, if any, within twenty-one days from the date of its publication in the newspapers. The comments, suggestions and objections shall be directly submitted to Board through a letter or on email at the following address with a copy to the applicant, namely: -

Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre,
Babar Road,
New Delhi- 110001
E-mail - secretary@pngrb.gov.in

- (3) The application as filed and the information as sought by the Board shall be posted and kept on the website of the applicant until the expiry of one month from the final disposal of the application by the Board.

- (4) The applicant shall file before the Board its reply to the comments, suggestions and objections received in response to the public notice within fifteen days from the last day of receipt of public comments, suggestions and objections.

9. Conditions for Grant of Authorisation:

- (1) The application under regulation 8 shall be governed by the provisions of these Regulations and any other Regulations that have been notified by the Board in this regard.
- (2) An applicant referred to in sub-regulation (1) seeking authorisation as a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall comply with the following conditions, namely: -
 - (i) the applicant is a company limited by shares;
 - (ii) the applicant is demutualised;
 - (iii) the applicant and its directors are fit and proper persons as specified in sub-regulation (2) of regulation 20;
 - (iv) the applicant satisfies the requirements relating to the ownership and governance structure specified in these Regulations;
 - (v) the applicant satisfies the net worth requirements specified in these Regulations; and
 - (vi) the applicant satisfies the requisite capability, including its financial capacity, functional expertise, and like other capabilities.

Explanation — For the purposes of this sub-regulation, the term "demutualised" means the segregation of the ownership of the applicant, management of the applicant and the trading rights or clearing rights of the applicant from each other in terms of these Regulations.

- (3) An applicant seeking authorisation as a Gas Exchange shall, in addition to the provisions and conditions respectively as specified in sub-regulations (1) and (2), comply with the following conditions, namely: —
 - (i) the applicant has the necessary infrastructure for the orderly execution of trades;
 - (ii) the applicant has an online screen-based trading system;
 - (iii) the applicant has an online surveillance capability which monitors positions, prices and volumes in real time so as to ensure market integrity;
 - (iv) the applicant has made necessary arrangements to establish connectivity with its trading members and Clearing Corporation;
 - (v) the applicant has adequate settlement guarantee fund;
 - (vi) the applicant has adequate redressal mechanism for grievance of the members, trading licensees and their clients and arbitration mechanism to resolve disputes arising out of trades and their settlement;
 - (vii) the applicant has the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes such information on its website every day and shall, when the Board calls for any such information, provide the same to the Board;
 - (viii) applicant's business feasibility plan has been appraised by a reputed agency having expertise in gas market;
 - (ix) the applicant has adequate systems' capacity supported by a business continuity plan, including a disaster recovery site;
 - (x) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Board;
 - (xi) the Gas Exchange shall employ at least two full-time proficient professionals having, relevant qualifications and experience and expertise in the domain of oil or gas or commodities trading or exchange as key management personnel; and

- (xii) any other conditions as may be specified by the Board from time to time.
- (4) An applicant seeking authorisation as a Clearing Corporation shall, in addition to the conditions as specified in sub-regulations (1) and (2), comply with the following conditions, namely: -
 - (i) the applicant has necessary infrastructure to ensure timely clearing and settlement of trades;
 - (ii) the applicant has adequate risk management mechanism;
 - (iii) the applicant has the capacity to establish a settlement procedure including netting, novation and guarantee for settlement of trades in place, in accordance with the manner specified from time to time by the Board;
 - (iv) the applicant has the capacity to establish an applicable settlement guarantee fund to guarantee settlement of trades;
 - (v) the applicant has necessary capability to have a wide network of clearing members and has adequate facility to admit and regulate its members;
 - (vi) the applicant has the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time;
 - (vii) the applicant has established connectivity with the clearing banks, Gas Exchange and clearing members;
 - (viii) the applicant has adequate systems' capacity for on-line or real time risk management of trades cleared and settled and is supported by a suitable business continuity plan including a disaster recovery site;
 - (ix) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Board;
 - (x) the Clearing Corporation shall employ at least two full-time proficient professionals having, qualifications and experience and expertise in the clearing or settlement of transactions as key management personnel;
 - (xi) the applicant has the necessary arrangements in place for resolving disputes and redressal of grievances arising out of clearing and settlement of trades;
 - (xii) the applicant has an agreement with a Gas Exchange in respect of clearing and settlement of the trades; and
 - (xiii) any other conditions as may be specified by the Board.

10. Power to Make Inquiries and Call for Information:

The Board may, before granting authorisation to a Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, make inquiries and require the applicant to furnish such further information or document, as it may deem necessary.

11. Grant of Authorisation:

- (1) The Board may, after considering the application made under regulation 8 for authorisation of the Gas Exchange or Clearing Corporation, the objections and suggestions received in response to notice published in the newspapers under sub-regulation (4) of regulation 8 and the reply of the applicant thereto, make such inquiries as may be necessary in this regard. After obtaining such further information as it may require and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in regulation 9 and is eligible to act as such, may grant authorisation subject to such conditions as it may deem fit, for setting up and operating a Gas Exchange or a Clearing Corporation, as the case may be and the Board, for reasons to be recorded in writing, may reject the application for grant of authorisation, and no such application shall be rejected, unless the applicant has been given an opportunity of being heard.
- (2) The authorisation granted to a Gas Exchange or a Clearing Corporation, as the case may be, shall be as per Schedule 2.

- (3) The Gas Exchange and the Clearing Corporation shall comply with such other conditions as may be imposed by the Board from time to time.
- (4) The authorisation of a Gas Exchange and a Clearing Corporation, as the case may be, shall be for a period not exceeding twenty-five years from the date of authorisation unless such authorisation is renewed, revoked or cancelled earlier.

12. Renewal of Authorisation:

- (1) The Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, desirous of renewal of its authorisation may make an application to the Board not more than five years before the expiry of the period of such authorisation, in the form along with such documents as specified in Schedule 1.
- (2) Such application for renewal shall be accompanied by the application fee as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.
- (3) The Board may, after considering the application and after conducting due diligence as referred to sub-regulation (1) of regulation 11, may grant renewal of authorisation subject to such conditions as it may deem fit.
- (4) The renewal for authorisation shall be for a period as stated in sub-regulation (4) of regulation 11.

13. Annual Authorisation Charge and Other Charges:

A Gas Exchange and a Clearing Corporation shall pay an annual authorisation charge and other charges as specified in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007.

14. Withdrawal of Authorisation:

- (1) If the Board is of the opinion that the authorisation granted to a Gas Exchange or a Clearing Corporation under the provisions of these Regulations should, in the interest of the trade or in the public interest, be withdrawn, the Board may serve a written notice on such Gas Exchange or Clearing Corporation, to show cause as to why such authorisation may not be withdrawn and after giving an opportunity of being heard in the matter, the Board may withdraw, such authorisation granted to the Gas Exchange or the Clearing Corporation, as the case may be.
- (2) The notice referred to in sub-regulation (1) may be issued in particular and without affecting the generality of the foregoing provisions in any of the following circumstances, namely: -
 - (i) If the functioning of the Gas Exchange or a Clearing Corporation is in violation of the terms and conditions of these Regulations or any other Regulation as notified by the Board from time to time or terms of authorisation;
 - (ii) If the Gas Exchange or a Clearing Corporation indulges in any malpractice;
 - (iii) In case the net worth of the Gas Exchange or a Clearing Corporation reduces at any time below the specified amount and is not replenished within three months; and
 - (iv) In case the Gas Exchange or a Clearing Corporation fails to comply with any direction of the Board.
- (3) Withdrawal of the authorisation shall not affect the validity of any contract entered into or made before the date of withdrawal. The Board may, after consultation with the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, make such provision as it deems fit in the notice of withdrawal or in any subsequent communication for the due performance or settlement of any contracts outstanding on that date.
- (4) Consequent upon withdrawal or cancellation of the authorisation a Gas Exchange or a Clearing Corporation, the members of such Gas Exchange or Clearing Corporation shall cease to be members of the Gas Exchange or Clearing Corporation.

- (5) The Gas Exchange or Clearing Corporation shall set up sufficient funds in order to provide for settlement of any claims, pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities or claims of contingent nature, if any, and unresolved complaints or grievances of the members, trading licensees and their clients lying with the Gas Exchange.

15. Exit Scheme:

The Gas Exchange or Clearing Corporation shall have their exit scheme approved by the Board during the authorisation process, detailing the manner in which the running contracts on the Gas Exchange or Clearing Corporation shall be closed or the succession plan for all transacted contracts in case of closure of Gas Exchange or Clearing Corporation, and in case of cancellation or withdrawal of authorisation under these Regulations. Such approved exit scheme shall be provided in the bye-laws of the Gas Exchange or Clearing Corporation.

CHAPTER IV

NET WORTH OF GAS EXCHANGE AND CLEARING CORPORATION

16. Net Worth Requirements:

- (1) Every Gas Exchange or Clearing Corporation shall have and maintain at all times a minimum net worth of rupees twenty-five crore, but in case, Clearing Corporation is an integral part of Gas Exchange, the minimum net worth requirement shall be as applicable for Gas Exchange.
- (2) The Board may, at any time, review such minimum net worth requirement based on risk profile and other such factors as it deems necessary from time to time.
- (3) A Gas Exchange or a Clearing Corporation shall not distribute profits in any manner to its shareholders if its net worth is below the minimum specified under this Regulation.
- (4) Every Gas Exchange or Clearing Corporation shall: -
 - (i) on commencement of operations on an ongoing basis, maintain capital including retained earnings and reserves, as may be specified by the Board from time to time, to adequately cover counterparty credit risk, business risk, legal and operational risk; and
 - (ii) hold additional capital to cover costs required for orderly wind-down or recovery of operations.
- (5) Every Gas Exchange or Clearing Corporation shall submit an audited net worth adequacy certificate from its statutory auditors in terms of this Regulation by the 30th day of June every year for the preceding financial year.

CHAPTER V

OWNERSHIP OF GAS EXCHANGE AND CLEARING CORPORATION

17. General Conditions:

- (1) Save as otherwise provided in these Regulations, the shareholding or voting rights of any person or persons in Gas Exchange or Clearing Corporation shall not exceed the limits specified in this chapter at any point of time.
- (2) The shareholding as specified in these Regulations shall include any instrument owned or controlled, directly or indirectly, that provides for entitlement to equity or rights over equity at any future date.
- (3) In case, Clearing Corporation is an integral part of Gas Exchange, the shareholding pattern shall be as applicable for Gas Exchange.

18. Shareholding Pattern of Gas Exchange:

- (1) The equity shareholding pattern in the Gas Exchange shall be as follows, namely: -
 - (i) No member of a Gas Exchange, shall at any time, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliates or with persons acting in concert, acquire or hold more than five percent of the paid-up equity share capital in the Gas Exchange; and

- (ii) At no point of time all the members of a Gas Exchange shall in aggregate, directly or indirectly themselves or together with associates, affiliates or with persons acting in concert for any of them, acquire or hold more than forty-nine percent of the paid-up equity share capital in the Gas Exchange.
- (2) No person, other than a member of a Gas Exchange, shall at any time after five years of authorisation of the Gas Exchange, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliates or with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five percent of the paid-up equity share capital in the Gas Exchange. Such persons shall be required to divest their shareholding in excess of twenty-five percent within five years of authorisation of Gas Exchange.
- (3) No Clearing Corporation shall hold any right, stake or interest, of whatsoever nature, in any Gas Exchange.
- (4) Every Gas Exchange shall submit a certificate from its statutory auditors or a practising company secretary certifying the shareholding pattern and compliance with these Regulations by the thirtieth day of June every year for the preceding financial year.

19. Shareholding Pattern of Clearing Corporation:

- (1) The capital structure in a Clearing Corporation shall be such that at least fifty-one percent of its paid-up equity share capital shall always be held by one or more Gas Exchanges.
- (2) No person, except a Gas Exchange as per sub-regulation (1), shall at any time, after five years of authorisation of the Clearing Corporation, directly or indirectly, either individually or together with associates, affiliates or with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five percent of the paid-up equity share capital in a Clearing Corporation and such exception to the Gas Exchange shall be provided only for five years from the date of authorisation.
- (3) Every authorised Clearing Corporation shall submit a certificate from its statutory auditors or practising company secretary certifying the shareholding pattern and compliance with these Regulations during the preceding financial year by the 30th day of June every year.

20. Requirement and Criteria of Fit and Proper Person:

- (1) The Gas Exchange and Clearing Corporation shall ensure that all its directors and key management personnel are fit and proper persons at all times.
- (2) For the purposes of these Regulations, a person shall be deemed to be a fit and proper person, if—
 - (i) such person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to: -
 - (a) financial integrity;
 - (b) good reputation and character; and
 - (c) honesty;
 - (ii) such person has not incurred any of the following disqualifications, namely: -
 - (a) the person or any of its directors has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence;
 - (b) an order for winding up has been passed against the person;
 - (c) the person, or any of its directors, has been declared insolvent and has not been discharged;
 - (d) an order restraining, prohibiting or debarring any entity or any of its directors, passed by the Board, under the Act, Regulations framed thereunder or any other Act or Regulations passed by any other regulatory authority under the relevant statute and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

- (e) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
 - (f) the person is financially not sound or has been categorised as a defaulter; and
 - (g) any other disqualification criteria as may be specified by the Board.
- (3) If any question arises on the decision of a Gas Exchange or Clearing Corporation as to whether a person is a fit and proper person, the Board's decision on such question shall be final.

CHAPTER VI

GOVERNANCE STRUCTURE OF GAS EXCHANGE AND CLEARING CORPORATION

21. The corporate governance norms as specified in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 for listed companies shall apply mutatis mutandis to a Gas Exchange and a Clearing Corporation, except those specifically dealt in these Regulations.

22. Composition of the Board of Directors:

- (1) The board of directors of every Gas Exchange and Clearing Corporation shall include -
 - (i) independent directors; and
 - (ii) other directors, including whole time directors if any, and the managing director.
- (2) The chairperson shall be elected by the board of directors as referred in sub-regulation (1) from amongst the independent directors.
- (3) The number of independent directors shall not be less than the number of other directors on such board of directors of the Gas Exchange and the Clearing Corporation.
- (4) No member of any Gas Exchange or Clearing Corporation or their associates or agents, irrespective of the Gas Exchange or Clearing Corporation of which they are members, shall be on the board of directors of any Gas Exchange or Clearing Corporation. A Gas Exchange and a Clearing Corporation, shall monitor and ensure the compliance of this sub-regulation on a continuous basis, to ensure that directors appointed on their respective board of directors do not get associated with any member of any Gas Exchange or Clearing Corporation after approval of their appointment by the concerned board.
- (5) The chairperson of the board of directors of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall have a casting vote in the meetings of the board of directors.

23. Conditions of Appointment of Independent Directors:

- (1) Appointment of the independent directors on the board of directors of the Gas Exchange or the Clearing Corporation shall be approved by the Board.
- (2) Such independent directors shall be appointed for a term of three years, extendable by another term of three years, subject to performance review in the manner as specified in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 for listed companies:

Provided that after the expiry of term at the Gas Exchange or the Clearing Corporation, as the case may be, an independent director may be appointed for a term of three years in another Gas Exchange or Clearing Corporation after a cooling-off period of one year:

Provided further that a person may be appointed as an independent director for a maximum of three terms across Gas Exchanges and Clearing Corporations, subject to a maximum age limit of seventy-five years.

- (3) An independent director on the board of directors of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall not act simultaneously as director on the board of any of its affiliates, or any other Gas Exchange or Clearing Corporation or any of their subsidiaries.

- (4) An independent director on the board of directors of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall keep its board of directors apprised of any conflict of interest, which may arise as a result of the independent director providing services, either directly or indirectly, to any member of Gas Exchange or Clearing Corporation or their affiliates.
- (5) No independent director shall become a non-independent director that is to say “other director” unless there is a cooling-off period of one year after ceasing to be the independent director.
- (6) No independent director on the board of a Gas Exchange or a Clearing Corporation, shall become a director on the board of subsidiary or affiliate of that Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, unless there is a cooling-off period of one year after ceasing to be an independent director.
- (7) An independent director on the board of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall not act simultaneously as a member on more than five committees of that Gas Exchange or Clearing Corporation.
- (8) Independent directors shall be remunerated by way of sitting fees only as admissible to independent directors as per the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (9) If any issue arises as to whether an assignment or position of an independent director is in conflict with his role, the Board's decision thereon shall be final.
- (10) The application for appointment of independent director shall be made in the manner as specified in Schedule 3.

24. Appointment of the Managing Director:

- (1) The appointment, renewal of appointment and termination of service of the managing director of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall be approved by their respective board of directors on the recommendation of the nomination and remuneration committee of such board.
- (2) The managing director of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall not-
 - (i) be a shareholder or an associate or affiliate of a shareholder of the Gas Exchange or Clearing Corporation or shareholder of an affiliate of the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be;
 - (ii) be a member or his associate or affiliate or agent or shareholder; or
 - (iii) hold any position concurrently in the subsidiary or affiliate of the Gas Exchange or Clearing Corporation or in any other entity associated with the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be;

Provided that the managing director of a Gas Exchange or a Clearing Corporation may be appointed on the board of directors, but not as managing director of the subsidiary or affiliate of the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be;
- (3) The Board may suo-motu remove or terminate the appointment or services of the managing director of a Gas Exchange or Clearing Corporation if deemed fit in the interest of gas market, after the managing director and Gas Exchange or Clearing Corporation have been given an opportunity of being heard.
- (4) The conditions specified under Schedule 3 for appointment of directors shall be applicable to a person holding the position as managing director in a Gas Exchange or a Clearing Corporation.
- (5) The managing director, the chief executive or the director in-charge of day-to-day operations or any employee of the Gas Exchange or Clearing Corporation shall not be directly or indirectly associated with any member and its clients of that Gas Exchange or Clearing Corporation or with a holding or subsidiary company thereof.
- (6) The managing director shall ensure that the individual bids of members of the Gas Exchange are not shared with any director or the board of directors of the Gas Exchange.

25. Code of Conduct for Directors and Key Management Personnel:

- (1) Every director of a Gas Exchange and a Clearing Corporation shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule 4.
- (2) Every director and key management personnel of a Gas Exchange and a Clearing Corporation shall abide by the Code of Ethics specified under Schedule 5.
- (3) The Board may, for any failure by the directors or key management personnel to abide by these Regulations or the Code of Conduct or Code of Ethics or in case of any conflict of interest, either upon a reference from the Gas Exchange or Clearing Corporation or suo-motu, take appropriate action, including removal or termination of his appointment, after providing him and Gas Exchange or Clearing Corporation an opportunity of being heard.

26. Compensation and Tenure of Key Management Personnel:

- (1) A Gas Exchange or a Clearing Corporation shall constitute a committee to be called as “nomination and remuneration committee” comprising a majority of independent directors and chaired by an independent director of its board.
- (2) The nomination and remuneration committee as referred in sub-regulation (1) shall determine the compensation of the key management personnel in terms of its compensation policy.
- (3) The compensation and tenure of such directors and key management personnel shall be in accordance with the compensation policy of the Gas Exchange or a Clearing Corporation.
- (4) The nomination and remuneration committee as referred in sub-regulation (1) shall recommend the panel for appointment of independent directors to the board of directors of the Gas Exchange or the Clearing Corporation, for forwarding to the Board and the committee shall also recommend the appointment of directors to the board of directors.

27. Segregation of Regulatory Departments:

A Gas Exchange and a Clearing Corporation shall segregate its regulatory departments from other departments in the manner as specified in Schedule 6.

28. Statutory Committees:

- (1) Every Gas Exchange and Clearing Corporation, in addition to requirements of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 for listed companies, shall constitute the committees of its board of directors as per sub-regulation (2) and (3).
- (2) Functional committees, comprising of: -
 - (i) Members selection committee; and
 - (ii) Nomination and remuneration committee.
- (3) Other committees, comprising of: —
 - (i) Regulatory oversight, market surveillance, technology and SGF management committee; and
 - (ii) Risk management committee.
- (4) The Board may, subject to the provisions of these Regulations and other applicable statutory provisions, specify composition, quorum and detailed scope of functions of the committees as specified in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) from time to time.

29. Constitution of Committees:

- (1) Risk management committee (RMC) shall be headed by an independent director, which shall monitor all potential risks, stipulate risk containment measures and monitor adherence of the same.

- (2) Regulatory oversight, market surveillance, technology, and SGF management committee shall be headed by an independent director and have members from the executive team of the Gas Exchange and no Member of the Gas Exchange shall be included in this committee.

30. Appointment of Compliance Officer:

- (1) Every Gas Exchange or Clearing Corporation shall appoint a compliance officer who shall be a Company Secretary as defined in paragraph (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and be responsible for monitoring the compliance of the Act, Regulations, bye-laws and rules of the Gas Exchange or the Clearing Corporation as applicable and directions issued thereunder and for redressal of grievances of the members, trading licensees and their respective clients.
- (2) The compliance officer shall immediately and independently, report to the Board any non-compliance of any provision stated in sub-regulation (1) observed by him.

31. Disclosure and Corporate Governance Norms:

- (1) The disclosure requirements and corporate governance norms as specified in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 for listed companies shall mutatis mutandis apply to a Gas Exchange and a Clearing Corporation, except those specifically dealt in these Regulations.
- (2) The board of directors of a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall confirm compliance of sub-regulation (1) in writing on a quarterly basis to the Board within two months from the end of each calendar quarter.
- (3) A Gas Exchange and a Clearing Corporation shall disclose resources committed towards strengthening regulatory functions and ensuring compliance with regulatory requirements applicable to the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, in accordance with section 134 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).
- (4) The fees and charges levied by a Gas Exchange or a Clearing Corporation shall be placed for review before the oversight committee of such Gas Exchange or Clearing Corporation.

32. Risk Management by Gas Exchange or Clearing Corporation:

- (1) The Gas Exchange or Clearing Corporation shall adopt best practices while formulating prudent and dynamic risk management processes based on the changing risk profiles of the gas or Clearing Corporation market.
- (2) The members' risk shall be monitored constantly and adequate margins shall be collected at appropriate time for efficacy of risk management.
- (3) Members shall be subject to margins on gross basis across clients by the Gas Exchange. There shall be no offsetting of positions of different clients of a member in the same market.
- (4) Members shall follow a prudent risk management policy and have a system for timely collection of margins from their clients. The quantum of margins collected by members from client shall be at the discretion of the members, but in the minimum comply with the bye-laws of Gas Exchange.
- (5) Risk Management Committee (RMC) shall review on a quarterly basis the framework for management of risks (existing and potential and the processes of the Gas Exchange or Clearing Corporation, especially with reference to risk management and recommend steps to mitigate the same). The RMC shall submit a quarterly report of its each review to the board of directors. The decision of the board of directors on the subject, along with the RMC report, shall be submitted to the Board within two months from the end of each calendar quarter.
- (6) The Gas Exchange shall set up sufficient funds in order to provide for settlement of any claims, pertaining to pending arbitration cases, arbitration awards, liabilities and claims of contingent nature, if any, and unresolved complaints and grievances of the members, trading licensees or their clients lying with the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be.

- (7) The Board may direct the Gas Exchange and Clearing Corporation to prepare a comprehensive risk management framework covering aspects such as criteria for checking the credibility of participants, margin requirement against respective contracts, sufficiency of the settlement guarantee fund and risks related to the settlement cycle along with any other operational aspects.

33. Default Remedy Mechanism on Gas Exchange or Clearing Corporation:

- (1) A member may be declared a defaulter by direction or circular of the Gas Exchange or Clearing Corporation, if: -
- (i) one is unable to fulfil his clearing or settlement obligations; or
 - (ii) one admits or discloses his inability to fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or
 - (iii) one fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under the bye-laws of Gas Exchange or Clearing Corporation; or
 - (iv) one fails to pay any sum due to the Gas Exchange or Clearing Corporation which may be prescribed from time to time by the authority competent for such purpose; or
 - (v) one fails to pay or deliver all moneys, gas or other related assets due to a member who has been declared a defaulter within such time of declaration of default of such member, in such manner and to such person as the Gas Exchange or Clearing Corporation may direct; or
 - (vi) one has been declared as a defaulter by any other Gas Exchange or Clearing Corporation; or
 - (vii) one has been adjudicated as an insolvent or a winding up order has been passed against such member, then, such member shall be ipso-facto declared as a defaulter although he may not be otherwise a defaulter on the exchange or the Clearing Corporation at that time; or
 - (viii) one fails to abide by the arbitration award, which has attained finality, as laid down under the bye-laws and rules of Gas Exchange or Clearing Corporation; or
 - (ix) under any other circumstances as may be decided from time to time by the Board or with the approval of the Board by the Gas Exchange or Clearing Corporation.
- (2) In the event a member is declared a defaulter and the member fails to meet his clearing and settlement obligations, upon crystallisation of claims in accordance with the bye-laws of the Gas Exchange, the claim amount shall be set aside from deposits of the defaulting members and the so recovered amount shall be distributed *pari-passu* and proportionately among the affected parties including transporter, seller, buyer, NGGMS and Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, from the deposits of the member or client as the case may be. Thereafter the Gas Exchange may utilise the settlement guarantee fund and other monies to the extent necessary to eliminate the obligation of the defaulting member in the following order, namely: -
- (i) Liquidation of collaterals: Contributions or deposits, including margins in any form, by the defaulting member or client;
 - (ii) Liquidation of security deposit: Membership deposit given by the defaulting member to the Gas Exchange or Clearing Corporation;
 - (iii) Liquidation of assets: The assets of such defaulter member vested with the Gas Exchange or Clearing Corporation;
 - (iv) Insurance money: Insurance taken by Gas Exchange or Clearing Corporation of an amount as considered appropriate by them for protection against defaults;
 - (v) Initial contribution of the Gas Exchange or Clearing Corporation towards Settlement Guarantee Fund;

- (vi) Contribution towards settlement guarantee fund by all members or clients: All non-defaulting members or client's contribution in proportion of deposits towards settlement guarantee fund;
- (vii) Current year's profits of the Gas Exchange or Clearing Corporation, including fines, penalty collected from members;
- (viii) Reserves of the Gas Exchange or Clearing Corporation;
- (ix) Equity Capital of the Gas Exchange or Clearing Corporation;
- (x) Balance obligations remaining outstanding after aforesaid funds will be met by contribution from members or clients in proportion to their contribution to the SGF;

Provided that once the Clearing Corporation is hived off, the default remedy mechanism shall be handled by the Clearing Corporation, but the Gas Exchange shall be liable to settle the default arising out of guarantee of trade i.e. supply of commodity in case of default by seller and/ or failure to take delivery of commodity by buyer.

34. Information Technology Infrastructure and Trading System:

(1) The Gas Exchange shall comply with the following, namely: —

- (i) Gas Exchange shall use electronic trading system and tele-communication network;
- (ii) The orders entered by a member of Gas Exchange shall be first checked against availability of funds or collateral in the risk management system before being accepted in the order book of the Gas Exchange. This process shall be continued even after separation of clearing function to the Clearing Corporation;
- (iii) Automated audit trail of bids, offers, and the matching of orders or the execution of transactions on the facility shall be maintained for a period of at least seven years;
- (iv) The algorithm of the software application for price discovery shall be in compliance with the methodology mentioned in bye-laws and rules of Gas Exchange as approved by the Board. The Gas Exchange shall get the algorithm audited, by a competent agency, within three months of its authorisation and thereafter, once in every two years and submit the findings of the audit to the Board. The resources employed for audit shall have competence in audit of algorithms and relevant industry certifications such as CISA (Certified Information Systems Auditor) from ISACA or shall have empanelment with the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate under the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;
- (v) The Board may audit or appoint an agency to audit the software application used by the Gas Exchanges in operation for price discovery on a random basis. The Gas Exchange shall produce the test results of test cases and scenarios provided by the Board;
- (vi) Gas Exchange shall formulate and implement a cyber security and cyber resilience framework to manage risk to systems, networks and databases from cyber-attacks and threats with the approval of the its board of directors and submit it to the Board for information;
- (vii) Gas Exchange shall also carry out periodic IT system audit for data security, data integrity and operational efficiency each year from an organisation empanelled with CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) and submit its reports to the Board annually by 31st May in respect of the preceding financial year;
- (viii) Gas Exchange shall discharge the responsibility of activities mentioned in Clauses (b) to (e) in respect of all contracts transacted at the exchange; and
- (ix) Gas Exchange shall build a disaster recovery site and alternate trading facility in case of emergency, within three months from the date of authorisation.

35. Delivery Procedure:

- (1) The scheduling and delivery of contracts on Gas Exchange shall be in accordance with the Access Code. Subject to the provisions of these Regulations, operationalisation of scheduling of transactions through the Gas Exchange shall be in accordance with the detailed procedure issued by the Board under such Access Code. The detailed procedure may cover, though not limited to, the following aspects, namely: -
 - (i) submission and processing of the application for scheduling of transactions for different contracts;
 - (ii) scheduling of intra-day, day-ahead and term-ahead transactions;
 - (iii) procedure for real-time curtailments;
 - (iv) coordination with NGGMS for availability of pipeline capacity and estimating flows for the traded contracts;
 - (v) transportation tariff, various other charges, fees and other commercial conditions;
 - (vi) payments and defaults in payments; and
 - (vii) any other issue pertaining to operationalisation of scheduling of multiple transactions through the Gas Exchange.
- (2) The charges or penalties for defaults that is to say imbalances, overruns and like other defaults shall be in accordance with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016.
- (3) All data transfer between NGGMS and the Gas Exchange shall be done electronically through a secure communication channel.
- (4) The Gas Exchange, shipper, NGGMS, transporter, seller, buyer and like other transporters would have rights and obligations as defined in Access Code and bye-laws of the Gas Exchange.

36. Grievance Redressal of Members and Clients:

- (1) The Gas Exchange shall constitute a grievance redressal committee or Forum, headed by an independent director.
- (2) The Gas Exchange shall disclose on its website the details of complaints and grievances lodged by members, trading licensees or their members against the Gas Exchange and by clients against its members and the status of redressal of such complaints.
- (3) Gas Exchange shall also disclose on its website the conflict resolution mechanism followed by it.
- (4) The Board may call for information on redressal of any specific complaints and grievances by the Gas Exchange.

CHAPTER VII**GENERAL OBLIGATIONS OF GAS EXCHANGE AND CLEARING CORPORATION****37. Clearing and Settlement of Trades:**

- (1) The Gas Exchange may carry out the clearing and settlement function of its trades by setting up a clearing house as part of the Gas Exchange until Board notifies the exchange to utilise the services of a separate Clearing Corporation for clearing and settlement of its trades.
- (2) Every Gas Exchange shall, with effect from the date specified by the Board in this behalf, use the services of a separate Clearing Corporation for clearing and settlement of its trades.

38. Agreement between Gas Exchange and Clearing Corporation:

A Gas Exchange shall avail the service of a Clearing Corporation pursuant to an agreement in writing between them stipulating their rights and obligations, the conditions for admission of gas volumes for

clearing and settlement, risk management measures, charges for clearing and settlement and other incidental and consequential matters.

39. Settlement Guarantee Fund (SGF):

- (1) Every Clearing Corporation or Gas Exchange, as the case may be, shall establish and maintain a settlement guarantee fund (SGF), to guarantee the settlement of trades executed on Gas Exchange:

Provided that in case a Gas Exchange enters into an arrangement with more than one Clearing Corporations, then it shall enter into a multi-partite agreement in writing with such Clearing Corporations to ensure interoperability among the Clearing Corporations.

- (2) In the event of a member of Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, failing to honour his settlement obligations, the SGF shall be utilised to complete the settlement.

40. Contribution to the Settlement Guarantee Fund:

- (1) The contribution to the settlement guarantee fund (SGF) as specified in this Regulation shall be made by the Gas Exchange, the Clearing Corporation and all members of Gas Exchange or Clearing Corporation, in the manner as may be specified by the Gas Exchange or the Clearing Corporation, as the case may be, from time to time.
- (2) In case of shortfall in the SGF, the Clearing Corporation and the Gas Exchange shall replenish the SGF to the threshold level as may be specified in these Regulations or by the Board from time to time.
- (3) Components of the SGF as specified below, namely: -
 - (i) Any Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, shall have a minimum balance of rupees twenty Crore in the SGF at the start of the exchange. This shall comprise of the base minimum capital of all the members and balance, if any, shall be contributed by the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be;
 - (ii) There shall be a quarterly contribution to SGF by the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be, equal to five percent of the sum total of the gross revenue of the Gas Exchange or Clearing Corporation, as the case may be;
 - (iii) Returns or any other income accruing on all investments of the SGF (including the base minimum capital); and
 - (iv) All penalties charged by the Gas Exchange or Clearing Corporation.
- (4) The Gas Exchange or Clearing Corporation, as applicable, shall invest the proceeds of SGF in safe liquid investments or in money market instruments issued by the Reserve Bank of India with maturity of less than one year.
- (5) The SGF fund shall be retained by the Gas Exchange till the SGF is maintained by the Gas Exchange. In case of hiving off of the clearing function to separate Clearing Corporation, the SGF fund shall be transferred to the Clearing Corporation.
- (6) Contribution of fund towards the SGF by Gas Exchange shall be replaced by the Clearing Corporation to maintain the minimum balance of SGF.
- (7) Gas Exchange shall incorporate the provisions relating to the SGF in detail in the bye-laws of the Gas Exchange.
- (8) Gas Exchange or the Clearing Corporations, as the case may be, shall submit the details of investment of SGF to the Board annually along with its annual report.
- (9) The Board may direct the requirement of additional prudential norms and incremental requirement of SGF upon introduction of derivative, forward and future contracts after getting such empowerment as referred in sub-regulation (3) of regulation 3 and such directions shall be complied by the Gas Exchange and Clearing Corporation.

41. Equal, Fair and Transparent Access:

- (1) The Clearing Corporation shall lay down a policy framework for ensuring that there is no discrimination between the shareholder and non-shareholder of the Gas Exchange while rendering clearing and settlement services in settlement of trades executed on Gas Exchange.
- (2) Clearing Corporation shall make a framework ensuring compliance of sub-regulation (1) and make it available on its website, along with the basis on which access to its clearing and settlement services have been provided to shareholders.
- (3) The Clearing Corporation and Gas Exchange shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access to all persons without any bias towards its associates or affiliates.
- (4) If any issue arises in rendering non-discriminatory access to services of a Clearing Corporation or Gas Exchange, the Board's decision thereon shall be final in that regards.

42. Maintenance of Books of Accounts and Records:

- (1) Subject to the provisions of any other law for the time being in force, every Gas Exchange and Clearing Corporation shall maintain and preserve the following books of account and documents for a minimum period of seven years, namely: -
 - (i) minutes books of the meetings of the company board and all its committees;
 - (ii) record of members showing their full names, addresses and details of bank accounts for settlement purposes;
 - (iii) transaction records;
 - (iv) record of security deposits;
 - (v) margin deposits book;
 - (vi) client margin collection details;
 - (vii) ledgers;
 - (viii) journals;
 - (ix) cash book;
 - (x) bank account statements; and
 - (xi) such other books of accounts and documents as may be specified by the Board from time to time.

43. Submission of Annual Financial Statements and Returns:

A Gas Exchange and Clearing Corporation shall submit its annual report along with its audited financial statements of the immediately preceding financial year (which shall be including but not limited to, income statement, balance sheet, cash flow and notes to financial statements) latest by 30th June every year to the Board.

44. Bye-laws and Rules of Gas Exchanges and Clearing Corporation:

- (1) A Gas Exchange and Clearing Corporation shall, with the prior approval of the Board, make bye-laws and market rules for the Regulation of contracts and clearing and settlement, not contrary to these Regulations.
- (2) No memorandum of association, articles of association or any other constitution document, in so far as they relate to matters specified in these Regulations, bye-laws and rules of a Gas Exchange or a Clearing Corporation, shall be amended except with prior approval of the Board.
- (3) The Gas Exchange shall function according to its bye-laws and market rules formulated by the Gas Exchange and as approved by the Board, and –
 - (i) Such market rules amongst other requirements would cover the following, namely: -

- (a) Membership and client registration process (including KYC), types of membership, membership fees and application process;
 - (b) price discovery and matching mechanism;
 - (c) qualifications for membership, exclusion, suspension and expulsion;
 - (d) rights and liabilities for each category of members;
 - (e) opening and closing of transaction hours, trading days, matching of transactions and bidding process;
 - (f) delivery, delivery obligations, scheduling, imbalance management, quantity, quality, measurements, gas specifications, taxes and like other particulars;
 - (g) clearing and settlement of trades;
 - (h) type of contracts;
 - (i) conditions of service, technical facilities, liability of exchange, confidentiality and like other details.;
 - (j) margin requirements;
 - (k) procedure for handling a default relating to -
 - i buyer default remedy mechanism;
 - ii seller default remedy mechanism; and
 - iii mechanism to compensate transporter for system imbalances caused due to buyer or seller default; and
 - (l) any other provision as may be directed by the Board from time to time.
- (ii) Bye-laws amongst other requirements would cover the following, namely: —
- (a) market surveillance and investigation procedures;
 - (b) clearing and settlement procedure;
 - (c) risk management framework;
 - (d) levy of exchange transaction charge;
 - (e) member service charge;
 - (f) maintenance of records and accounts;
 - (g) preparation of annual accounts and audit thereof;
 - (h) arbitration, dispute resolution and conciliation;
 - (i) procedures for identification and defining of gas hubs;
 - (j) transaction at exchange, risk management;
 - (k) SGF - its contributions, utilization and payment;
 - (l) code of conduct;
 - (m) mechanism for redressal of grievances and complaints;
 - (n) rights and obligation;
 - (o) management of exchange, exchange committee and its workings;
 - (p) confidentiality;
 - (q) exit scheme; and
 - (r) any other provision as may be directed by the Board from time to time.

- (4) Market rules as referred to in sub-regulation (3) may be amended subject to prior approval of the Board.
- (5) At the time of application for the grant of authorisation as per provisions of regulation 8, the applicant shall submit the draft bye-laws and market rules, in accordance with this Regulation.

45. Settlement and Netting:

- (1) The payment and settlement in respect of a transaction between the parties in a Gas Exchange or Clearing Corporation shall be determined in accordance with the netting or gross procedure as specified in the bye-laws of such Gas Exchange and Clearing Corporation.
- (2) Payment and settlement in respect of a transaction between parties as referred in sub-regulation (1), made under the bye-laws of a Gas Exchange or Clearing Corporation, shall be final, irrevocable and binding on such parties.
- (3) When a settlement has become final and irrevocable, the right of the Gas Exchange or the Clearing Corporation, as the case may be, to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by all the members of Gas Exchange or Clearing Corporation and their clients towards its settlement or other obligations in accordance with the bye-laws of the Gas Exchange or Clearing Corporation shall take priority over any other liability of, or claim against, the said member.

***Explanation:** For removal of doubts, it is hereby declared that the settlement, whether gross or net, referred to in this Regulation is final and irrevocable as soon as the money, or other transactions payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money or other transactions is actually paid.*

46. Right of Clearing Corporation:

The right of a Clearing Corporation to recover the dues from all the members of Gas Exchange or Clearing Corporation, arising from the discharge of its clearing and settlement function, from the collaterals, deposits and the assets of the members, shall have priority over any other liability of or claim against the members under these Regulations.

CHAPTER VIII

INSPECTION, ENQUIRIES AND ENFORCEMENT

47. Market Oversight:

The Board may issue such directions, after considering investigation report as referred in this Chapter VIII, as it considers appropriate to maintain market oversight and surveillance and to check market integrity in the following circumstances, namely: -

- (i) manipulative or attempted manipulative activity;
- (ii) transactions that are misleading or deceptive, or are likely to mislead or deceive;
- (iii) unwarranted speculation leading to volatility in price;
- (iv) any form of cartelisation;
- (v) any other form of market abuse; and
- (vi) abuse of dominant position by any market participant.

48. Other Circumstances Requiring Intervention:

- (1) The Board may, on being satisfied that any of the below mentioned circumstances exist or is likely to occur in the market, by an order, give such directions as may be necessary, namely: -
 - (i) abnormal increase or decrease in prices of natural gas;
 - (ii) sudden or unreasonable fluctuations or unwarranted changes in the prices of natural gas and high volatility; and
 - (iii) sudden high transaction volumes on a Gas Exchange.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may, by order in writing:

- (i) suspend transaction activities for a cooling off period (in case of increased volatility);
- (ii) suspend transaction of any specific contract on Gas Exchange;
- (iii) increase the margin for contracts transacted on Gas Exchange (in a case of high volatility of prices or high speculation);
- (iv) allow trade only for trade settlements;
- (v) limit open position of one or a section of participants on Gas Exchange;
- (vi) limit market wide position on Gas Exchange; and
- (vii) require hiving off of the clearing and settlement function from the Gas Exchange to a Clearing Corporation.

49. Power to Call for Information:

The Board may from time to time call for any information, documents or records from the Gas Exchange or the Clearing Corporation.

50. Power of Inspection:

(1) The Board may at any time undertake inspection, conduct inquiries and audit of any Gas Exchange or Clearing Corporation, any associate or affiliate of such exchange or Clearing Corporation.

(2) Where an inspection under sub-regulation (1) is undertaken by the Board, such Gas Exchange or Clearing Corporation or its affiliate and every manager, director, managing director, chairperson or officer and other employee of such Gas Exchange, Clearing Corporation, or affiliate or associate shall cooperate with the Board.

51. Directions by the Board:

Without prejudice to the exercise of its powers under the Act and rules or Regulations made thereunder, the Board may, either suo-motu or on receipt of any information or during pendency of any inspection, inquiry or investigation or on completion thereof, in the interest of promoting competitive natural gas markets, issue such directions as it deems fit.

52. Investigation of Certain Matters:

(1) The Board may, on being satisfied that, any of the circumstances specified in regulation 47 exists, at any time, by order in writing, call upon any Gas Exchange or Clearing Corporation or member of Gas Exchange or Clearing Corporation or trading licensee (hereinafter referred to as the “person being investigated”) to furnish in writing any information or explanation, including without limitation, relating to any of their transaction, activity, business practice or business dealing.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Board may direct, by order, an officer of the Board or any other person (hereafter referred to as “Investigating Authority”) specified in the order to investigate the affairs of any person being investigated, including his books of account, and submit a report to the Board on such investigation:

Provided that the investigating authority may, wherever necessary, employ any auditor or any other person for providing assistance to it in any investigation under this Regulation.

Provided further that the Board may, on the request of such Gas Exchange or Clearing Corporation or member of Gas Exchange or Clearing Corporation or trading licensee, as the case may be, provide to him a copy of the report of the investigating authority.

(3) It shall be the duty of every manager, key management personnel, director, managing director or any other official of the person being investigated, to produce before the investigating authority directed to make the investigation under sub-regulation (2), all such books of account, authorisation and other documents in his custody or power and to furnish them with any statement

and information relating to the affairs of the person being investigated as the said investigating authority may require of them within such time as the investigating authority may direct.

(4) On receipt of any information or report under sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the Board may, after giving such opportunity to the person being investigated to make a representation in connection with the report as in the opinion of the Board, seems reasonable, and after considering representation if any, by order, in writing —

- (i) require the person being investigated to take such action in respect of any matter arising out of the report as the Board may think fit; or
- (ii) cancel the authorisation of the Gas Exchange, Clearing Corporation and the trading licensee under these Regulations;
- (iii) direct Gas Exchange to cancel membership of a member; or
- (iv) direct the Gas Exchange to cease to carry on the business of Gas Exchange; or
- (v) direct the Clearing Corporation to cease to carry on the business of clearing and settlement;

Provided that no action specified in this sub-regulation shall be taken unless an opportunity of being heard is given to the person being investigated.

(5) The Board may, on being prima-facie satisfied that a person has failed to comply with any of the provisions of these Regulations, at any time, by order in writing, direct any person specified in the order to investigate the affairs of such person and to report to the Board. The provisions of regulation 53 shall apply mutatis mutandis to the investigation specified in this sub-regulation.

53. Power to issue Interim Orders:

Where during an investigation or intervention, the Board is satisfied that an act in contravention of these Regulations has been committed or continues to be committed or that such act is about to be committed, the Board may, by order, temporarily restrain any person from carrying on such act until the conclusion of such investigation or intervention or until further orders, but such order shall not be made without giving notice and opportunity of being heard to such person.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

54. Information Dissemination:

- (1) The Gas Exchange shall display on its website compilation of links to all relevant price sensitive information, including but not limited to: -
 - (i) gas price information;
 - (ii) any urgent market information issued by NGGMS on its website;
 - (iii) planned maintenance schedule as per the provisions of Access Code; and
 - (iv) any incident related to a natural gas pipeline, LNG terminal, domestic gas field and like other facilities which could potentially result in outage or interruptions in gas supply.
- (2) Historical and current prices (open, close, maximum, minimum, weighted average, cleared), volumes, bids and offers, shall be made available market segment-wise on the website of the exchange and these shall be downloadable in various formats.
- (3) The Gas Exchange shall organise members and clients' awareness programs on a regular basis.

55. Market Surveillance:

- (1) Gas Exchange shall set up a surveillance department which shall carry out day-to-day monitoring of transactions and surveillance. It shall also undertake other analysis as mentioned in sub-regulation (4).

(2) The surveillance department of Gas Exchange shall submit its analysis report to the market surveillance committee and the market surveillance committee shall submit a quarterly surveillance report to the Board within two months from the end of each calendar quarter through the board of directors of the Gas Exchange.

(3) Market surveillance shall be executed from a physically secure and restricted area by authorised personnel only and such personnel shall maintain information and data security at all times and especially when the auction window is open. All conversations of such personnel shall be recorded and it shall be made known to them and audio tapes of such conversations shall be made available to the Board on demand.

(4) The surveillance department shall analyse bidding patterns and transactions of participants. An analysis report of the surveillance department shall be submitted to the Board on quarterly basis within two months from the end of each calendar quarter, which shall be in the following particular areas but not limited to –

- (i) open position by clients, by contracts;
- (ii) pattern of transactions of participants over a time period;
- (iii) daily, weekly, monthly volatility analysis of prices (intra-day, day-ahead and term-ahead contract prices);
- (iv) price setter analysis of buyer and seller;
- (v) circular trading monitoring i.e., fraudulent transactions to buy and sell the same or similar quantity of a contract, at the same or similar price and within a short time period, without actual change of ownership;
- (vi) dominant participants and market concentration;
- (vii) analysis of sudden increase in transaction volumes or open position of any participant; and
- (viii) analysis and reasons of persistent default by any participant.

(5) The Gas Exchange shall also establish a system for carrying out the know your customers (KYC) check on members and their clients.

56. Transaction Reporting by Gas Exchange, Trading Licensees, Shippers, Transporters and any other Market Participants:

- (1) All reporting shall be in electronic format.
- (2) Trading Licensees shall provide open position report and tenure of all trades and risk summary report on a quarterly basis for risk monitoring purpose.
- (3) Gas Exchange shall report price and volume of daily transactions on its website every day and a consolidated report on these parameters on a monthly basis by the 0900 hours on the first day of each month in respect of the transactions of the immediately preceding month.
- (4) The Gas Exchange shall submit to the Board monthly details of all transactions on its platform and such details shall also be kept by the Gas Exchange on its web-site.
- (5) The Gas Exchange shall submit to the Board bids of all participants along with its analysis as required and as and when directed by the Board.
- (6) The Board may at any time direct, by order, the Gas Exchange or any participants to submit any periodical or one-time report on any parameter in such format as it may deem required.
- (7) The Board may also at any time and from time to time, by order, lay down and review the formats in which any of the information shall be submitted by the Gas Exchange or any participant.

57. Whistle Blowers' Policy:

- (1) Any market participants may report to the Board, either by letter or email, any unscrupulous activity, wrong-doing or violation of law, as may come to their knowledge.
- (2) The provider of the information referred to in sub-regulation (1) shall be entitled to request the Board that his identity be kept confidential and be not disclosed. The Board shall, if so, requested by the provider of such information, keep his identity confidential and shall not disclose the same.
- (3) The Board shall take strict action in case of any kind of retaliation to such an informant by any affected party.
- (4) The Board shall not be bound to take action on pseudonymous or anonymous communications.

58. Insider Trading:

A person having non-public price sensitive information, including the one relating to outage of liquefied natural gas (LNG) terminal or any major outage of gas producing field (including natural gas pipeline of any nature) or outage of compressors anywhere along the natural gas pipelines or any plant of a major customer, shall not transact on the Gas Exchange unless such information has been submitted to NGGMS or Gas Exchange.

59. Internal Manual for Conflict Resolution:

The Gas Exchange or Clearing Corporation shall have an internal manual covering the management of conflicts between commercial and regulatory functions of the Gas Exchange or Clearing Corporation. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall put in place a policy for comprehensive training and awareness of its employees on the various conflicts of interests involved in the functioning of its regulatory departments. Further, the entire conflict management framework shall periodically be reviewed and be strengthened based on the observations of such review.

60. Norms and Procedure, etc:

For the purposes of implementation of these Regulations and matters incidental thereto, the Board may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines as specified in these Regulations, by way of circulars to Gas Exchange and Clearing Corporation.

61. Miscellaneous:

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Board.

SCHEDULE 1

[See regulations 8 and 12]

Application for authorisation or renewal of authorisation of Gas Exchange or Clearing Corporation under regulation 8 or regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020.

To

Secretary,

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

Subject: Application for authorisation or renewal of authorisation of Gas Exchange or Clearing Corporation under regulation 8 or regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020.

Sir/ Madam,

1. We/ I on behalf of..... (name and address of the applicant Gas Exchange or Clearing Corporation) being an applicant Gas Exchange or Clearing Corporation hereby apply for authorisation/ renewal of authorisation of Gas Exchange or Clearing Corporation.

2. Two copies of the bye-Laws, memorandum and articles of association relating in general to the constitution and management of the Gas Exchange or Clearing Corporation and two copies each of the bye-laws and rules for the Gas Exchange or Clearing Corporation and settlement of contracts are enclosed.
3. All the necessary information required in this Schedule is enclosed. Any additional information will be furnished as and when called for by the Board.
4. We/ I, on behalf of the said Gas Exchange or Clearing Corporation, hereby undertake to comply with the requirements of the Act, rules and all the Regulations made by the Board and such other conditions and terms as may be contained in the letter of authorisation or be provided or imposed subsequently.

Proof of payment by way of direct credit in the bank account through NEFT/ RTGS/ IMPS or any other electronic mode permitted by RBI or the Demand Draft No. dated drawn in favour of Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, towards payment of fees as required in the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020 read with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, is attached.

Yours faithfully,

Authorised signatory

ANNEXURE TO SCHEDULE 1

Part I – General

1. Name of the applicant company seeking authorisation for Gas Exchange or Clearing Corporation and the statue in which the applicant is registered.

Attach Memorandum and Articles of Association, Certificate of Incorporation, Certificate of Commencement of Business, if any, and any other document constituting the applicant company.

2. Address of the registered office and other offices of the applicant.
3. Date of incorporation.
4. Details of the promoters of the applicant.
5. Details of the existing business of the applicant and its promoters.
6. Details of capital structure of the applicant.

Attach the annual reports of the applicant for the preceding three years; including audited balance sheet and profit and loss account directors' report. In case, the applicant is a new company, the applicable annual reports of the applicant and such annual reports of the promoters for three years shall be submitted.

7. Give details of existing shareholding pattern of the applicant and attach the list of top 20 shareholders.
8. What is the present strength of your board of directors? Give details of your existing Board members, such as, their names, residential and business addresses, contact details, occupation, DIN, PAN and Aadhaar number details along with copies thereof, brief resume.
9. Has your business viability plan been appraised by a reputed agency having expertise in gas markets?

Attach a copy of the project report containing the following details, namely: -

- (a) Requirement of the capital expenditure of the proposed Gas Exchange or the Clearing Corporation, along with details;
- (b) Funding sources of the proposed Gas Exchange;
- (c) Management and administrative structure of the proposed Gas Exchange and the manpower requirement; and

- (d) Infrastructural facilities available/ proposed to be acquired by the Gas Exchange.
10. Attach the draft rules of the proposed Gas Exchange covering the aspects specified in the Petroleum and Natural Gas (Gas Exchange) Regulations, 2020 and in particular the following, namely: -
- (a) The Board of directors of the Gas Exchange, its constitution and powers; and
- (b) Management of the Gas Exchange and the manner in which its business is to be transacted;
11. Attach the draft bye-laws and rules of the proposed Gas Exchange covering the aspects specified in the Petroleum and Natural Gas (Gas Exchange) Regulations, 2020.
12. Attach a statement showing each Regulation of the Petroleum and Natural Gas (Gas Exchange) Regulations, 2020 and how does the proposed Gas Exchange or the Clearing Corporation meets with the requirement of the Regulation; and give detailed attachments wherever required.
13. Have you entered into an agreement with any Clearing Corporation or Gas Exchange for clearing and settling its trades? Give the name of such Clearing Corporation or Gas Exchange and details of its organisation and management.
- Attach a copy of the aforesaid agreements, if any.

Part II – Clearing membership of Clearing Corporation

11. State the number of clearing members at the time of application. Also specify how many are inactive.
12. Do you insist on any minimum qualifications and experience before enrolling new clearing members? If so, give details.
13. Do you collect any security deposit from your clearing members? If so, give details and also state the manner in which such deposits are utilised and the rate of interest allowed, if any.
14. Do you collect any admission or entrance fees from your clearing members? If so, how much?
15. Give details of the scale of member service charges and other charges, if any, specified by your Clearing Corporation.
16. Do you frame standard form of agreement to be entered with the trading member for engaging the services of your clearing member? Attach two copies of such agreement.
17. Do you undertake periodic inspection of your clearing members? Give details including the number of annual inspections and manpower available for conducting inspection.

Part III – Board of directors of Gas Exchange

18. What is the present strength of your board of directors? Give details of the constitution, powers of management, election and tenure of office of members of your board of directors, and the manner in which its business is transacted.
19. Are any trade or commercial interests represented on your board of directors? If so, give details of interests represented.
20. Do you associate shareholders of investors associations with the management of your exchange? If so, state the manner in which it is done.
21. Are there any Government representatives on your board of directors? If so, furnish their names.
22. Do you have any provision for the appointment of standing or ad hoc sub-committees of your board of directors? If so, furnish details of the method of their appointment, terms of office, powers and functions.
23. Give the designations, powers and duties of principal office-bearers of your exchange.
24. What provisions have you made for the levy and recovery of fees, fines and penalties?

Part IV – Board of directors of Clearing Corporation

25. What is the present strength of your board of directors? Give details of the constitution, powers of management, election and tenure of office of members of the board of directors, and the manner in which its business is transacted.
26. Are any trade or commercial interest represented on your Company board? If so, give details of interests represented.
27. Do you associate members of investors associations with the management of your Clearing Corporation? If so, state the manner in which it is done.
28. Are there any Government representatives on your Company board? If so, furnish their names.
29. How many independent directors are there on the Company board? Furnish their names, qualifications and experience.
30. Do you have any provision for the appointment of standing or ad hoc subcommittees of the Company board? If so, furnish details of their composition, appointment, term of office, powers and functions.
31. Give the designations, powers and duties of key management personnel of your Clearing Corporation, if any.
32. What are the disciplinary powers with the Company Board to enforce due compliance by clearing members of the bye-laws of the Clearing Corporation and generally to ensure proper standard of business conduct?
33. What provisions have you made for the levy and recovery of fees, fines and penalties?

Part V – Clearing and Settlement

34. Describe the clearing and settlement system of the Clearing Corporation or clearing house, as the case may be.
35. State the different kinds of contracts such as intra-day, day ahead, term ahead, and like other contract being cleared and settled or proposed to be cleared and settled in your Clearing Corporation or clearing house. State the period of delivery, payment and the settlement mechanism in each case.
36. Do you have the right to prohibit, withdraw or suspend clearing and settlement of any contract admitted for clearing and settlement? If so, then, under what circumstances?
37. Give details of the clearing and settlement charges and other charges, if any, levied by your Clearing Corporation or clearing house.
38. What provisions have been made for periodic settlement of contracts and differences and the delivery of, and payment for natural gas and the passing of delivery orders?
39. Do you have any bye-laws, contravention of which makes a contract void?
40. Do you have necessary infrastructure, margin mechanism and adequate risk management mechanism to ensure market safety and integrity? Give Details.
41. Do you maintain Settlement Guarantee Fund? Give details of the corpus of the Settlement Guarantee Fund, its contribution, circumstances for utilisation, priority of utilisation, and like other information.
42. How do you ensure the adequacy of the Settlement Guarantee Fund? Do you perform stress tests on a periodic basis? Give details and results of the latest stress test?
43. What is the netting procedure adopted by the Clearing Corporation or clearing house for determining the obligations of the clearing member?
44. What provisions have you made for regulating (a) the entering into contracts, their performance and rescission (b) the consequences of breach, default or insolvency on the part of all members of Gas Exchange whether acting as buyers or sellers?

Part VI – Infrastructure

45. Have you established connectivity with the depositories, clearing banks, Gas Exchange and clearing members? Give details.
46. What is your business continuity plan? Give details including details of the disaster recovery site.

Part VII – Membership

47. State the number of members you would have, as per your business plan within one year of commencement of operations.
48. Do you insist or plan to insist on any minimum qualifications and experience before enrolling new members? If so, give details.
49. State the different types of members, if any, the number thereof and the privileges enjoyed by each type. What is the procedure followed/ planned to be followed by your exchange for the admission of different types of new members?
50. What are the rates of your annual subscription in respect of the different types of members?
51. Do you collect, or plan to collect, any security deposit from your members? If so, give details and also state the manner in which such deposits are utilised/ planned to be utilised and the rate of interest allowed, if any.
52. Do you collect, or plan to collect, any admission or entrance fees from your members or from partners of firms who are members? If so, how much?

Part VIII – Trading

53. State the different kinds of contracts in use on your exchange e.g. intra-day, day-ahead, term-ahead fortnightly, monthly. State the period of delivery and payment in each case.
54. Give details of business hours for each type of contract.
55. Give details of the scale of member service charges, if any, specified by your exchange.
56. Do you specify standard forms of contract for the use of your members? Attach copies of each such contract form.
57. Do you have any provisions for regulating the volume of business done by any individual member other than through a system of margins? If so, give details.
58. What provisions have you made for periodical settlement of contracts and differences thereunder, the delivery of, and payment for natural gas?
59. Do you have a clearing house for the settlement of contracts? If so, give details of its organisation and management.
60. If you have clearing house, what returns do the members of your exchange submit regarding the transactions cleared through such clearing house?
61. Have you any arrangements for recording and publishing market price including opening, closing, highest and lowest price?
62. What provisions have you made for regulating—
 - (a) the entering into contracts, their performance and rescission, including contracts:
 - (i) between members; and
 - (ii) between a member and his client.
 - (b) the consequences of breach, default or insolvency on the part of members whether acting as buyers or sellers.
63. What are the disciplinary powers with the Gas Exchange or Clearing Corporation to enforce due compliance by members of the rules and bye-laws of the exchange and generally to ensure proper standard of business conduct?

64. Do you require members to supply such information or explanation and to produce such books relating to their business as Gas Exchange or Clearing Corporation which may require?
65. Do you publish any statistics in regard to business done on the exchange including the transactions settled through the clearing house, if maintained? In particular, have you evolved any machinery for computing the volume of transactions in the different kinds of contracts permitted on your exchange? Give details.
66. Do you have any bye-laws contravention of which makes a contract void?

Part IX – Miscellaneous

67. Do you have any machinery for arbitration of disputes between members or between members their clients, Clearing Corporation, clearing members? Give details.
68. Any other information which the applicant company would like to submit to the Board.

SCHEDULE 2

[See regulations 11 and 12]

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

No

Date:

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, having considered the application by (name and address) under regulation 11 or regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020 for grant of authorisation or renewal of authorisation as a Gas Exchange or Clearing Corporation and being satisfied that it would be in the interest of development of the gas market to grant such authorisation/ renewal, hereby grants to the above-named company authorisation or renewal of authorisation as Gas Exchange or Clearing Corporation in terms of regulation 11 or regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Gas Exchange) Regulations, 2020, for years from the above-mentioned date, subject to the conditions stated below or as may be specified or imposed hereafter, namely:-

1. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall comply with the provisions of the Act, rules and Regulations made thereunder and the requirements as may be imposed or required by the Board from time to time.
2. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall comply with the requirements relating to net worth, SGF, shareholding pattern and governance structure and like other matters.
3. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall comply with the requirement relating to dissemination of information.
4. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall seek prior approval of the Board for introducing new contracts, appointment of independent directors.
5. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall comply with such conditions and directions as may be specified by the Board from time to time.

Authorised signatory

SCHEDULE 3

Appointment of Directors

[See regulation 23 and 24]

1. Procedure for appointment:

- (a) All independent directors while seeking approval or otherwise shall submit application to the Gas Exchange or Clearing Corporation the following details, namely: —
 - (i) Name.
 - (ii) Address.

- (iii) Educational qualification.
 - (iv) Details of employment/ Occupation - past and present.
 - (v) Details of other directorships.
 - (vi) DIN No.
 - (vii) Declaration regarding the fulfilment of requirements specified under regulation 23.
 - (viii) Declaration confirming compliance of regulation 23 of these Regulations, in respect of non-association with trading member or clearing member.
 - (ix) Details of regulatory action taken against by any statutory authority.
 - (x) Details of activities that may in the opinion of the director, lead to his disqualification.
 - (xi) Association with members of Gas Exchanges or Clearing Corporations.
 - (xii) An undertaking that he shall abide by the code of conduct and code of ethics specified in Schedule 4 and Schedule 5.
 - (xiii) In the case of independent directors, consent letters for acting as an independent director.
 - (xiv) Criminal cases, if any - completed or pending before any authority in India or abroad.
- (b) The Gas Exchange or Clearing Corporation shall forward the aforesaid details to the Board while recommending their names along with the minutes of the meeting of the board of directors in which their name/s were approved, a confirmation by the Gas Exchange or Clearing Corporation that they are fit and proper persons in terms of the fit and proper criteria, and are not associated with any trading member or clearing member, in terms of regulation 23.

2. Chief Executive Officer/ Managing Director/ Executive Director:

- (a) The nomination and remuneration committee of Gas Exchange or Clearing Corporation shall be responsible for selection of chief executive officer (CEO)/ managing director / executive director, as the case may be. The CEO/ managing director/ executive director shall be selected transparently having suitable qualification as specified in regulation 24.
- (b) In case a vacancy of CEO/ managing director/ executive director arises due to resignation or unforeseen reasons, the nomination and remuneration committee of Gas Exchange or Clearing Corporation shall select the new incumbent within 60 days from the date of submission of resignation or such vacation of office due to unforeseen reasons. In the interim arrangement, any director shall be assigned additional responsibility of CEO or managing director or executive director by the nomination and remuneration committee of Gas Exchange or Clearing Corporation.

3. Independent Directors:

- (a) The names of independent directors shall be forwarded to the Board for its approval after the approval of the board of directors of the Gas Exchange/ Clearing Corporation.
- (b) The Gas Exchange or Clearing Corporation shall ensure that independent directors are selected from diverse fields of work. While deciding to propose a particular person as an independent director, the Gas Exchange or Clearing Corporation shall also take into account the following factors, namely: -
- (i) Qualification in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the gas markets;
 - (ii) At least one person shall be inducted having experience and background in finance/ accounts who may preferably be inducted in the audit committee;
 - (iii) Persons currently holding positions of trust and responsibility in reputed organisations or person who have retired from such positions; and
 - (iv) Persons who are likely to have interested positions in commercial contracts and financial affairs of commodity exchanges may preferably be excluded. Persons who are regular

traders/ speculators in the market or are director in the board of the promoter entity of the Gas Exchange or Clearing Corporation, shall be excluded.

(c) Independent directors shall peruse the relevant laws, code of conduct, code of ethics, and like other systematic collections of conducts and submit an undertaking to the Gas Exchange or Clearing Corporation that they are aware of their role, responsibilities and obligations. The Gas Exchange or Clearing Corporation shall provide at least seven days of training to every independent director each year.

(d) In case of extension of the term of the independent director or appointment of a new independent director, the Gas Exchange or Clearing Corporation shall apply to the Board two months before the expiry of the term. In addition to the other requirements specified herein, the application for extension of term of the independent director shall be accompanied with, his attendance details on meetings of various mandatory committees and on the board of directors of the Gas Exchange or Clearing Corporation, performance review and the reasons for extension of term.

(e) The existing independent director shall continue holding the post, till a new independent director is appointed in his place.

4. General conditions on appointment of directors:

(a) The Gas Exchange or Clearing Corporation shall complete the appointment process within thirty days from nomination/ approval for directors by the Board and submit a compliance report within one week from the date of appointment.

(b) In case any other official of the Gas Exchange or Clearing Corporation is appointed on its board of directors in addition to the Managing Director, the same shall be subject to the approval of shareholders and the Board, in that order.

SCHEDULE 4

Code of Conduct for the directors on the Board of Directors of Gas Exchanges or Clearing Corporations

[See regulation 25]

1. Meetings and minutes:

Every director of the Gas Exchange and Clearing Corporation shall -

- (a) not participate in discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting;
- (b) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances so require;
- (c) offer their comments on the draft minutes in time;
- (d) endeavour to have the date of next meeting fixed at each board meeting in consultation with other members of the board; and
- (e) endeavour to ensure that in case all the items of the agenda of a meeting were not covered for want of time, the next meeting is held within fifteen days for considering the remaining items.

2. Code of Conduct for the independent directors:

- (a) In addition to the conditions stated in paragraph 1 above, independent directors of the Gas Exchange or Clearing Corporation shall, endeavour to attend all the board meetings and they shall be liable to vacate office if they remain absent for three consecutive meetings of the board of directors or do not attend seventy-five per cent of the total meetings of the board of directors in a calendar year.
- (b) Independent directors shall meet separately, at least once in six months to exchange views on critical issues.

- (c) The independent directors shall identify important issues which may involve conflict of interest for the Gas Exchange or Clearing Corporation, or may have significant impact on the functioning of Gas Exchange or Clearing Corporation, or may not be in the interest of its orderly functioning. These issues shall be reported to the board of directors.

3. Strategic planning:

Every director of the Gas Exchange and Clearing Corporation shall -

- (a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the Gas Exchange or Clearing Corporation and contribute towards proactive decision making at the level of the board of directors; and
- (b) give benefit of their experience and expertise to the Gas Exchange or Clearing Corporation and provide assistance in strategic planning and execution of decisions.

4. Regulatory compliances:

Every director of the Gas Exchange and Clearing Corporation shall-

- (a) ensure that the Gas Exchange or Clearing Corporation abides by all the applicable provisions of the Act, rules and Regulations, made thereunder and the orders and directions of the Board;
- (b) ensure compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches;
- (c) ensure that the Gas Exchange or Clearing Corporation takes steps commensurate to honour the time limit stipulated by Board for corrective action; and
- (d) not support any decision in the meeting of the company board of directors which might adversely affect the interest of buyers and sellers participating in the Gas Exchange and shall report any such decision to the Board.

5. General responsibility:

Every director of Gas Exchange and Clearing Corporation shall -

- (a) place priority for redressing grievances and complaints of members' and their clients and encouraging fair trade practice so that the Gas Exchange or Clearing Corporation becomes an engine for the growth of the transactions undertaken in the Gas Exchange;
- (b) endeavour to analyse and administer the Gas Exchange or Clearing Corporation issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness;
- (c) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and shall not divulge or disclose any information obtained in the discharge of their duty and no such information shall be used for personal gains;
- (d) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of their duties in order to inspire public confidence and shall not engage in acts discreditable to their responsibilities;
- (e) perform his duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, his independence or objectivity or official duties;
- (f) perform his duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion; and
- (g) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of Gas Exchange or Clearing Corporation.

SCHEDULE 5

Code of Ethics for Directors and Key Management Personnel of Gas Exchanges or Clearing Corporations

[See regulation 25]

General:

The Code of Ethics for directors and key management personnel of the Gas Exchanges or Clearing Corporations is aimed at improving the professional and ethical standards in the functioning of Gas

Exchanges or Clearing Corporations, thereby creating better confidence in the market participants in the integrity of the gas market.

1. Objectives and underlying principles:

The Code of Ethics for directors and key management personnel of the Gas Exchange or Clearing Corporation seeks to establish a minimum level of business/ professional ethics to be followed by the directors and key management personnel, towards establishing a fair and transparent marketplace. The Code of Ethics is based on the following fundamental principles, namely: -

- (a) Fairness and transparency in dealing with matters relating to the Gas Exchange or Clearing Corporation and the buyers and sellers on the Gas Exchange;
- (b) Compliance with all laws, rules, Regulations, orders, directions, guidelines laid down by regulatory agencies, Gas Exchange, Clearing Corporation;
- (c) Exercising due diligence in the performance of duties; and
- (d) Avoidance of conflict of interest between self-interest of directors or key management personnel and interests of Gas Exchange or Clearing Corporation.

2. Regulatory oversight committee:

For overseeing implementation of this Code, a regulatory oversight committee shall be constituted by every Gas Exchange and Clearing Corporation under the respective board of directors.

3. General standards:

Directors and key management personnel shall endeavour to promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities in the following manner, namely: -

- (a) Directors and key management personnel, in the conduct of their business shall observe high standards of commercial honour and equitable principles of trade;
- (b) The conduct of directors and key management personnel in business life should be exemplary which will set a standard for other employees and members of the Gas Exchange or Clearing Corporation;
- (c) Directors and key management personnel shall not use their position to give or get favours to or from the executive or administrative staff, technology or service providers and vendors or members and their clients or any other person dealing with the Gas Exchange or Clearing Corporation;
- (d) Directors and key management personnel shall not commit any act which will put the reputation of the Gas Exchange or Clearing Corporation in jeopardy; and
- (e) Directors, committee members and key management personnel of the Gas Exchange or Clearing Corporation should comply with the provisions of the Act and all applicable Regulations notified by the Board from time to time.

4. Avoidance of conflict of interest:

No director on the board or member of any committee of the Gas Exchange or Clearing Corporation shall participate in any decision making or adjudication in respect of any person or matter in which he is in any way, directly or indirectly, concerned or interested. In case of any doubt on whether there is any conflict of interest or not in a matter, decision shall be taken by the board of directors.

5. Disclosures of beneficial interest:

All directors and key management personnel shall disclose to the board of directors, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises, namely: -

- (a) any fiduciary relationship of self or family members or directorship or partnership of self or family members in any trading member or clearing member; and
- (b) any other business interests.

6. Role of the chairperson and directors in the day-to-day functioning of the Gas Exchange or Clearing Corporation:

- (a) The chairperson and directors shall not interfere in the day-to-day functioning of the Gas Exchange or Clearing Corporation and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the board of directors may decide.
- (b) The chairperson and directors shall abstain from influencing the employees of the Gas Exchange or Clearing Corporation in conducting their day-to-day activities.
- (c) The chairperson and directors shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the board of directors.

7. Access to information:

- (a) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the board of directors.
- (b) There shall be specified channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents and information shall be properly recorded and retained for a minimum period of seven years.
- (c) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and shall not be used for any personal consideration or gain.
- (d) Any information relating to the business or operations of the Gas Exchange or Clearing Corporation, which may come to the knowledge of directors or key management personnel during performance of their duties shall be held in strict confidence and shall not be divulged by them to any third party and not used in any manner except for the performance of their duties.

8. Misuse of position:

Directors and committee members shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit in the organisation for themselves or their family members.

9. Regulatory Oversight Committee to lay down procedures:

- (a) The regulatory oversight committee shall lay down procedures for the implementation of these Regulations and specify reporting formats for the disclosures required under these Regulations.
- (b) The compliance officer shall execute the requirements laid down by the regulatory oversight committee.
- (c) While the objective of these Regulations is to enhance the level of market integrity and confidence of the market participants, it is emphasised that a written code of ethics may not completely guarantee adherence to high ethical standards and this can be accomplished only if directors and key management personnel of the Gas Exchange or Clearing Corporation commit themselves to the task of enhancing the fairness and integrity of the system in letter and spirit.

SCHEDULE 6

Measures to ensure segregation of regulatory departments

[See regulation 27]

1. In order to ensure the segregation of regulatory departments, every Gas Exchange and Clearing Corporation shall adopt an "Ethical Firewall" policy which separates the regulatory departments of the Gas Exchange or Clearing Corporation from its other departments. The employees in the regulatory departments shall not communicate any information concerning the regulatory activity to any one in other departments. The employees in regulatory areas may be physically segregated from the employees in other departments, including with respect to access controls. In exceptional circumstances employees from other departments may be given confidential information on "need to know" basis, under intimation to the Compliance Officer.

2. Regulation 27 mandates segregation of regulatory departments from other departments. For this purpose, an indicative list of regulatory departments has been provided respectively in sub-paragraph (i), and sub-paragraph (ii) of paragraph 2. The Company board of the Gas Exchange or Clearing Corporation may specify any other department having a regulatory function in addition to such list as a regulatory department.

3. (i) Departments handling the following functions shall be considered as regulatory departments in a Gas Exchange, namely: -

- (a) Surveillance;
- (b) Member registration;
- (c) Compliance;
- (d) Inspection;
- (e) Enforcement;
- (f) Arbitration; and
- (g) Default.

(ii) Departments handling the following functions shall be considered as regulatory departments in a Clearing Corporation, namely: -

- (a) Risk management;
- (b) Member registration;
- (c) Compliance;
- (d) Inspection;
- (e) Enforcement; and
- (f) Default.

4. A Gas Exchange or Clearing Corporation shall ensure that such regulatory departments viz., surveillance, inspection, risk management, default, and like other departments, is having at least two personnel deployed for full-time with at least one having a Master Degree in Finance, Accounting or any other related fields and at least having five years' work experience in compliance departments of banks or other related financial institutions, exchange operations or other related fields.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./259/2020-21]